

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
 प्राधिकार से प्रकाशित
 PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 13, 2001 (आश्विन 21, 1923)
 No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 13, 2001 (ASVINA 21, 1923)

यह भाग इस संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
 This Part is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग IV
[PART IV]

गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन और सूचनाएं
Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies.

NOTICE

NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF INDIA. PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY, RESPONSIBLE FOR THE LEGAL CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.

BY ORDER
 Controller of Publication

नाम परिवर्तन

मैं अब तक सन्तोष कुमार राय के नाम से जान, सुपुत्र श्री दिवाकर राय निवासी वर्तमान पता ग्राम पतौरा, पो. बेलहरी, जिला-जौनपुर ने आता नाम बदल लिया है और इसके पश्चात् मेरा नाम संजीव कुमार राय होगा।

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस बारे में अन्य कानूनी शर्तों को पूरा कर लिया है।

सन्तोष कुमार राय
 हस्ताक्षर—(वर्तमान पुराने के अनुसार)

CHANGE OF NAMES

I, hitherto known as LAXMINARAYAN S/o RAM-DHARI, employed as Tradesman 'F' in the RRMD, BARC, Mumbai-85 (Govt. of India), residing at Maharashtra floor Mill, Near Maternity Hospital, Dhobighat, Sion, Koliwada, Mumbai-400 037, have changed my name and shall hereafter be known as LAXMI NARAYAN RAMDHARI JAISWAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

LAXMINARAYAN
 [Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as TILAK BHADUR S/o Sri BAHADUR, employed as Operator in the B.C.E.D., CPWD, residing at CRPF Campus, Bhubaneswar, have changed my name and shall hereafter be known as TILAK BHADUR SODARI CHHETRI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

TILAK BAHADUR
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as BANDANA D/o Sh. RAJ KUMAR AGGARWAL, employed as Advocate in the Tis Hazari Court, Delhi, residing at House No. C-254-A, Sushant Lok, Gurgaon, have changed my name and shall hereafter be known as VANDANA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BANDANA
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as RAM SINGH HARIJAN S/o Late GULJHARI LAL HARIJAN, employed as Head Constable/Fire in the CISE Unit, VSTPS Village, Dist. Sidhi (M.P.) Pin-486885, residing at Village Dhonawa, East, Kairanpur, Tehsil Kotputli, Dist. Gurgaon (Raj.) Pin-303105, have changed my name and shall hereafter be known as RAM SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAM SINGH HARIJAN
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SURESH CHANDRA DHOBI S/o Shri LAXMAN JI, employed as Tradesman 'F' in RAPS, DAE (Govt. of India Enterprise) NPCIL, Plantsite, P. O. Anushakti, Via Kota (Raj.), residing at Q. No. T-2/60, Anudeep Colony, P.O. Bhabha Nagar, Via Kota (Raj.) Pin-323307, have changed my name and shall hereafter be known as SURESH CHANDRA BAMNAWAT.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SURESH CHANDRA DHOBI
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as RAVI CHANDER S/o Shri S. D. PURI, employed as Dy. Manager in the National Co-operative Consumers' Federation of India Ltd., 92-Deepali Bldg. (5th Floor), Nehru Place, New Delhi, residing at Khasra No. 210-214, Lane No. 1A, Anupam Garden, Neb Sarai, Sainik Farms, New Delhi-110068, have changed my name and shall hereafter be known as RAVI CHANDER PURI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAVI CHANDER
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as MAHABIR MOCHI S/o Late BANDHAN MOCHI, employed as Daffadar in the Office of No. 5, Drawing Office (EC), Survey of India, 13, Wood Street, Kolkata-700016, West Bengal, residing at Purbo Panchanna Gram, PO & PS Tiljala, Kolkata-700100 (W.B.), have changed my name and shall hereafter be known as MAHABIR DAS.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MAHABIR MOCHI
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as K. MARIMUTHU S/o P. PARUP PANNAN, employed as Wireman, O/o the Senior Superintendent of Post Offices, Tiruchirappalli Division, Tiruchirappalli-620001, have changed my name and shall hereafter be known as K. MAYIMUTHU.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

K. MARIMUTHU
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as MUNNI LAL S/o Shri RAMESHWAR DAYAL, employed as Assistant Director (SBP) in the Punjab Central Manager Telecom, Punjab Telecom Circle, Chandigarh, residing at House No. 439/2, Sector-45A, Chandigarh, have changed my name and shall hereafter be known as MUNI LAL SHARMA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MUNNI LAL
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as NARAYAN SEB S/o Late KALIPADA SEN, employed as Painter-I, T. No. 254 in the Shop No. 51, Carriage, W S-KGP, residing at India Gobinda Nagar, P.O. India, Kharagpur, have changed my name and shall hereafter be known as NARAYAN CHANDRA SEN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NARAYAN SEB
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as MADHU JAYARAM SHETTY S/o JAYARAM N. SHETTY, employed as Sales Executive in the Compu-tracks Mangalore, residing at Deepa Nivas, Rock Wave Lane, Bejai, Kapikad, Mangalore-575004, have changed my name and shall hereafter be known as KARAN JAYARAM SHETTY.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MADHU JAYARAM SHETTY
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SUDARSHANA KUMARI W/o JAGDISH KUMAR, residing at 17/102, Geeta Colony, Khurji Khas, Delhi, have changed my name and shall hereafter be known as ANITA RANI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SUDARSHANA KUMARI
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as JITEN NIMBEKAR S/o Late Shri SAHIB RAM, doing my own business, residing at B2/118A, Safdarjung Enclave, New Delhi, have changed my name and shall hereafter be known as JITEN BAUDH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

JITEN NIMBEKAR
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as K. KRISHNAN NAIR VENUGOPALAN S/o K. KRISHNAN NAIR, employed as Subedar Major in the Corps of Engineers in the Ministry of Defence and retired on 31.03.2000 (No. 120032-A), residing at 334, Shettihalli, Jalahalli West, Bangalore-560015 with permanent home at Povemparambil House, Post Vellida, Via Marbada, Malappuram District, (previously Palghat District), Kerala State, have changed my name and shall hereafter be known as VENUGOPALAN P.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

K. KRISHNAN NAIR VENUGOPALAN
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SRI SASHIBHUSAN SINHA S/o Shri ANANDI SINHA, employed as Tally Clerk in the O/o the Dy. Traffic Manager (Labour) Traffic Department, Paradip Port Trust, residing at (Present Address) on Qrs. No. CHA/87, Paradip Port, Trust, Dist. Jagatsinghpur, Orissa, have changed my name and shall hereafter be known as SRI SASHIBHUSAN SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SRI SASHIBHUSAN SINHA
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SRI ARJUN PRASAD RAWANI S/o Late GOPI PRASAD BHUJEL, employed as RM in the Bharat Sanchar Nigam Ltd Darjeeling residing at the Mangal-puri, Victoria Road, Darjeeling, have changed my name and shall hereafter be known as SRI ARJUN BHUJEL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SRI ARJUN PRASAD RAWANI
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as M. PARVATI W/o P. MADRAVI-RAN, employd as Fitter General Selection Grade T. No. CT/6, in the Ammunition Factory, Khadki, Pune-3, residing at the Type-II, 19/14, Rangehills Pune-20, have changed my name and shall hereafter be known as P. PARVATI V. PECCHAMUTTU.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

M. PARVATI
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as MD. SHABBIR ALI S/o MD. SAJJAD KHAN, employed as HAV/RDO in the 4 Signal Bn., CRPF, Neemuch (M. P.), presently attached with 107 Bn RAF/CRPF Signal PLN., Bhopal, residing at Vill & P. O. Palat Pura, PS Manpur, Dist. Nalanda Pin-803107, Bihar, have changed my name and shall hereafter be known as KHALID HANIF KHAN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MD. SHABBIR ALI
[Signature (in existing old name)]

ALEX STEWART ASSAYERS PRIVATE LIMITED
Regd. Office UNIT No. D-1, UDYOG SADAN NO. 3,
MIDC CENTRAL ROAD, ANDHERI (E) MUMBAI

PUBLIC NOTICE U/S 485

M/S. ALEX STEWART ASSAYERS (P) LTD.

Notice is hereby given that the members of M/s. Alex Stewart Assayers Private Limited at its Annual General Meeting held on 21-9-2001 held at its Registered Office at Unit No. D-1, Udyog Sadan No. 3, MIDC Central Road, Andheri (E) Mumbai, have passed the following Resolution under section 484 of the Companies Act, 1956 for the Wind-up of the company as Member's Voluntary Winding-up.

RESOLVED that in accordance with the provision of section 488 and other provisions applicable, if any, the declaration of solvency dt. 20-7-2001 of the Board of Director's filed with the Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai declaring that the Company has no liability or the Company is able to pay its debts within three years and contingent liabilities of Income tax and in accordance with the revision of Section 484(1) (b) and other provision applicable if any, of the Companies Act 1956, the Company be and is hereby wound-up Voluntarily as Member's Voluntary Winding Up;

"RESOLVED that in accordance with the provision of Section 490(1)(b) and other provisions applicable if any of the Companies Act 1956, Shri G. Shantilal and Shri K. C. Sabharwal be and are hereby appointed as liquidators of the Company;

"RESOLVED that in accordance with the provision of Section 490(1)(b) and other provisions applicable if any of the Companies Act 1956, Shri G. Shantilal and Shri K. C. Sabharwal liquidators for Voluntary Winding Up of the company be and are hereby entitled to draw remuneration of Rs. 500 - each per month as liquidators."

Date : 21-09-2001

Place : Mumbai

K. C. SABHARWAL
Director

ALEX STEWART ASSAYERS PRIVATE LIMITED (In Member's Voluntary Liquidation)
Regd. Office: UNIT NO. D-1, UDYOG SADAN NO. 3 MIDC CENTRAL ROAD, ANDHERI (E) MUMBAI —400093
FORM NO. 151

[See Rule 315]

Members' Voluntary Winding-up

Notice of appointment of liquidator pursuant to section 516

Name of the Company	: Alex Stewart Assayers (P) Ltd.
Nature of business	Sampling & Assaying of Metals minerals & ores.
Address of Registered office	D-1, Udyog Sadan No. 3, MIDC Central Road, Andheri (East), Mumbai-40 093.
Name(s) and Address(es) of liquidator(s)	Sh. G. Shantilal S/o Sh. S. Govinda, R/o C-1503, Lake Castle Co-Operative Housing Society Ltd. Office Adj Shankaracharya Road, Hiramandi Gardens, Powai, Mumbai-400 076. Sh. K. C. Sabharwal. S/o Late Sh. M. S. Sabharwal, R/o 749, C.A. Apartment, Paschim Vihar, New Delhi-63.
Date of Appointment	21-09-2001.
By whom appointed	Shareholders.

K. C. SABHARWAL
Liquidators

दि कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लि०

कलकत्ता-700 001

4. संदर्भ :—चैप्टर 18 के धारा 6 और 27 का एक्सचेंज के बाइ ला द्वारा गारन्टी फण्ड से सम्बन्धित सुधार।

सर्वी के आदेश पालनीय निर्देशका संवर्ध संख्या एस० एम० डी० आर० पी०/पालीसी/सी०आई० आर० 16/2001 दिनांक मार्च, 9, 2001 के तहत कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज के सेटलमेंट गारन्टी फण्ड को कामयाबी हेतु मिटिंग के जरिए उठने वाले गिरावट कमी के सुचारु रूप में चलने के लिए सम्बन्धित सदस्यों द्वारा मिटिंग करके एन० एस० सी० सी० एल० के तहत अपूर्णनीय/आंशिक अपूर्णनीय को उपरोक्त चैप्टर/-98 के धारा 6 और 27 के तहत सम्बन्धित नियम कानून के तहत सुधार को निम्न रूप में प्रस्तावित है।

6. फण्ड का आय, क्रियावयन व प्रशासन :—

1. सेटलमेंट गारन्टी फण्ड को एक्सचेंज के देख-रेख में होगा और एस० जी० एफ० के उद्देश्य पर होने वाले फण्ड के कमी को मिटिंग के जरिए अपूर्णनीय-आंशिक पूर्णनीय को सदस्यों की बैठक में निम्न सम्बन्धित नियम बाई ला के द्वारा सौदा तय किया जाएगा।

अ—न्यूनतम पूंजी के अत्यधिक शार्टेज/कमी होने के मामले को (बी० एम० सी० के उद्घन ट्रेडिंग कैसिलिटी सदस्यों का समाप्त कर दिया जाएगा। सिक्क्यूरिटी सदस्यों के अदा होंगे। 20 प्रतिशत से ज्यादा शार्टेज/कमी के मामले में तीन महीने के अवधि तक कुछ कारण पाये जाते हैं तो सदस्यों का व्यापार सुविधा समाप्त कर दिया जाएगा। और सिक्क्यूरिटी अदा हो जाएगी। सम्पूर्ण कमी की पूर्ति हेतु निम्न तालिका के तहत सदस्यों को व्यापार करने के लिए आदेश होगा।

लगातार फण्ड में गिरावट बढ़ता	एक्सपोजन लिमिट एलाउ	(चालू रहस्योद्घाटित लिमिट का 0 प्रतिशत)
बी० एम० सी० का 20 प्रतिशत	बी० एम० सी० का 50 प्रतिशत	80 प्रतिशत
बी० एम० सी० का 50 प्रतिशत	बी० एम० सी० का 100 प्रतिशत	60 प्रतिशत

एक अवधि के तहत चर समझौतों में सभी का रहस्योद्घाटन करके मेनटेनेन करता होगा यदि क्यूमूलिटिव फण्ड में कमी अगले 4 सेटलमेंट में कमी को 20 प्रतिशत से कम बी० एम० सी० के तहत रहस्योद्घाटित लिमिट रिस्टोर्ड होगा। अगर सदस्यगण क्यूमूलिटिव फण्ड में बराबर नगद जमा देते गये/बढ़ते गये तो क्लियरिंग एकाउन्ट शार्टेज में कमी आयेगी। इस प्रकार की जमा एक्सचेंज में एक अवधि के लिए (4) बार समझौते तक जमा रहेगी। यदि फण्ड में और कमी नहीं आती है, इस प्रकार एक्सपोजर

बेनिफिट किसी प्रकार का इस रकम पर (राशि) पर कोई ब्याज नहीं देगा।

सदस्यगण शार्टेज कोलेटरल फण्ड को नकदी द्वारा, एक डी० आर० द्वारा या बैंक गारन्टी द्वारा जमा दे सकते हैं।

ब. आउट स्टैंडिंग रकम पैनेल ब्याज कम से कम 0.90 प्रतिशत प्रति दिन का ब्याज रखेगा/होता है।

स. एस० जी० एफ० का क्रियेशन मेन्टीनेन्स, एडमिनिस्ट्रेशन और पुनः अदायगी के खर्च का पैसा देना होगा।

द. समय समय पर सम्बन्धित एथोरिटी इन्फ्लुएन्स कवर को प्रिमियम मिलेगा।

य. शार्ट फाल में कमी आने पर क्लियरिंग और सेटलमेंट का डील सम्बन्धित नियम कानून के तहत होगा।

र. क्लियरिंग हाउस के घाटा या दायित्व को सम्बन्धित नियम कानून के तहत सन्तोषपूर्वक किया जायेगा।

ल. एस० जी० एफ० के अन्य उद्देश्य को समय समय पर डिफाल्टर उप कमेटी के द्वारा स्पेसिफाई होगा।

2. सम्बन्धित कानून के तहत सेटलमेंट गारन्टी फण्ड कमी अन्य उद्देश्य में नहीं किया जायेगा।

3. एस० जी० एफ० के आय को किसी भी सदस्य में आंशिक या पूर्णरूप में विभाजित नहीं किया जाएगा।

4. एस० जी० एफ० पूर्ण अधिकार रखता है अपने नाम से ट्रांसफर करने के लिए।

समय समय पर डिफाल्टर उप कमेटी पूंजी को लगाता रहेगा और एस० जी० एफ० के आय को आय कर के कानून/नियम के तहत इन्फ्लेड आय को समय समय पर प्रमाणित होता रहेगा।

धारा 27, के क्लियरिंग हाउस को देय रकम में सदस्यों की असफलता।

धारा 27 के उप धारा (अ) में तीसरा पैरा के अन्तर्गत सरोकार का विवरण :

एक्सचेंज में उठे क्लियरिंग एण्ड सेटलमेंट ऑपरेशन को डील करने में सदस्य क्लियरिंग हाउस में बोधी पाया जाता है तो ऐसी घटना में सम्बन्धित नियम कानून के तहत फसला होगा। सम्बन्धित एथोरिटी सेटलमेंट गारन्टी फण्ड (एस० जी० एफ०) और अन्य राशि/रकम समय समय पर कमी की आपूर्ति को भर्ती करता रहेगा। अतः अध्यक्ष या दो सदस्य कमेटी के डिफाल्टर मैम्बर सूचित करेंगे।

मैटर/मामले के बहस के उपरान्त प्रस्तावित सुधार चैप्टर 28 के धारा 6 और धारा 28 के तहत सम्बन्धित नियम कानून एप्रुव्ड (प्रमाणित) कमेटी के द्वारा संचालित/संशोधित शीघ्र लागू हो।

सेबी के 24 जुलाई, 2000 के पत्र संख्या एम० एम० डी० आर० पी/एस० ई० ए० आर्इ० डी०-आर्इ०/बी० एस० ई० 11729/2000 के द्वारा यथावत स्वीकृत एक्सचेंज के क्लीयरिंग हाउस तथा क्लीयरिंग समिति से सम्बन्धित एक्सचेंज के नियमों, उपनियमों और अधिनियमों में नियम 274—307 जोड़ा जाता।

क्लीयरिंग हाउस/क्लीयरिंग समिति से सम्बन्धित नियम

क्लीयरिंग समिति

274. एक्सचेंज तथा एक्सचेंज के किसी खंड के नियमों, उपनियमों और अधिनियमों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना क्लीयरिंग हाउस का नियमन, प्रबंधन व नियंत्रण क्लीयरिंग समिति के पास होगा।

क्लीयरिंग समिति का संबंध

275. क्लीयरिंग समिति का संघटन अधिनियमों द्वारा निर्धारित किया जाएगा। किन्तु क्लीयरिंग समिति में सात से अधिक सदस्य नहीं होंगे। किन्तु एक्सचेंज का कोई सदस्य तथा एक्सचेंज के किसी खंड का कोई भी ट्रेडिंग या क्लीयरिंग सदस्य क्लीयरिंग समिति का सदस्य नहीं होगा। क्लीयरिंग समिति पर कोई भी निपुक्ती सिक्कुरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया की स्वीकृति के अनुसार होगा।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

276. क्लीयरिंग समिति क्लीयरिंग हाउस के पूर्णकालिक का कार्यकारी अधिकारी के रूप में ऐसे किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगी जो उसके मत से पक्के के लिए, उसके द्वारा तय की गई शर्तों और अवधि के लिए उपयुक्त है। उसके कार्यकाल के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक्सचेंज का प्रत्यक्ष या प्ररोक्ष रूप से एक्सचेंज या एक्सचेंज के किसी अन्य सदस्य से कोई सट्टे के सौदे नहीं कर सकेगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति प्रत्यक्ष या प्ररोक्ष रूप से अपने कार्यकाल के दौरान कोई व्यवसाय नहीं कर सकेगा और यदि वह एक्सचेंज का सदस्य है या डेरिवेटिव खंड पर ट्रेडिंग सदस्य या क्लीयरिंग सदस्य है या भागीदार, निर्देशक या अंशधारक है या एक्सचेंज के किसी सदस्य या ट्रेडिंग सदस्य या क्लीयरिंग सदस्य का प्रतिनिधि है तो वह या इस प्रकार का सदस्य या ट्रेडिंग/क्लीयरिंग सदस्य (जो भी मामला हो) एक्सचेंज पर कोई कामकाज नहीं करेगा। इन नियमों, उपनियमों, और अधिनियमों में दी शर्तों के अनुसार क्लीयरिंग हाउस का कुल व्यवस्थापन क्लीयरिंग समिति के अधिकार में होगा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास क्लीयरिंग हाउस के कार्यकारी अधिकार होंगे जिनके आधार पर वह दिन प्रतिदिन का काम चला सकेगा, एक्सचेंज के नियम, ये एक्सचेंज के अन्य किसी भी खंड के हो सकते हैं जो क्लीयरिंग हाउस पर लागू हो किसी सार्वजनिक मामले में क्लीयरिंग हाउस का प्रतिनिधित्व करे सकेगा तथा एक्सचेंज या एक्सचेंज के किसी खंड के नियमों/उपनियमों

और अधिनियमों के तहत मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्राप्त सभी अन्य अधिकार सला, कर्तव्य व कार्यों को पूरा करेगा और/या समय-समय पर क्लीयरिंग समिति द्वारा दिए या भौंपे गए अधिकारों का उपयोग कर सकेगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदच्युत होने के बाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्लीयरिंग समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

पदधारी

277. क्लीयरिंग समिति के सदस्य क्लीयरिंग समिति के बैठक के 10 दिन की अवधि में अपने बीच से क्लीयरिंग समिति तथा क्लीयरिंग हाउस के अध्यक्ष चुनेंगे।

अध्यक्ष के कार्यालय में रिक्त स्थान

278. अध्यक्ष के कार्यालय में रिक्त स्थान होने पर, क्लीयरिंग समिति इस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए क्लीयरिंग समिति के सदस्यों में से कार्यवाही अध्यक्ष चुनेगी।

क्लीयरिंग समिति के अधिकार

न्यायाधिकारण

279. एक्सचेंज, डेरिवेटिव खंड तथा अन्य अधिकारियों के अन्य अधिकारों तथा जांच के अधिकारों के पूर्वाग्रह के बिना, क्लीयरिंग समिति को एक्सचेंज के सभी सदस्यों व क्लीयरिंग सदस्यों सीदों के क्लीयरेंस, व निपटान, निगरानी निरीक्षण और जांच तथा उसमें जुड़े मामलों से सम्बन्धित सभी मामलों का पूरा न्यायाधिकार होगा। सीदों के क्लीयरेंस निपटान, निगरानी, निरीक्षण और जांच तथा उसमें जुड़े अन्य मामलों सम्बन्धित एक्सचेंज के नियमों, उपनियमों व अधिनियमों की व्याख्या का क्लीयरिंग समिति को पूरा अधिकार होगा और क्लीयरिंग हाउस से सम्बन्धित सभी बिन्दुओं, प्रश्नों और विवादों तथा क्लीयरिंग हाउस से जुड़े प्रशासन, कार्यप्रणाली, काम और मामलों के निर्णय का भी पूरा अधिकार होगा। एक्सचेंज के इन नियमों, उपनियमों और अधिनियमों में अन्यत्र दिए हुए के बावजूद क्लीयरिंग समिति द्वारा सीदों की क्लीयरिंग, निपटान, निगरानी, निरीक्षण व जांच तथा उसमें जुड़े अन्य मामलों से सम्बन्धित एक्सचेंज के नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के विषय में की गई व्याख्या या निर्णय अन्तिम तथा निर्णायक होंगे और एक्सचेंज के सभी सदस्यों, क्लीयरिंग सदस्यों, निर्देशकों, प्रिन्टर्स, एजेंटों, प्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, ग्राहकों तथा सदस्यों, ट्रेडिंग सदस्यों और क्लीयरिंग सदस्यों के माध्यम में से या उनके साथ काम करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए बाध्यकारी होगा।

सामान्य अधिकार

280. जांच के अधिकार तथा एक्सचेंज, डेरिवेटिव खंड व अन्य अधिकारियों के अन्य अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, क्लीयरिंग हाउस के प्रबंधन, कार्यप्रणाली के नियंत्रण, क्लीयरिंग सदस्यों उनके निर्देशकों भागीदारों

एजेन्टों, प्रतिनिधियों अधिकारियों कर्मचारियों तथा ग्राहकों के व्यवहार का नियंत्रण घटकों के सौदों के निपटान, निगरानी, जांच निरीक्षण तथा उससे जुड़े अन्य मामलों, क्लीयरिंग हाउस के कल्याण, उद्देश्य व लक्ष्यों को संबन्धित (लेकिन एक्सचेंज की संपत्ति, विद्या कोष के प्रबंधन या नियंत्रण या इसके आय-व्यय चाहे वह क्लीयरिंग हाउस से सम्बन्धित हो या नहीं, इन नियमों उपनियमों व अधिनियमों के अनुसार क्लीयरिंग समिति के पास होगा इन अधिकारों के सम्पादन के दौरान यह क्लीयरिंग हाउस के सम्बन्ध में समय-समय पर ऐसे अधिनियम अपना सकती है, ऐसे प्रस्ताव पारित कर सकती है, इस प्रकार के आदेश प्रपत्र व निदेश जारी कर सकती है और ऐसे निर्णय ले सकती है जो यह उचित समझे। खास कर उक्त अधिकारों के प्रोत्साहन के रूप में न कि सीमित करने के लिए और एक्सचेंज या एक्सचेंज के किसी खण्ड के समय-समय पर लागू किसी नियम, उपनियम या अधिनियम द्वारा समाविष्ट या स्पष्ट तथा प्रवेश किसी अधिकार या सत्त, क्लीयरिंग समिति के उस समय लागू नियम या उपनियम के अनुसार एक्सचेंज या एक्सचेंज के किसी खंड के नियमों, उपनियमों व अधिनियमों में विहित प्रावधानों के अनुसार सौदों की क्लीयरिंग, निपटान, निगरानी, निरीक्षण व जांच के सम्बन्ध में क्लीयरिंग समिति सहयता के प्रयोग के लिए अधिकृत होगी।

अधिकार

281. अपने अधिकारों के पालन और यदि कोई हो तो सेवा मार्गदर्शिका के पुरक के रूप में क्लीयरिंग समिति निम्न या समान काम या चीजों करने के लिए अधिकृत होगी या सौदों के क्लीयरिंग निपटान, निगरानी निरीक्षण जांच व अन्य उससे जुड़े मामलों में संबन्ध में निम्न या समान प्राधिकरण का उपयोग कर सकेगी, मामले इस प्रकार हो सकते हैं

कमेटीयों

(1) कमेटीयों की नियुक्ति

आकस्मिक रिक्त स्थान

कलेटी में आकस्मिक रिक्त स्थानों की पूर्ति :

सदस्यों के निष्कासन व नियंत्रण का सुझाव

- (3) शासी बोर्ड या शासी समिति क्लीयरिंग सदस्यों के त्याग पत्र तथा एक्सचेंज, ट्रेडिंग और क्लीयरिंग सदस्यों के निष्कासन का सुझाव।

नियंत्रक सदस्य

- (4) एक्सचेंज के सदस्यों (क्लीयरिंग निपटान से संबंधित किसी बूक के लिए) और क्लीयरिंग सदस्यों का नियंत्रण, चेतावनी, निन्दा, दंड व स्थगन तथा उनके सब या किसी अधिकार की समाप्ति, क्लीयरिंग सदस्यों को चूककर्ता घोषित करना तथा शासी बोर्ड या शासी समिति के पास भेजना, एक्सचेंज या ट्रेडिंग सदस्यों (क्लीयरिंग व निपटान से संबंधित किसी बूक के लिए)

के चूक की घोषणा। क्लीयरिंग समिति शासी समिति से बातचीत कर (क्लीयरिंग का निपटान संबंधी किसी बूक के लिए) ट्रेडिंग सदस्य का काम स्थगित कर सकती है।

भागीदारी, एटार्नी, एजेन्टों और कर्मचारियों का नियंत्रण

- (5) एक्सचेंज के निदेशकों, अधिकारियों, प्रतिनिधियों भागीदारों, एटार्नीयों, एजेन्टों अधिकृत क्लर्कों, मान्यता प्राप्त उपयोग कर्ताओं, अधिकृत व्यक्तियों, कर्मचारियों, तथा क्लीयरिंग सदस्यों को चेतावनी निन्दा, दंड, स्थगन तथा निगरानी रखना।

जांच पड़ताल

- (6) एक्सचेंज के सदस्यों, ट्रेडिंग सदस्यों और क्लीयरिंग सदस्यों की आर्थिक स्थिति, व्यावसायिक व्यवहार तथा सौदों की जांच तथा खोजबीन।

उपस्थिति व सूचना

- (7) एक्सचेंज के किसी सदस्य, ट्रेडिंग सदस्य या क्लीयरिंग सदस्य, उसके निदेशकों, अधिकारियों, भागीदारों, एटार्नीयों, एजेन्टों, अधिकृत क्लर्कों, मान्यता प्राप्त उपयोग कर्ताओं, अधिकृत व्यक्तियों तथा कर्मचारियों को क्लीयरिंग समिति या क्लीयरिंग समिति के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी या क्लीयरिंग समिति के अध्यक्ष या समिति के सामने उस और से अधिकृत क्लीयरिंग समिति के अधिकारी को सम्मुख उपस्थित होकर गवाही देने के लिए तथा क्लीयरिंग समिति, या क्लीयरिंग समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या अध्यक्ष या समिति, या उस और से अधिकृत क्लीयरिंग हाउस के अधिकारी के समक्ष ऐसी किताबें, कागज, दस्तावेज, पत्राचार, क्लीयरिंग फार्म, और कोई अन्य उसके अधिकार में रिकार्ड या सूचना जिसे किसी जांच या खोजबीन के लिए आवश्यक समझा जाता हो। पेश करने के लिए बुलाया जाएगा। इस प्रकार को दस्तावेज जिसे क्लीयरिंग समिति, समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अध्यक्ष, समिति या अधिकारी अपने निर्णयाधिकार से व्यापार के सिद्धान्तों या सार्वजनिक हितार्थ या क्लीयरिंग हाउस या एक्सचेंज या निवेशकों के हित व कल्याण के लिए अपने निर्णायक निर्णयाधिकार से आवश्यक समझे।

दंड का आरोपण

- (8) क्लीयरिंग व निपटान से संबंधित इन नियमों, उप नियमों व अधिनियमों के उल्लंघन के लिए तथा क्लीयरिंग समिति या क्लीयरिंग समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, या क्लीयरिंग हाउस के अध्यक्ष या कोई अन्य समिति या क्लीयरिंग हाउस का अधिकारी जो उसके लिए अधिकृत हो के प्रस्तावों आदेशों अधिसूचनाओं,

निर्णयों की अवमानता या क्लीयरिंग हाउस के अध्यक्ष या कोई अन्य समिति या क्लीयरिंग हाउस का अधिकारी जो उसके लिए अधिकृत हो के प्रस्तावों, आवेशों, अधिसूचनाओं, निर्देशों की अवमानता या क्लीयरिंग हाउस के विरुद्ध कोई उल्लंघन के लिए समय-समय पर दवा जमाना।

नियमों, उप नियमों और अधिनियमों का प्रवर्तन

- (9) क्लीयरिंग हाउस और क्लीयरिंग से संबंधित तथा सीदों की निगरानी, जांच, निरीक्षण, परीक्षण और उससे संबंधित अन्य मामलों के संबंध में एक्सचेंज या एक्सचेंज के अन्य खंडों के नियमों, उपनियमों और अधिनियमों को लागू करना तथा उनके उल्लंघन और अपराध का ध्यान देना।

कार्य प्रणाली का विनियमन

- (10) समय-समय पर प्रकार-ब शर्तों का निर्धारण जिसके अनुसार क्लीयरिंग हाउस तथा अनुबंधों/सीदों, का निपटान, निगरानी, निरीक्षण, जांच व अन्य संबंधित मामले कार्य करेंगे।

शुल्क व प्रभार

- (11) इन नियमों, उपनियमों और अधिनियमों में दिए के अलावा एक्सचेंज के सदस्यों तथा क्लीयरिंग सदस्यों से समय-समय पर अतिरिक्त देय और प्रभार तथा क्लीयरिंग हाउस के कार्य संचालन के लिए आवश्यक शुल्क व प्रभार एकत्र करना।

कर्मचारियों की नियुक्ति

- (12) अपने निर्णयाधिकार से क्लीयरिंग हाउस में नियुक्ति तथा इस प्रकार स्थायी व अस्थायी या विशेष कर्मचारियों की स्थगन और हटाना, उनके अधिकारों, कर्तव्यों, वेतन की शर्तों का नियंत्रण करना, उनके लाभार्थ भविष्य निधि या लाभ कोष, पेंशन प्रेषण, क्षतिपूर्ति या बीमा योजनाओं की स्थापना, चलाना तथा रख-रखाव और उन अन्य नियमों व अधिनियमों तथा सेवाओं नियमों और अधिनियमों का निर्माण व परिवर्तन जैसा भी समय-समय पर वह ठीक समझे।

सुविधाएं

- (13) समय-समय पर ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराना जो क्लीयरिंग हाउस के कार्य-संचालन के लिए आवश्यक हों।

भंड व अधिकार

- (14) क्लीयरिंग हाउस के व्यवस्थापन के लिए अनुबन्ध देना (डेरिवेटिव खंड, नकद खंड या एक्सचेंज के किसी अन्य खंड के लिए)।

भगतान की मॉनिटर करना

- (15) एक्सचेंज के सदस्यों तथा क्लीयरिंग सदस्यों (डेरिवेटिव खंड तथा/या नकद खंड और/या एक्सचेंज के किसी अन्य खंड) के भगतान की निगरानी करना।

निरीक्षण

- (16) एक्सचेंज के क्लीयरिंग सदस्यों तथा क्लीयरिंग और निपटान प्रणाली तथा सभी संबंधित मामलों की निगरानी, निरीक्षण व जांच।

सुरक्षा प्रबंधन

- (17) सभी सिक्युरिटी माजिन व ऋणाधार का प्रबंधन।

स्थगन

- (18) डेरिवेटिव खंड, नकद खंड तथा एक्सचेंज के किसी अन्य खंड में देयतए पूरी करने में चूक के लिए क्लीयरिंग सदस्यता का स्थगन।

शुल्क

- (19) सुविधाओं के उपयोग के लिए सदस्यों पर प्रभार।

अनुशासनात्मक कार्य समिति

- (20) अनुशासनात्मक कार्य समिति को नकद खंड डेरिवेटिव खंड और/या एक्सचेंज अनुशासनात्मक खंड को चूक, मूल्य, वृद्धि, बाजार में चालबाजी, फट रनिंग या अन्य कोई अनुचित अनैतिक, गलत और, कपटपूर्ण अभ्यास के लिए सुझाव देना।

अनुपालन व मॉनिटर करना

- (21) नेटवर्क मानदण्ड, अनुपालन व संघटन, सुरक्षा जमा मानवंड, अनुपालन व संघटन तथा एक्सचेंज के सदस्यों, ट्रेडिंग सदस्यों और क्लीयरिंग सदस्यों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान रखना।

माजिन संचयन

- (22) सब प्रकार के माजिनों के संचयन की उगाही; निगरानी, निर्णय व प्रबंधन तथा संचयन।

क्लीयरिंग सत्र

- (23) विशेष क्लीयरिंग सत्र निश्चित व सप्ताहिक करने : निपटान सूची

- (24) सामान्य निपटान सूची तैयार करना :

सीदों का विलोपन

- (25) शासी समिति या शासी बोर्ड को किसी भी खंड के सीदों/अनुबन्धों के विलोपन का सुझाव :

सामान्य नियन्त्रण

- (26) इन नियमों, उपनियमों और अधिनियमों में न दिए गए मामलों के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्णय देना और समय-समय पर प्रस्ताव चुनना, परिवर्तन, आवेश निर्देश जारी करना :

पुनरीक्षण

- (27) क्लीयरिंग हाउस से संबंधित किसी प्रस्ताव, आदेश, परिपत्र, निर्देश व निर्णय का पुनरीक्षण, पुनर्विचार, संशोधन या निरस्तिकरण

सामान्य अधिकार

- (28) सामान्यतः क्लीयरिंग हाउस को प्रभावित करने वाले सभी मामलों का निरीक्षण व निरीक्षण करना।

अधिकारों का सीमा निर्धारण

282. इन नियमों, उपनियमों और अधिनियमों में अन्यत्र कुछ भी कहा गया हुआ, इसके बावजूद, क्लीयरिंग समिति के पास एक्सचेंज की सम्पत्ति, चित्र या कोषों (क्लीयरिंग हाउस से जुड़े हो या नहीं) के संबंध में कोई अधिकार नहीं होगा और किसी प्रकार की आर्थिक देयता या बाध्यता (चाहे अनुबन्धात्मक हो या अन्यथा और चाहे आकस्मिक हो या अन्यथा) एक्सचेंज की ओर से उठाने के लिए अधिकृत नहीं होगा या ऐसा कोई काम जो एक्सचेंज के कोष, चित्र, सम्पत्ति को प्रभावित कर सकता हो। शासी बोर्ड द्वारा क्लीयरिंग समिति को स्पष्टतया सौंपी गई स्थिति को छोड़कर।

नियमों, उपनियमों और अधिनियमों का स्वयं

283. क्लीयरिंग समिति किसी विशेष प्रस्ताव द्वारा किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों, सिक्युरिटी या सिक्युरिटियों या क्लीयरिंग हाउस से संबंधित मामलों या सौदों के क्लीयरिंग व निपटान, निगरानी, जांच और निरीक्षण के संबंध में एक्सचेंज के नियमों, उपनियमों और अधिनियमों (नियम 283 को छोड़कर) कोई पूर्णतः या अंशतः संचालन का स्थगन या कड़े प्रवर्तन के साथ हटा या खत्म कर सकता है।

किन्तु क्लीयरिंग समिति किसी नियम, उपनियम, अधिनियम को सेवा की अनुमति के बिना तीन दिन से अधिक के लिए प्रवर्तन के साथ समाप्त या हटा या पूर्ण या आंशिक रूप से उसका संचालन स्थगित नहीं कर सकती।

क्लीयरिंग समिति के प्रस्तावों की अनियमता

284. क्लीयरिंग समिति द्वारा क्लीयरिंग हाउस से संबंधित इनमें से किसी नियम या उप नियम के प्रावधानों द्वारा प्राप्त सत्ता या अधिकार से पारित प्रस्ताव में एक्सचेंज के सदस्यों या आम बैठक में ट्रेडिंग सदस्यों द्वारा कोई परिवर्तन, भिन्नता या उसे रद्द नहीं किया जा सकेगा और इस प्रकार के सब प्रस्ताव लागू होने पर वैध होंगे तथा सभी सदस्यों, ट्रेडिंग सदस्यों और क्लीयरिंग सदस्यों उनके निर्देशकों, अधिकारियों, प्रतिनिधियों, भागीदारों, एटार्नी, एजेंटों, अधिकृत क्लर्कों, अनुमत उपयोगकर्ताओं, कर्मचारियों, ग्राहकों, घटकों तथा उनके साथ या उनके माध्यम से काम करने वाले सभी के लिए बन्धनकारी होंगे।

क्लीयरिंग समिति का निर्णय अन्तिम

285. एक्सचेंज के नियमों, उपनियमों और अधिनियमों में अन्यत्र कुछ भी दिए होने के बावजूद, क्लीयरिंग हाउस या क्लीयरिंग से संबंधित सभी मामलों, सौदों का निपटान,

निगरानी, निरीक्षण, जांच और उससे संबंधित अन्य मामले जो क्लीयरिंग समिति के विचारार्थ लाए गए हों प्रस्ताव या अन्यथा बताया गया इसका निर्णय अन्तिम होगा, जिसका अनुपालन एक्सचेंज के हर सदस्य, ट्रेडिंग सदस्य और संबंधित क्लीयरिंग सदस्य और उनके निर्देशकों, अधिकारियों, प्रतिनिधियों, भागीदारों, एजेंटों, अधिकृत क्लर्कों, मान्यताप्राप्त उपयोगकर्ताओं, अधिकृत व्यक्तियों, कर्मचारियों, ग्राहकों/घटकों और उनके साथ या उनके माध्यम से काम करने वाले प्रत्येक को करना होगा।

अधिकारों का सौंपा जाना

(ए) क्लीयरिंग समिति जिन शक्तों को इस समझौते के अनुसार समय-समय पर निर्धारित अपने अधिकारों को क्लीयरिंग समिति के प्रमुख कार्यकारी निदेशक या क्लीयरिंग समिति के अध्यक्ष या क्लीयरिंग समिति से नियुक्त कमेटीयों या अन्य किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) को सौंप सकता है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी या अध्यक्ष या क्लीयरिंग समिति के सदस्यों से गठित कमेटीयों और/या क्लीयरिंग हाउस और/या किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों को भी इसी प्रकार जैसा कि वह उचित समझे समझे सहकारी व प्रशासनात्मक कार्य निष्पादन का काम सौंप सकता है। बशर्ते ट्रेडिंग/क्लीयरिंग सदस्य किसी कमेटी के लिए नियुक्त होने के पात्र नहीं होंगे।

पुनरीक्षण

(बी) प्रमुख कार्यकारी अधिकारी या अध्यक्ष या कोई कमेटी या क्लीयरिंग हाउस के अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति जो उपधारा (ए) के अनुसार क्लीयरिंग समिति से प्राप्त अधिकारों के तहत चल रहा हो के निर्णय से प्रभावित व्यक्ति को निर्णय के सात दिनों के अन्दर क्लीयरिंग समिति द्वारा पुनरीक्षण की आवश्यकता होगी।

आपातकाल में अधिकारों का सौंपा जाना

286. जब भी क्लीयरिंग समिति अपने निर्णयाधिकार से यह समझाती है कि आपातकाल है तो विशेष प्रस्ताव द्वारा जो भी वह निश्चित करती है उस अवधि के लिए अपने सारे अधिकार क्लीयरिंग हाउस के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी या क्लीयरिंग हाउस के अध्यक्ष या क्लीयरिंग समिति के सदस्यों द्वारा नियुक्त विशेष कमेटी को सौंप सकती हैं जिसके निर्णय पर कोई अपील नहीं होगी।

एक्सचेंज व क्लीयरिंग समिति की क्षतिपूर्ति

287. क्लीयरिंग हाउस व क्लीयरिंग समिति और इसके सदस्य सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से किसी भी प्रकार उसके या क्लीयरिंग हाउस के किसी कर्मचारी द्वारा किए गए अन्याय या काम जो कर्तव्य पूरा करते हुए अच्छे इरादों से ही किए जानेदार नहीं ठहराए जाएंगे। यह छूट निष्पादन या सोद्देश्य निष्पादन कर्तव्य या अधिकारों, सत्ता या उन्हें प्राप्त विवेकाधिकार से हो सकती है इसमें सभी देयताएं, लागत, नुकसान या उनसे हुई किसी भूल, असावधानी या छूट के

कारण होने वाले खर्च शामिल है और इस प्रकार किए गए कार्यों या भूलों की पूर्णता क्षतिपूर्ति एक्सचेंज अपन कोष से करेगा।

क्लीयरिंग समिति की बैठकें

288. क्लीयरिंग समिति व्यवसाय के लिए बैठक कर सकती है, उसे स्थगित कर सकती है या बैठकों को नियंत्रित कर सकती है जैसा भी उचित समझे।

सामान्य बैठकें

289. क्लीयरिंग समिति की सामान्य बैठकें प्रमुख कार्यकारी अधिकारी या क्लीयरिंग हाउस के अधिकारी किसी भी समय क्लीयरिंग समिति के निर्देशानुसार की जा सकती है। प्रमुख कार्यकारी अधिकारी या अध्यक्ष विशेष बैठक बुला सकता है।

290. (ए) प्रमुख कार्यकारी अधिकारी या क्लीयरिंग हाउस का अध्यक्ष किसी भी समय क्लीयरिंग समिति की बैठक बुला सकता है।

मांग पर विशेष बैठक

(बी) मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्लीयरिंग समिति के दो या अधिक सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित मांग-पत्र मिलने के चौबीस घण्टे के अन्दर क्लीयरिंग समिति की बैठक बुलाएगा। ऐसा न किए जाने पर हस्ताक्षर कर्त्ताओं में से कोई भी दो इस प्रकार की बैठक बुला सकते हैं।

अत्यावश्यक और आपातकालीन बैठकें

291. अत्यावश्यक स्थिति में चौबीस घण्टे से कम के नोटिस पर और आपातकाल की स्थिति में विशेष बैठक के लिए एक घण्टे का नोटिस पर्याप्त है।

विशेष बैठक की नोटिस

292. (ए) विशेष बैठक की मांग करने वाले नोटिस में इसके बुलाए जाने का कारण बताना होगा। अत्यावश्यक व आपातकालीन बैठक के नोटिस में उनको प्रकट बतानी होगी और बैठक में किए जाने वाले काम की भी जानकारी बनी होगी और इस तरह होने वाली बैठक में और कोई काम नहीं किया जाएगा।

काम कब नहीं बताया जाए

(बी) उपधारा (ए) के बावजूद जब प्रमुख कार्यकारी अधिकारी या अध्यक्ष का यह मत हो कि विषय गोपनीय हो या ऐसा हो जिसे प्रकट नहीं किया जाना चाहिए तो वह ये निर्देश दे सकता है कि विशेष बैठक बुलाने के लिए दिए गए नोटिस में काम और/या विषय बैठक को अत्यावश्यक नहीं बताया जाए।

कोरम

293. (ए) विशेष रूप से न बताया जाने पर क्लीयरिंग समिति का कोरम क्लीयरिंग समिति के दो सदस्य होगा।

हितबद्ध सदस्य कोरम में नहीं लिए जाएंगे

(बी) क्लीयरिंग समिति का हितबद्ध सदस्य इन नियमों और उपनियमों के अनुसार उस प्रश्न पर बात करने के लिए कोरम में नहीं लिया जाएगा जिसमें उस सदस्य का स्वार्थ हो।

अध्यक्ष अध्यक्षता करेगा

294. क्लीयरिंग हाउस का अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में क्लीयरिंग हाउस का मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्लीयरिंग समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा, यदि कोई अध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नहीं है या किसी बैठक में अध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी बैठक के निर्धारित समय से पन्द्रह मिनट के अन्दर उपस्थित न हो तो क्लीयरिंग समिति के एक सदस्य को बैठक का अध्यक्ष चुन लेंगे।

अध्यक्ष निर्णायक मत देगा

295. क्लीयरिंग समिति की बैठक में समान वोट होने पर बैठक का अध्यक्ष सदस्य के रूप में अधिकृत मत देने के अलावा एक निर्णायक मत देगा।

मतदान

296. क्लीयरिंग समिति का सदस्य कार्यवाही में भाग लेने के लिए अधिकृत होगा किन्तु उसके लिए वोट देना उचित नहीं होगा।

व्यक्तिगत हित

(1) किसी भी प्रश्न पर जिस में वह व्यक्तिगत रूप से रुचि रखता है बैठक का अध्यक्ष ही अन्तिम अज होगा चाहे उसे रुचि कर हो या नहीं :

समिति का सदस्य

(2) किसी ऐसी जांच या विवाद के संबंध में अन्तिम निर्णय पर जिस पर उस समिति का निर्णय हो जिसका वह सदस्य रहा हो सिवाय इसके कि क्लीयरिंग समिति का कोई भी सदस्य इस कारण अपात नहीं ठहराया जाएगा क्योंकि वह ऐसी समिति का सदस्य है या रहा है जिसने रिपोर्ट पेश करने के उद्देश्य से विचाराधीन विषय की पूर्व परीक्षा या जांच की हो, अथवा

सुनवाई के दौरान अनुपस्थिति

(3) किसी ऐसी जांच या विवाद के संबंध में अन्तिम निर्णय पर, यदि वह क्लीयरिंग समिति की हर बैठक जिसमें जांच या विवाद की सुनवाई हो, उपस्थित रहा हो, को छोड़कर।

बहुमत

297. क्लीयरिंग समिति के सामने आया कोई प्रश्न क्लीयरिंग समिति की बैठक में डाले गए वोटों के बहुमत द्वारा निर्णय किया जाएगा, यदि उस समय लागू नियम या उपनियम के आधार पर कुछ खास बहुमत आवश्यक हो, उस स्थिति को छोड़कर।

विशेष प्रस्ताव

298. विशेष प्रस्ताव के लिए क्लियरिंग समिति की बैठक में उपस्थित क्लियरिंग समिति के तीन सदस्यों का कोरम होगा। इस प्रकार का विशेष प्रस्ताव के लिए बैठक में हुए मतदान के कम से कम दो तिहाई वोट चाहिए। इस दो तिहाई में यदि कोई भाग होता है तो उसे एक माना जाएगा।

परिपत्र द्वारा सामान्य प्रस्ताव

299. लिखित रूप से दिया गया सामान्य प्रस्ताव जो मुंबई में मौजूद क्लियरिंग समिति की कुल संख्या के दो तिहाई से रजिस्ट्रार हो उसी तरह से वैध और प्रवाही माना जाएगा जैसे मानों क्लियरिंग की यथावत् बुलाई गई व गठित बैठक में पास किया गया हो। इस प्रकार के दो तिहाई में आया कोई भाग एक मान लिया जाएगा।

स्थगित बैठक

300. क्लियरिंग समिति की कोई भी बैठक समय-समय पर स्थगित की जा सकती है और यदि इस प्रकार की बैठक में जिसमें क्लियरिंग समिति को उपस्थित सब या कोई सदस्य पहले हुई बैठक/बैठकों में उपस्थित नहीं थे या इस प्रकार उपस्थित सदस्य जो पहले की किसी बैठक/बैठकों में उपस्थित नहीं था किसी स्थगित बैठक या बैठकों में उपस्थित नहीं था।

कार्यवाहियां

301. अन्यथा न दिए जाने की स्थिति में क्लियरिंग समिति अपनी प्रक्रियाओं का प्रकार नियंत्रित और निश्चित करेगी। इन नियमों में विशेषतः अन्यथा दिए गए को छोड़कर यह अध्यक्ष की अनुमति से किसी सामान्य या विशेष बैठक में किसी विषय पर कार्यवाही करेगी भले ही यह विषय इस प्रकार की बैठक की अधिसूचना में उल्लिखित न हो।

आवश्यकता पड़ने पर सदस्यों व अन्यो का बैठक में

उपस्थित होना

302. सदस्य, ट्रेडिंग सदस्य, क्लियरिंग सदस्य, उनके निदेशकों, भागीदारों अटॉर्नियों, एजेंटों, अधिकृत क्लर्कों, अधिकृत व्यक्तियों, स्वीकृत उपयोगकर्ताओं, प्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों को क्लियरिंग समिति या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति के समक्ष उसके निर्देशानुसार उपस्थित होना होगा और उन्हें क्लियरिंग समिति या इस प्रकार की समिति के सभ्य जो मामला है उससे सम्बन्धित सभी सूचना और रिकार्ड जो उनके पास हों देने होंगे।

विवरण

303. क्लियरिंग समिति की प्रक्रियाओं का विवरण एक्सचेंज के सचिव के अधिकार में होगा। ये बारीकियां गोपनीय मानी जाएंगी और ट्रेडिंग सदस्यों, क्लियरिंग सदस्यों या एक्सचेंज के अन्य सदस्यों द्वारा जांच के लिए उपलब्ध होंगी।

पत्राचार

304. क्लियरिंग हाउस या क्लियरिंग समिति या क्लियरिंग समिति द्वारा नियुक्त किसी कमेटी या क्लियरिंग हाउस की किसी कमेटी को किए जाने वाले सब पत्र व्यवहार लिखित और हस्ताक्षरित होंगे और अनास पत्राचार पर कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष अध्यक्षता करेगा

305. क्लियरिंग हाउस का अध्यक्ष क्लियरिंग समिति या कोई स्थायी या अन्य कमेटी की किसी भी बैठक जिसमें वह भाग लेगा की अध्यक्षता करेगा और भर्तों की सभ्य स्थिति होने की स्थिति में उसे भर्तय के रूप में मत देने के अलावा निर्णायक वोट देने का अधिकार होगा।

क्लियरिंग हाउस के प्रतिनिधि

306(ए) मुख्य कार्यकारी अधिकारी और/या क्लियरिंग हाउस का अध्यक्ष सभी सार्वजनिक मामलों में अधिकारिक रूप से क्लियरिंग हाउस का प्रतिनिधित्व करेगा।

कमेटी के पदेन सदस्य

(बी) क्लियरिंग हाउस के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्ष क्लियरिंग समिति द्वारा नियुक्त किसी भी कमेटी के पदेन सदस्य होंगे।

विशेषाधिकार

307. (ए) प्रमुख कार्यकारी अधिकारी तथा अध्यक्ष को और एक अनुपस्थिति में दूसरे को क्लियरिंग समिति द्वारा उपभोग किए जाने वाले सभी या किसी एक अधिकार के निष्पादन का अधिकार होगा जब भी वे या वह यह विचार करेंगे कि तत्काल कार्यवाही आवश्यक है बशर्ते इस प्रकार की कार्यवाही क्लियरिंग समिति द्वारा चौबीस घंटों के अन्दर समर्थित की जाए।

अनुपस्थिति या काम करने की अक्षमता

(बी) प्रमुख कार्यकारी अधिकारी की अनुपस्थिति या काम करने की अक्षमता की स्थिति में उसके काम व अधिकार क्लियरिंग समिति के निर्देशानुसार क्लियरिंग समिति द्वारा उसकी ओर से नियुक्त क्लियरिंग हाउस के वरिष्ठ उपलब्ध अधिकारी द्वारा सम्पन्न किए जाएंगे।

सेबी के तारीख 29 अप्रैल, 1999 पत्र संख्या एम० एम० डी० आर० पी०/एम० ई० ए० आई० डी०-आई०/बी० एम० ई०/10269/99 के अनुसार यथावत्/स्वीकृत मध्यस्थता से सम्बन्धित अध्याय में संशोधन के पूर्व हुई सभी मध्यस्थता कार्यवाही की रक्षा से सम्बन्धित धारा के एक्सचेंज के नियमों, उपनियमों और अधिनियमों में उपनिधम 281 डी का योग।

मरणा धारा

281. डी० 10 जून 1997 को शासी बोर्ड द्वारा संशोधित ये उपनिधम संशोधन लागू होने या उसके बाद घटित सभी मध्यस्थता कार्यवाहियों के संबंध में लागू होंगे।

संशोधन से पूर्व हुई सभी मध्यस्थता प्रक्रियाएं, पार्टियों के बीच परस्पर किसी अर्थ प्रकार से निश्चित होने की स्थिति को छोड़कर संशोधन के पूर्व के उपनियमों के अनुसार होंगी।

सेबी द्वारा तारीख 15 मई 2000 के अपने पत्र संख्या एस०एम०डी०आर०पी०/एस० ई० ए० आई० डी०-आई०/बी० एस० ई०/7707/2000 द्वारा यथावत् स्वीकृत एक्सचेंज के शासी बोर्ड के निर्वाचन व पुनर्निर्वाचन की पात्रता से सम्बन्धित शर्तों के नियमों, उपनियमों और अधिनियमों के नियम 100 व 102 में संशोधन

पात्रता की शर्तें

100. कोई भी व्यक्ति शासी बोर्ड का सदस्य निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा यदि :—

नागरिकता

(1) वह भारत का नागरिक नहीं,

स्थिति

(2) नियम 104 के तहत प्रत्याशियों द्वारा प्रस्ताव भरे जाने की अन्तिम तारीख को उसकी सदस्यता तीन वर्ष से कम हो,

चूक

(3) किसी भी समय वह चूककलो घोषित किया गया हो या सामान्य रूप से अथवा अपने उधार कर्ताओं के साथ मिलकर अपना दायित्व पूरा करने में असफल रहा हो,

पंजीकरण का विलोपन

(4) स्टाक ब्रोकर के रूप में उसका पंजीकरण प्रमाणपत्र सिक्यूरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड द्वारा रद्द कर दिया गया हो,

(5) पंजीकरण ट्रेडिंग/सदस्यता अधिकारों के प्रमाणपत्र का स्थगन : स्टाक ब्रोकर के रूप में उसके पंजीकरण का प्रमाणपत्र या उसके ट्रेडिंग अधिकारों सिक्यूरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया एक्सचेंज द्वारा स्थगित कर दिए गए हों (जैसा भी मामला हो) जिसका कारण एक्सचेंज के नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के तहत एक्सचेंज द्वारा उसके विरुद्ध उठाया गया अनुशासनात्मक कदम हो तथा इस प्रकार के पंजीकरण प्रमाणपत्र ट्रेडिंग अधिकारों या सदस्यता अधिकारों के स्थगन की तारीख से दो वर्ष का समय न बीता हो,

अधिसूचित व्यक्ति

(6) स्पेशल कोर्ट एक्ट, 1992 (सिक्यूरिटीज सोदों से सम्बन्धित अपराधों को जांच के लिए) के तहत वह अधिसूचित व्यक्तियों की श्रेणी में नहीं आता और

कथित कानून के तहत व्यक्ति को अधिसूचित श्रेणी हटाए जाने के बाद दो वर्ष न बीते हों।

सेवा निवृत्त होने वाले सदस्य

102. शासी के सभी सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य पुनर्निर्वाचन के पात्र होंगे। किन्तु :—

(1) यदि कोई सदस्य ऐसा व्यक्ति हो जिसे शासी बोर्ड पर लगातार दो अवधियों के लिए चुना गया हो तो वह दूसरी क्रमिक अवधि की समाप्ति के दो वर्ष तक के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र नहीं होगा,

(2) यदि किसी भागीदार फर्म का जिसका एक्सचेंज के साथ व्यवसाय हो कोई भागीदार (चाहे वही भागीदार हो या नहीं) शासी बोर्ड का लगातार दो वर्षों तक सदस्य निर्वाचित हो चुका है तो दूसरी क्रमिक अवधि की समाप्ति के दो वर्ष तक के लिए उस भागीदार फर्म का कोई भागीदार पुनर्निर्वाचन का पात्र नहीं होगा,

(3) यदि कार्पोरेट सदस्य का कोई नामांकित (भले ही वही व्यक्ति हो या नहीं) शासी बोर्ड पर लगातार दो अवधियों के लिए चुना गया है तो दूसरी क्रमिक अवधि की समाप्ति के दो वर्ष समाप्त होने तक उस कार्पोरेट सदस्य का कोई भी नामांकित पुनर्निर्वाचन का पात्र नहीं होगा।

सेबी के तारीख 15 मई 2000 के पत्र संख्या एस०एम०डी०आर०पी०/एस० ई० ए० आई० डी०-आई०/बी० एस० ई०/7707/2000 के द्वारा यथावत् स्वीकृत एक्सचेंज के शासी बोर्ड के चुनाव के लिए कार्पोरेट सदस्यों की पात्रता के संबंध में एक्सचेंज के नियमों, उपनियमों व अधिनियमों में नियम 100 ए का योग

कार्पोरेट सदस्यों की पात्रता

100ए(1) कम्पनी या कार्पोरेट बटक जो सदस्य हो (इसके बाद कार्पोरेट सदस्य कहलाएगा) शासी बोर्ड के सदस्य के चुनाव के लिए ऐसे व्यक्ति का नामांकन कर सकता है जो कार्पोरेट सदस्य का पूर्णकालिक निर्देशक हो।

(2) व्यक्तिगत सदस्य/भागीदार फर्म के कार्पोरेट सदस्य से परिवर्तित होने पर कार्पोरेट सदस्य उस व्यक्तिगत सदस्य या भागीदार या गठित अटार्नी को नामांकित कर सकता है जो व्यक्तिगत सदस्य या भागीदार फर्म का शासी बोर्ड के नियम 211 द्वारा स्वीकृत के अनुसार व्यवसाय चलाने के लिए अधिकृत था। वशर्ते व्यक्ति भागीदार या गठित अटार्नी व्यक्तिगत सदस्य/भागीदार फर्म के कार्पोरेट सदस्य में परिवर्तित होने पर गठित कार्पोरेट सदस्य का पूर्णकालिक निर्देशक हो।

(3) इस नियम के उपनियम (1) और (2) में उल्लिखित व्यक्तिगत भागीदार या गठित अटार्नी नियम 100 की धारा (1) और (3) से (6) तक में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करेगा।

(4) कार्पोरेट सदस्य नियम 100 की धारा (2) में (6) में दिए पात्रता मानदंडों को पूरा करेगा।

किन्तु नियम 100 की धारा (2) के तहत कार्पोरेट सदस्य के पात्रता मानदंडों के निमित्त व्यक्तिगत सदस्य या गठित अटार्नी के उप धारा (2) में उल्लिखित के अनुसार पूर्वानुभव पर विचार किया जा सकता है।

(5) कार्पोरेट सदस्य का कोई भी एक से अधिक नामांकित किसी भी समय शासी बोर्ड का सदस्य नहीं होगा।

सेबी के तारीख 15 मई 2000 के पत्र संख्या एस०एम० डी० आर० पी०/एस० ई० ए० आई० डी०-आई०/बी० एस० ई०/7707/2000 तथा तारीख 20 अक्टूबर के पत्र संख्या एस०एम० डी० आर० पी०/एस० ई० ए० आई० डी०-आई०/बी०एस० ई०/16906/2000 के अनुसार यथावत् स्वीकृत एक्सचेंज के शासी बोर्ड के रिक्त स्थान के संबंध में एक्सचेंज के नियमों/उपनियमों व अधिनियमों के नियम 114 में संशोधन :

रिक्त स्थान

114... शासी बोर्ड के सदस्य का पद स्वतः रिक्त हो जाएगा :

भूगतान के स्थगन

(1) यदि वह या वह कार्पोरेट सदस्य जिसने उसे नामांकित किया है या वह भागीदार फर्म जिसका वह सदस्य है भूगतान का स्थगन करता है या जिसे दिवालिया निर्णीत किया गया हो या उसके द्वारा अपने या अपनी भागीदार फर्म या उम कार्पोरेट सदस्य जिसने उसे नामांकित किया हो वो व्यवसाय के समापन की याचिका दर्ज की गई हो या वह या उसकी भागीदार फर्म या वह कार्पोरेट सदस्य जिसने उसे नामांकित किया है उसके ऋणदाताओं से दुरिमिसन्धान कर ले या चूककर्ता घोषित किया जाए।

विकृत मानस

(2) यदि उसे पागल पाया जाए या विकृत मानस हो जाए या व्यवसाय में पर्याप्त ध्यान देने के अयोग्य ठहराया जाए,

अनुपस्थिति

(3) यदि शासी से अनुपस्थिति की छुट्टी के बिना वह लगातार शासी बोर्ड की बैठकों से तीन महीने के लिए अनुपस्थित रहे।

मृत्यु, अवसान या निष्कासन

यदि उसकी मृत्यु हो जाती है या वह या उसे नामांकित करने वाला कार्पोरेट सदस्य एक्सचेंज का सदस्य नहीं रहता या उम एक्सचेंज से निष्कासित कर दिया जाता है।

किन्तु शासी बोर्ड सदस्य का पद रिक्त नहीं माना जाएगा यदि एक्सचेंज के व्यक्तिगत सदस्य के रूप में ऐसा कंपनी या बाड़ी कार्पोरेट जिसका वह पूर्णकालिक/नामित सदस्य है के पक्ष में प्रयोग करे यदि उसके पास अपने परिवार के सदस्यों के तथा मौजूदा भागीदारों के साथ ऐसी कम्पनी या बाड़ी कार्पोरेट की शेयर पूंजी का 51% के अधिक हो जिसे उसकी जगह एक्सचेंज के सदस्य के रूप में स्वीकार

किया जा सकता है। हालांकि ऐसा सदस्य तब तक शासी बोर्ड का सदस्य रहेगा जब तक उसकी अवधि शेष है या उक्त के अनुसार उसके पास शेयर पूंजी का 51% नहीं रहता या वह कंपनी या बाड़ी कार्पोरेट का पूर्णकालिक/नामित सदस्य नहीं रहता या किसी भी अन्य प्रावधान के अनुसार शासी बोर्ड का सदस्य न रहे, इनमें से जो भी पहले हो।

त्याग पत्र

(5) यदि वह शासी बोर्ड को लिखित सूचना द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे दे,

सेबी पंजीकरण का निरस्तीकरण

(6) यदि स्टॉक ब्रोकर के रूप में उसके पंजीकरण का प्रमाण-पत्र सिक्क्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया द्वारा रद्द कर दिया गया हो,

स्थगन

(7) यदि स्टॉक ब्रोकर के रूप में उसके पंजीकरण का प्रमाण पत्र या ----- उसके ट्रेडिंग अधिकारों को सिक्क्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया या एक्सचेंज ने रद्द कर दिया हो जैसा भी विषय हो या एक्सचेंज द्वारा एक्सचेंज के नियमों, अधिनियमों और उपनियमों के तहत उसके विरुद्ध लिए गए अनुशासनात्मक कार्य के विषय में उसके सदस्यता अधिकार रद्द कर दिए गए हो तथा इस प्रकार पंजीकरण के प्रमाणपत्र ट्रेडिंग अधिकारों या सदस्यता अधिकारों के इस स्थगन की तारीख से दो वर्ष का समय न बीता हो,

अधिसूचित व्यक्ति

(8) यदि विशेष न्यायालय (सिक्क्यूरिटीज के सौदों में संबंधित अपराधों की जांच) के कानून 1992 के अनुसार वह अधिसूचित व्यक्तियों की श्रेणी में आता है,

(9) कार्पोरेट सदस्य के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में समापन : यदि वह कार्पोरेट सदस्य का नामांकित होते हुए कार्पोरेट सदस्य का पूर्णकालिक/नामित निदेशक नहीं रहता।

नागरिकता

(10) यदि वह भारत का नागरिक नहीं रहता।

उक्त धाराओं के तहत यदि किसी सदस्य का पद खाली हो तो कार्पोरेट सदस्य के पास उस सदस्य का खाली स्थान भरने का अधिकार नहीं होगा और इस रिक्त स्थान की पूर्ति एक्सचेंज के नियमों के अनुसार ही की जाएगी।

यदि उक्त किसी धारा में उल्लिखित के तहत घटी किसी घटना पर शासी बोर्ड का सदस्य पद खाली करना है तो उसके पद की शेष अवधि के दौरान इस घटना के समापन पर वह शासी बोर्ड के सदस्य/पदाधिकारी के रूप में पद पर पुनः स्थापित नहीं होगा।

सेबी के 15 मई 2000 के पत्र संख्या एस० एम० डी० आर० आर० पी०/एस० ई० ए० आई० डी०-आई०/बी० एस० ई०/7707/2000 द्वारा यथावत् स्वीकृत एक्सचेंज की स्थायी समिति के संबंधित एक्सचेंज के नियमों, उपनियमों और अधिनियमों के नियम 170 में संशोधन

स्थायी समिति

मध्यस्थता, चूक तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति

170. शासी बोर्ड अपने निर्वाचन के बाद हर वर्ष अप्रैल में प्रथम बैठक में निम्न की नियुक्ति करेंगे :—

(1) ऐसी मध्यस्थता समिति जिसमें एक्सचेंज के सदस्यों और/या एक्सचेंज के सदस्य के उत्त भागीदारों जिनकी भागीदारी एक्सचेंज द्वारा स्वीकृत है तथा सिक्कूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया (सेबी) में पंजीकृत है के 40% सदस्य तथा 60% ऐसे सदस्य जो एक्सचेंज के सदस्य नहीं हैं और/या एक्सचेंज के सदस्य के भागीदार नहीं हैं, की नियुक्ति सेबी की अनुमति से एक्सचेंज द्वारा की जाएगी या, यदि सेबी चाहे तो सेबी द्वारा की जाएगी,

(2) चूककर्ता समिति जिसमें 40% सदस्य एक्सचेंज के सदस्यों तथा 60% ऐसे सदस्य जो एक्सचेंज के सदस्य नहीं हैं की नियुक्ति सेबी की अनुमति से एक्सचेंज द्वारा की जाएगी या, यदि सेबी चाहे तो सेबी द्वारा की जाएगी, और

(3) अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति जिसमें 40% सदस्य एक्सचेंज के सदस्यों तथा 60% ऐसे सदस्य जो एक्सचेंज के सदस्य नहीं हैं की नियुक्ति सेबी की अनुमति से एक्सचेंज द्वारा की जाएगी या, यदि सेबी चाहे तो सेबी द्वारा की जाएगी।

सेबी के तारीख 20 जून 2001 के पत्र संख्या एस एम डी आर पी/एस ई ए आई डी आई/बी एस ई/30944/2001 के द्वारा यथावत् स्वीकृत किसी संयुक्त कार्पोरेट सदस्य के उसके किसी भी घटक सदस्यता से जुड़े सदस्यता अधिकार से त्यागपत्र से संबंधित एक्सचेंज के नियमों; उपनियमों और अधिनियमों के नियम 19(बी) (9) में संशोधन

संयुक्त कार्पोरेट सदस्य व घटक सदस्य

19(बी) संयुक्त कार्पोरेट सदस्य किसी घटक सदस्यता से जुड़े सदस्यता अधिकारों से केवल निम्न अवधि के बाद ही त्यागपत्र दे सकता है :—

(ए) संयुक्त कार्पोरेट सदस्य द्वारा उस घटक सदस्यता की प्राप्ति के तीन वर्ष के बाद; या

(बी) संयुक्त कार्पोरेट सदस्य द्वारा उस घटक सदस्यता की प्राप्ति के छह महीने बाद यदि उस समय संयुक्त कार्पोरेट सदस्य द्वारा कोई अन्य घटक सदस्यता धारण की हुई हो के ग्रहण करने की तारीख के बाद कम से कम तीन वर्ष बीत चुके हों।

जिस घटक सदस्यता से संयुक्त कार्पोरेट सदस्य ने त्यागपत्र दिया हो उससे सम्बन्धित यदि कोई दायित्व हों तो वे सभी संयुक्त कार्पोरेट सदस्य द्वारा वहन किए जाएंगे।

सेबी के तारीख 22 मई 2001 के पत्र संख्या एस एम डी आर पी/एस ई ए आई डी आई/बी एस ई/29038/2001 के द्वारा यथावत् स्वीकृत ट्रेड गारंटी फंड से संबंधित एक्सचेंज के नियमों, उप नियमों और अधिनियमों के उपनियमों में संशोधन

(1) उप-नियम 365 निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा :—

(ए) धारा [2] के शुरु में “फंड” शब्द का उच्चारण “फंड” के रूप में किया जाएगा।

(बी) धारा [2] के [ई] मद में शुरु में निम्न को जोड़ा जाएगा,

फंड में वेय किसी राशि के भुगतान के लिए किसी सिक्कूरिटी को रखना या मांगना।

(2) उपनियम-368 में निम्नानुसार संशोधन किया जाएगा :—

(ए) धारा [ए] के मद [3] में अन्त में निम्न को जोड़ा जाएगा “और फंड के किसी उपयोग से”

(बी) “धारा [बी] के मद [2] से इस तरह संशोधन किया जाएगा :

सिक्कूरिटी के रूप में फंड को दिया गया पैसा या आस्तियाँ और उनकी बसूली से प्राप्त होने वाला धन, तथा इस प्रकार की सिक्कूरिटी बसूली से प्राप्त हुए धन से प्राप्त कोई व्याज या अन्य आय का उपचय।

(3) उपनियम 380 इस प्रकार संशोधित किया जाएगा :—

मद (2) में “सदस्य के सभी दायित्व” के बाद “फंड के प्रति” शब्द जोड़ा जाएगा।

(4) उप-नियम 385 का संशोधन इस प्रकार किया जाएगा: धारा [ए] के शुरु में हिस्से में “फंड समिति” के स्थान पर “चूककर्ता समिति” शब्द जोड़े जाएंगे।

(5) उप नियम 389 के बाद, उपनियम 389 ए के रूप में निम्न को जोड़ा जाएगा :—

389ए. दायित्व पूरा करने में असफलता के लिए उपयोग

(1) क्लीयरिंग हाउस स्टॉक एक्सचेंज को हर उस सदस्य के बारे में सूचना देगा जो भुगतान के दिन अपनी निपटान देयताओं को पूरा करने में असफल रहा हो।

(2) ऐसी स्थिति में जब सदस्य क्लीयरिंग हाउस के प्रति अपनी उन देयताओं को पूरा करने में असफल रहा हो जो उन सीवों के क्लीयरिंग और निपटान कामकाज से हुई हैं, जो उस समय एक्सचेंज के नियमों, उपनियमों, और अधिनियमों के अनुसार अनुमत हों, अन्यत्र नियमों, उपनियमों और अधिनियमों में कुछ और दिए हुए को छोड़कर चूककर्ता समिति संबंधित सदस्य को चूककर्ता

भीषित करने से पूर्व उसके उन दायित्वों को पूरा करने सीमा तक आवश्यक ट्रेड गारन्टी फंड का उपयोग करेगी जो शासी बोर्ड या चूककर्ता समिति द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट मानदंडों, अनुबन्धों व शर्तों के अनुसार हों।

[3] चूककर्ता समिति द्वारा निर्दिष्ट शर्तों व अनुबन्धों में अन्य बातों के साथ-साथ ट्रेडिंग अधिकार के स्थगन, ब्याज व पुनर्भुगतान तथा संबंधित सदस्य की अनाश्रयता सीमा में कटौती आदि शर्तों व अनुबन्ध भी शामिल होंगे।

[4] संबंधित सदस्य फंड का उपभुक्त राशि का भुगतान उस अवधि के अन्दर करने के लिए दायित्वबद्ध है जिसका निर्धारण चूककर्ता समिति द्वारा ब्याज की उस दर के साथ किया जाएगा जो चूककर्ता समिति ने निर्धारित की है। यदि कोई सदस्य फंड की उपभुक्त राशि या उसका कोई अंश या उस पर ब्याज का चूककर्ता समिति द्वारा निर्दिष्ट अवधि के अन्दर भुगतान करने में असफल रहता है तो उपनियम 3/6 की शर्तों के अनुसार उपनियम 316 के तहत वह चूककर्ता घोषित किया जा सकता है।

[6] उपनियम 390 को इस प्रकार संशोधित किया जाएगा :—

मद [3] में शुरू में निम्न को जोड़ा जाएगा :

“उपनियम 389.ए के प्रावधानों के अनुसार”।

[7] उपनियम 402, 403, व 404 को इस प्रकार संशोधित किया जाएगा :—

सदस्य/चूककर्ता की आस्तियों पर चार्ज

402. उपनियम 389 ए के अनुसार फंड से भुगतान किए जाने पर या उपनियम 398 की धाराएं (5) से (7) में उल्लिखित धन या सम्पत्ति से चूककर्ता समिति द्वारा भुगतान की गई कोई राशि पर एक्सचेंज व चूककर्ता समिति का सदस्य/चूककर्ता की समस्त आस्तियों व सम्पत्ति पर प्रथम चार्ज होगा, चाहे वह कहीं भी हो और चाहे वह किसी भी प्रकार की हो क्योंकि इस प्रकार के धन के पुनर्भुगतान तथा उस पर ब्याज का भुगतान किसी भी या समस्त चार्जों, बन्धकों तथा ऋणधारों जो प्रामाणिक सदस्य/चूककर्ता द्वारा समिति के इस प्रकार के भुगतान किए जाने के पहले दिन बहुमूल्य प्रति फल से उत्पन्न हो के लिए सिक्क्यूरिटी हो।

चूककर्ता समिति और एक्सचेंज की कार्यवाही।

403. सदस्य/चूककर्ता द्वारा एक्सचेंज, चूककर्ता समिति या उपभोक्ता सुरक्षा फंड को देय किसी भी राशि की वसूली के उद्देश्य से एक्सचेंज/और या कार्यकारी निर्देशक इस प्रकार के कदम उठाने या कार्यवाही करने के लिए अधिकृत होगा (जिसमें किसी सम्पत्ति या उसके किसी हिस्से की बिक्री शामिल हो किन्तु वही तक सीमित नहीं) जो एक्सचेंज और/या चूककर्ता समिति सदस्य/चूककर्ता सदस्य/चूककर्ता की सम्पत्ति और कोई व्यक्ति जिसके

द्वारा कोई राशि सदस्य/चूककर्ता को देय हो के विरुद्ध उपयुक्त समझे,

उधार

404. उपनियम 391 और 394 में उल्लिखित किसी भुगतान के लिए या उपनियम 389ए के अनुसार भुगतान किए जाने के लिए चूककर्ता समिति बिना सिक्क्यूरिटी के और/या फंड और/या किसी अन्य सम्पत्ति जो इसे सिक्क्यूरिटी के रूप में दी गई हो या चूककर्ता या किसी सदस्य द्वारा सिक्क्यूरिटी के रूप में दी गई हो के विरुद्ध रूपे उधार ले सकता है।

सेबी के 21 मई 2001 के पत्र संख्या आई ई एस/डी सी/ 29023/01 के द्वारा यथावत् स्वीकृत एक्सचेंज पर आप्नांस ट्रेडिंग की सुविधा देने के संबंध में एक्सचेंज के नियमों, उपनियमों और अधिनियमों, डेरिवेटिव नियमों के उपनियमों में संशोधन।

कार्पोरेट कार्यवाहियों तथा अन्य मामलों से संबंधित समायोजन 1.12ए. डेरिवेटिव खंड और/या क्लीयरिंग हाउस को अधिकार होगा (किन्तु बाध्य नहीं होगा) कि किसी आप्नांस अनुबंध (घों) की शर्तों में संशोधन और समायोजन करें तथा कार्पोरेट कार्यों को प्रतिबिम्बित करने वाले तथा निर्धारित सिक्क्यूरिटी से सम्बन्धित अन्य नत्तों के लिए अन्य उचित निर्देश दे जो बिना किसी सीमा के असामान्य लाभार्जन, बोनस इश्युओं, विलयों, विघटनों शेयरों का विभाजन और सप्लिडन शामिल होंगे। इस प्रकार के समायोजन, संशोधन व अन्य निर्देश डेरिवेटिव खंड या क्लीयरिंग हाउस द्वारा सेबी द्वारा तय किए गए मानदंडों के अनुसार घोषित किए जाएंगे तथा क्लीयरिंग हाउस या डेरिवेटिव खंड द्वारा इस प्रकार के सौदों के संबंध में उल्लिखित के अनुसार प्रभावी होंगे।

व्याख्या : इस उपनियम के लिए किसी विशेष सिक्क्यूरिटी संबंध में “असामान्य लाभार्जन” का अर्थ है उस सिक्क्यूरिटी के संबंध में डेरिवेटिव खंड व क्लीयरिंग हाउस द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर या राशि से अधिक लाभार्जन। डेरिवेटिव खंड या क्लीयरिंग हाउस समय-समय पर किसी विशेष सिक्क्यूरिटी के संबंध में इस दर या राशि में संशोधन कर सकता है तथा विभिन्न सिक्क्यूरिटियों के विभिन्न दर तथा राशि निर्धारित कर है।

1.19 डायरेक्टर का नामान्यता के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के तथा सेबी द्वारा जारी या उल्लिखित किसी भी मार्गदर्शिका के अनुसार डेरिवेटिव खंड निम्न के संदर्भ में मार्गदर्शिका व मानवण्ड उल्लिखित कर सकता है :—

1.19.1] आर्डर दिए जाने, उनमें संशोधन प्रणाली में रखे या निकाले जाने से संबंधित पद्धति व स्थितियों,

1.19.2] वह पद्धति तथा स्थितियां जिन पर स्थिति को समायोजित, निपटाया, बन्द या बराबर किया जा सके,

1.19.3] आदेशों के पालन को प्राथमिकता,

1.19.4] वे डेरिवेटिव जिनके सोदे किये जा सके और उनका खरीद,

1.19.5] माजिन का प्रकार व राशि, गणना का प्रकार तथा माजिन वसूली माजिन भुगतान करने का समय, माजिन भुगतान करने की पद्धति तथा स्थितियाँ, समायोजित या प्रत्यापित तथा माजिन संबंधी सभी अन्य मामले,

1.19.6] सोदों/डेरिवेटिव अनुबंधों के निपटान व क्लीयरिंग की पद्धति,

1.19.7] अनुबंधों के प्रकार जिन्हें प्रविष्ट किया जा सकता है और/या जो अनुमत नहीं है,

1.19.8] ग्राहकों के पंजीकरण की प्रक्रिया

1.19.9] ग्राहकों के साथ सोदे,

1.19.10] ट्रेडिंग सदस्यों व क्लीयरिंग सदस्यों के बीच, ट्रेडिंग सदस्यों के आपस में तथा क्लीयरिंग सदस्यों के आपस में संबंधों, अधिकारों व बाधताओं,

1.19.11] खातों, रिकार्डों, किताबों, रजिस्ट्रों आदि के रख-रखाव व उनकी जाँच,

1.19.12] ग्राहकों व सदस्यों की शिकायतों का प्रस्ताव,

1.19.13] सदस्यों की आपसी शिकायतों का प्रस्ताव,

1.19.14] ग्राहकों व सदस्यों के बीच मध्यस्थता,

1.19.15] सदस्यों के बीच आपसी मध्यस्थता,

केवल अनुमत डेरिवेटिव ही व्यापार कर सकते हैं।

1.20 ट्रेडिंग/क्लीयरिंग सदस्य केवल उन डेरिवेटिवों में सोदे/क्लीयर करेंगे जिनकी अनुमति डेरिवेटिव खंड और सेबी ने दी है। डेरिवेटिव खंड को उस सभी या किसी डेरिवेटिव अनुबंध के सोदे खत्म करने का अधिकार होगा जिनमें खुली स्थिति नहीं है। किसी डेरिवेटिव अनुबंध के संबंध में खुली स्थिति होने पर डेरिवेटिव अनुबंध की ट्रेडिंग से हाथ खींचने का अधिकार होगा, वगर्न सेबी की स्वीकृति हो।

1.21ए. आप्शन प्रीमियम का भुगतान : आप्शन प्रीमियम आप्शन के खरीददार द्वारा आप्शन के विक्रेता को नियमों, उपनियमों और अधिनियमों तथा अन्य प्रावधानों में उल्लिखित प्रकार से देना होगा।

अनुबंध की समाप्ति

1.22 अनुबंध पूर्वनिर्धारित दिन समाप्त होंगे, तथा अनुबंध का समय कि जब तक वह ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध है डेरिवेटिव खंड द्वारा अग्रिम रूप से सूचित किया जाएगा।

आपिच के विरुद्ध अध्याम का आबंटन

1.39ए. डेरिवेटिव खंड या क्लीयरिंग हाउस को आप्शन विक्रेता/राइटर के विरुद्ध आप्शन अनुबंध के निष्पादन का आबंटन यादृच्छिक आधार पर या डेरिवेटिव खंड या क्लीयरिंग हाउस द्वारा समय-समय पर निश्चित किए हुए तरीके से करते

के लिए अधिकृत होगा तथा इस प्रकार के तरीके की अग्रिम सूचना सदस्यों को दी जाएगी।

काम करने के लिए क्लीयरिंग सदस्य की पात्रता

2.5 क्लीयरिंग सदस्य क्लीयरिंग सदस्य के रूप में काम करने के लिए केवल तभी अधिकृत होगा यदि :—

2.5.1 हमेशा उसके पास सेबी और/या क्लीयरिंग हाउस द्वारा समय-समय पर निर्धारित के अनुसार न्यूनतम नैट वर्थ होगी नैटवर्थ की गणना सेबी और/या क्लीयरिंग हाउस द्वारा समय-समय पर उल्लिखित प्रकार से की जाएगी।

2.5.2 उसने सेबी और/या क्लीयरिंग हाउस द्वारा समय-समय पर उल्लिखित के अनुसार डेरिवेटिव खंड या क्लीयरिंग हाउस के पास न्यूनतम पूंजी योगदान जमा कर दिया है।

2.5.3 उसके सेबी/क्लीयरिंग द्वारा समय-समय पर उल्लिखित शर्तों व प्रतिबंधों को पूरा कर दिया है।

क्लीयरिंग सदस्यों की श्रेणियाँ :

2.7 क्लीयरिंग सदस्यों की श्रेणियों में इनका समावेश हो सकता है।

(1) ट्रेडिंग सदस्य क्लीयरिंग सदस्य :

ट्रेडिंग सदस्य क्लीयरिंग सदस्य का अर्थ है ऐसा सदस्य जो ट्रेडिंग सदस्य है तथा क्लीयरिंग सदस्य भी है। ट्रेडिंग सदस्य क्लीयरिंग सदस्य अपने खाते पर या अपने सदस्य के खाते पर या ट्रेडिंग सदस्य क्लीयरिंग सदस्य के ग्राहक के खाते पर या दूसरे ट्रेडिंग सदस्य के खाते पर इन उपनियमों में उल्लिखित प्रकार से सोदों को क्लीयर या उनका निपटान कर सकता है।

(2) कस्टोडियन क्लीयरिंग सदस्य :

कस्टोडियन क्लीयरिंग सदस्य का अर्थ है क्लीयरिंग सदस्य के रूप में पंजीकृत कस्टोडियन जो ट्रेडिंग सदस्यों के ग्राहकों या उसके अपने ग्राहकों या अपने सोदों को इन उपनियमों में उल्लिखित प्रकार से क्लीयर या उनका निपटान कर सकता है।

(3) व्यावसायिक क्लीयरिंग सदस्य :

व्यावसायिक क्लीयरिंग सदस्य का अर्थ है वह क्लीयरिंग सदस्य जिसे क्लीयरिंग हाउस द्वारा अपने ग्राहकों के खातों पर या ट्रेडिंग सदस्य और/या ट्रेडिंग सदस्यों के ग्राहकों के खातों पर या अपने सोदों को क्लीयर या उनका निपटान करने की अनुमति हो।

स्वतः क्षतिपूर्ति

2.14 समान समाप्ती तारीख वाले डेरिवेटिव अनुबंधों तथा सदस्य के स्वामित्व खाते या उसी सदस्य के ग्राहक के खाते से संबंधित हों तो खरीद और बिक्री यथा संभव स्वतः एक दूसरे की क्षतिपूर्ति कर लेंगी।

कस्टोडियन क्लीयरिंग सदस्य

2.18 क्लीयरिंग हाउस के पास क्लीयरिंग सदस्यों की एक सूची कस्टोडियन क्लीयरिंग सदस्य के रूप में रहेगी (इसके बाद में कस्टोडियन क्लीयरिंग सदस्य कहा जाएगा)।

ऑप्शन अनुबंधों का प्रतिदिन मार्क टु मार्किट तथा

अन्तिम निपटान

2.33 डेरिवेटिव खंड और/या क्लीयरिंग हाउस ऑप्शन अनुबंधों के मार्क टु मार्किट तथा अन्तिम मामलों से संबंधित सभी मामलों के निर्धारण के लिए अधिकृत होगा। इस प्रकार के मार्किट टु मार्किट या निपटान से उठने वाले दायित्व व अधिकार डेरिवेटिव खंड या क्लीयरिंग हाउस द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और उसके अनुरूप क्लीयरिंग सदस्य द्वारा उसका भुगतान, निष्पादन या वसूली होगी।

2.34 उपनियम 1.39 ए के अनुसार ऑप्शन अनुबंध का निष्पादन ऑप्शन अनुबंध के तहत ऑप्शन विक्रेता/राइटर की बाध्यता के विरुद्ध आबंटित किया जाएगा, परवर्ती ऑप्शन अनुबंध के तहत ऑप्शन विक्रेता/राइटर की निपटान बाध्यता भी पूर्ववर्ती ऑप्शन अनुबंध के निष्पादन दिन को ही निश्चित की जाएगी।

माजिन रोकना

4.4 क्लीयरिंग हाउस अपने निर्णयाधिकार से या डेरिवेटिव खंड के निर्देशों पर क्लीयरिंग सदस्य द्वारा क्लीयरिंग हाउस को जमा किए गए, किसी भी माजिन को क्लीयरिंग सदस्य को देना रोक सकता है, यह डेरिवेटिव खंड या क्लीयरिंग हाउस द्वारा निश्चित की गई किसी भी अवधि के लिए होगा। इस प्रकार के माजिन के रोकें जाने के बावजूद जहां क्लीयरिंग सदस्य की खुली स्थिति हो उसे कोई भी सामान्य या और माजिन तथा अन्य बाध्यताएं देते रहना चाहिए और क्लीयरिंग हाउस द्वारा रोकें गई माजिन पर ध्यान नहीं देना चाहिए।

अरक्षितता सीमा

4.8 क्लीयरिंग हाउस क्लीयरिंग सदस्यों के संदर्भ में किसी भी समय अपने निर्णयात्मक अधिकार से:—

4.8.1 सभी या किसी क्लीयरिंग सदस्य के लिए अधिकतम लोग और/या शाटें ओपन स्थिति जिसमें किसी या सभी डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए मात्रा या मूल्य शामिल हो की घोषणा।

4.8.2 डेरिवेटिव अनुबंधी या डेरिवेटिव अनुबंधों की श्रेणी या श्रेणियों के लिए मात्रा और/या मूल्य और/या क्लीयरिंग सदस्य की पूंजी के प्रतिशत या ऊपर के किसी का भी सम्मिश्रण या क्लीयरिंग हाउस द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए सभी या किसी क्लीयरिंग सदस्य के लिए कोई अन्य तरीके के लिए अरक्षितता सीमा का उल्लेख,

4.8.3 डेरिवेटिव खंड और संबंधित सदस्य को सूचना देते हुए उक्त के अनुसार किसी अरक्षितता सीमा का निर्धारण यह अरक्षितता सीमा सेबी द्वारा यदि किसी सीमा का उल्लेख हो तो उसकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगी। यह सूचना मौखिक या लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो भी क्लीयरिंग हाउस उस समय स्थिति में ठीक समझे के अनुसार दी जा सकती है, और किसी प्रकार से इस प्रकार उल्लिखित अरक्षितता सीमा के लागू किए जाना, हटाना या परिवर्तन सूचना में दिए अनुसार प्रभावी होगा।

4.8.4 क्लीयरिंग सदस्यों को क्लीयरिंग हाउस पर अतिरिक्त पूंजी की जमा पर अरक्षितता सीमा बढ़ाने की अनुमति क्लीयरिंग हाउस को समय-समय पर पूंजी की गणना और अतिरिक्त पूंजी के भुगतान को पद्धति का तरीका उल्लिखित का करने अधिकार होगा।

व्याख्या: इस अध्याय के लिए,

(1) अरक्षितता शब्द का प्रयोग सीदों की वास्तविक अरक्षितता तथा डेरिवेटिव खंड की आर्डर बुक में आर्डरों की प्रविष्टि दोनों के लिए हो सकता है।

अरक्षितता सीमा ऋणाधार के रूप में या डेरिवेटिव खंड या क्लीयरिंग हाउस द्वारा निश्चिन किसी अन्य आधार के रूप में हो सकती है।

क्लोजिंग आउट कितना प्रभावी

5.3 क्लीयरिंग हाउस द्वारा क्लोजिंग आउट इस प्रकार व इस तरीके से प्रभावी बनाया जाएगा जो यह समय-समय पर निश्चित कर सकता है। उपरोक्त की सामान्यतया के प्रति किसी पूर्णाग्रह के बिना क्लोजिंग आउट निम्न में से किसी प्रकार से प्रभावी बनाया जा सकता है:

- (ग) क्लीयरिंग सदस्य के विरुद्ध मौलामी के माध्यम से क्रय-विक्रय द्वारा,
- (बी) जो भी मूल्य यह निश्चित करे उस पर क्लोजिंग आउट की घोषणा द्वारा,
- (सी) क्लीयरिंग सदस्य के प्रति आर्डर के माध्यम से क्रय-विक्रय द्वारा,
- (डी) एक या अधिक प्रकार के सम्मिश्रण द्वारा और/या,
- (ई) क्लीयरिंग हाउस या सेबी द्वारा समय-समय पर निश्चित किए गए किसी अन्य प्रकार से।

किन्तु इन उपनियमों में उल्लिखित कुछ भी डेरिवेटिव खंड को सिक्यूरिटी सैटलड डेरिवेटिव अनुबंध के क्लोजिंग आउट में सिक्यूरिटीज की जिलिवरी के लिए बाध्य नहीं करेगा।

कार्यकर्ता का प्राधिकरण

6.14 हर ट्रेडिंग सदस्य को लिखित रूप से उस व्यक्ति या व्यक्तियों के प्राधिकरण का उल्लेख करना होगा जो ट्रेडिंग

सदस्य की ओर से सौदे करने के लिए प्राधिकृत हों और ऐसे काम कर सकेंगे जिन्हें ट्रेडिंग सदस्य किसी इस प्रकार के व्यक्ति को सौंपना चाहें, और इस मुख्तारता की प्रतिनिधि एक्सचेंज पर इस प्रकार के व्यक्ति के किसी भी प्रकार के व्यवसाय करने से पूर्व देनी होगी।

लिखित स्वीकृति

6.15 हर ट्रेडिंग सदस्य को सभी सौदों और सभी पत्राचार जो उसके कर्मचारियों द्वारा किसी सौदे की प्रार्थना या निष्कासन के सम्बन्ध में किए गए हों के आन्तरिक रिकार्ड पर किसी उपयुक्त वरिष्ठ अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण व पृष्ठांकन की प्रक्रिया लिखित रूप से स्थापित करनी होगी।

फंट रनिंग

7.25 कोई सदस्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस जानकारी के साथ कि ग्राहक बाजार में आर्डर देगा या दे चुका है और इस जानकारी के साथ कि इस ग्राहक बाजार में आर्डर देगा या दे चुका है और इस जानकारी के साथ कि इस प्रकार के आर्डर बाजार मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं, ग्राहक के अग्रिम सौदे नहीं करेगा। इस प्रकार के सौदे प्रमुख आधार पर या एजेन्सी के आधार पर ग्राहक के लिए किए गए दिखाए गए हों सदस्यों के न्यासी कर्तव्यों का उल्लंघन करने वाले माने जाएंगे।

व्याख्या :—यह उपनियम उल्लंघन किया हुआ माना जाएगा यदि सदस्य ग्राहक का आर्डर तीसरी पार्टी पर इस दृष्टिकोण से प्रकट कर देता है कि जो तीसरी पार्टी या अन्य कोई व्यक्ति ग्राहक से पूर्व ट्रेडिंग करे।

क्लीयरिंग सदस्य के चूक का स्थगन व घोषणा

13.1ए क्लीयरिंग सदस्य स्थगित किया जा सकता है और/या चूककर्ता घोषित किया जा सकता है, यदि :

- (1) यदि वह अपने दायित्व पूरा करने में असमर्थ है पूरा करने में असफल रहता है, या
- (2) वह अपने भुगतान कर्तव्य, बाध्यताएं व दायित्व सम्पन्न करने या पूरा करने में अपनी अयोग्यता स्वीकारता या स्पष्ट करता है, या
- (3) इन नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के तहत उसके विरुद्ध प्रभावी क्लेयरिंग आउट या बराबर करने पर देय रुपए का अन्तर या नुकसान का भुगतान समय पर करने में असफल रहता है, या
- (4) वह एक्सचेंज या क्लीयरिंग हाउस को या डेरिवेटिव खंड ट्रेड गारंटी फंड देय कोई बाध्यता पूरा करने या पैस का भुगतान करने में असफल रहता है या एक्सचेंज पर क्लीयरिंग हाउस को देय तिथि पर अन्तर का विवरण, तुल्य पत्र, और क्लीयरिंग फार्म या अन्य विवरण समय-समय पर उल्लिखित के अनुसार देने में असमर्थ रहता है, या

(5) वह क्लीयरिंग हाउस या डेरिवेटिव खंड को उस सदस्य को देय सभी राशि या अन्य अस्तियों का भुगतान करने या देने में असमर्थ रहता है जो निर्देश के अनुसार इस प्रकार के सदस्य की चूक की घोषणा के समय चूककर्ता घोषित किया गया हो, या

(6) इन नियमों, उपनियमों और अधिनियमों के अनुसार दिए प्रकार से या इस प्रकार की प्रक्रियाओं में दी किसी अन्य मध्यस्थता प्रक्रिया को पूरा करने में असफल रहता है, या

(7) किसी अन्य एक्सचेंज पर उक्त स्थगित या चूककर्ता घोषित किया गया हो।

व्याख्या : किसी भी उक्त घटक के होठों पर क्लीयरिंग हाउस सदस्य को चूककर्ता घोषित कर सकता है या यदि वह ठीक समझे प्रारंभ में सदस्य को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है और बाद में उसे चूककर्ता घोषित कर सकता है।

व्याख्या :—क्लीयरिंग हाउस किसी सदस्य को या उसके ट्रेडिंग या क्लीयरिंग अधिकारों को स्थगित कर सकता है यदि उसके पास इस आशंका के लिए कारण हों (ये कारण क्लीयरिंग हाउस द्वारा लिखित रूप से दर्ज किए जाएंगे) कि सदस्य उक्त कोई काम या असावधानी कर सकता है।

रिकार्ड अन्तिम होंगे

13.5(1) अपने क्लीयरिंग सदस्य या क्लीयरिंग हाउस को कोई भी राशि (या कोई बाध्यता पूरी करना है। इसमें माजिन के रूप में दी जाने वाली कोई भी राशि या अस्तियां आती है) देने वाला हर ट्रेडिंग सदस्य क्लीयरिंग सदस्य या क्लीयरिंग हाउस को सूचित करेगा (जैसा भी मामला हो) कि यह राशि (या अन्य अस्तियां) ट्रेडिंग सदस्य द्वारा अपने खाते में से दी गई है या अपने ग्राहक की ओर से दी गई है या अपने ग्राहक की ओर से दी गई है (और इस स्थिति में ग्राहक की पहचान) यह सूचना ट्रेडिंग सदस्य द्वारा राशि की भुगतान करने के साथ-साथ देनी होगी (या अन्यथा बाध्यता पूरी करने के लिए) या, यदि राशि (या अस्तियां) भुगतान करने के समय आबंटित नहीं है तो आबंटन के तुरन्त बाद। ट्रेडिंग सदस्य द्वारा दी गई सूचना निणायक तथा क्लीयरिंग सदस्य ट्रेडिंग सदस्य तथा ट्रेडिंग सदस्य के सभी ग्राहकों के लिए बाध्यकारी होगी। किसी ग्राहक या अन्य सदस्य के यह दावा करने या सिद्ध करने पर कि ट्रेडिंग सदस्य द्वारा दी गई सूचना गलत है तो, ग्राहक व अन्य सदस्य का सम्बन्धित ट्रेडिंग सदस्य के विरुद्ध दावा रहेगा। हालांकि एक्सचेंज, क्लीयरिंग समिति और क्लीयरिंग सदस्य ट्रेडिंग सदस्य द्वारा दी गई सूचना को या क्लीयरिंग हाउस को प्राप्त सूचना को ठीक व निणायक समझेगा।

क्लीयरिंग सदस्य की स्थिति का क्लोज आउट

के रूप में दी गई राशि आस्तियों शामिल है) क्लीयरिंग हाउस को इसकी सूचना देगा। (जैसा भी विणर हो) कि यह राशि (या अन्य आस्तियाँ) क्लीयरिंग सदस्य द्वारा उसके खाते से दी गई है या ट्रेडिंग सदस्य या क्लीयरिंग सदस्य या ट्रेडिंग सदस्य के ग्राहक की ओर से दी गई है (और इस स्थिति में ट्रेडिंग सदस्य तथा ग्राहक की पहचान) इस प्रकार की सूचना क्लीयरिंग सदस्य द्वारा राशि (या आस्तियों) के भुगतान के साथ दी जाएगी या यदि भुगतान के समय राशि (या आस्तियाँ) आबंटित नहीं तो आबंटन के तुरन्त बाद। क्लीयरिंग सदस्य द्वारा दी गई सूचना निर्णायक होगी तथा क्लीयरिंग सदस्य ट्रेडिंग सदस्य तथा क्लीयरिंग सदस्य ट्रेडिंग सदस्य के सभी ग्राहकों पर बाध्यकारी होगी। किसी ग्राहक या सदस्य का संबंधित क्लीयरिंग सदस्य पर दावा रहेगा। हालाँकि एकसत्तेज क्लीयरिंग समिति क्लीयरिंग सदस्य द्वारा दी गई या क्लीयरिंग हाउस को प्राप्त सूचना को ठीक व निर्णायक मानेंगे। किन्तु यदि :

- (1) क्लीयरिंग सदस्य व ट्रेडिंग सदस्य के रिकार्डों में कुछ भिन्नता है तो क्लीयरिंग सदस्य के रिकार्डें अभिभारकी होंगे तथा सभी पार्टियों पर बाध्यकारी होंगे और
- (2) यदि क्लीयरिंग सदस्य, ट्रेडिंग सदस्य तथा क्लीयरिंग हाउस के रिकार्डों में भिन्नता है तो क्लीयरिंग हाउस के रिकार्डें अभिभारकी माने जाएंगे तथा सभी पार्टियों पर बाध्यकारी होंगे।

किन्तु यदि क्लीयरिंग सदस्य द्वारा क्लीयरिंग हाउस के प्रति घोषित समस्त राशियाँ बाध्यता का भुगतान उसके द्वारा क्लीयरिंग हाउस को नहीं किया गया तो अधिनियम उस पद्धति का निर्धारण करेगा जिसमें और जिसके खाते पर इस प्रकार की राशि/बाध्यता का भुगतान/पूरा करना माना जाएगा और इस प्रकार की राशि/आस्तियों का तदनु रूप विनियोजन किया जाएगा।

विवादित राशि के भुगतान के स्थगन का प्रतिमंहरण

13.6 यदि स्थगन की अवधि में क्लीयरिंग सदस्य उसके द्वारा देय सभी राशियों का भुगतान करता है तथा एकसत्तेज (डेरिवेटिव खंड सहित) क्लीयरिंग हाउस, एकसत्तेज के अन्य सदस्यों, उसके ग्राहकों और डेरिवेटिव खंड गारंटी फंड को देय तथा एकसत्तेज के अन्य किसी फंड को देय सभी बाध्यताओं को पूरा करता है तो स्थगन लागू करने वाला प्राधिकरण स्थगन रद्द कर सकता है।

ऋणदाताओं व ऋण लेने वालों की सूची

13.9 स्थगित क्लीयरिंग सदस्य/चूककर्ता क्लीयरिंग समिति द्वारा निर्देशित उसके स्थगन या चूककर्ता घोषित किए जाने की अवधि क्लीयरिंग समिति को एक लिखित दायीं देगा जिसमें उसके ऋणदाताओं व ऋण लेने वालों की पूरी सूची तथा उन्हें या उनके द्वारा देय राशि का विवरण होगा।

13.16 यदि कोई क्लीयरिंग सदस्य स्थगित या चूककर्ता घोषित किया जाता है तो क्लीयरिंग हाउस द्वारा यदि कुछ और निर्णय लिया जाता है तो उसे छोड़कर क्लीयरिंग सदस्य और ट्रेडिंग सदस्यों (उनके खुद के खाते पर या उनके ग्राहकों के खाते पर) की सम्पूर्ण ओपन स्थिति जिसके लिए वह क्लीयरिंग सदस्य क्लीयरिंग सदस्य के रूप में काम कर रहा था तथा क्लीयरिंग सदस्य के ग्राहकों की, क्लोजिंग आउट से संबंधित डेरिवेटिव खंड के नियमों, उपनियमों और अधिनियमों तथा क्लीयरिंग हाउस द्वारा निश्चित किए गए प्रकार से क्लोज आउट कर दी जाएगी।

किन्तु, इन उपनियमों में उल्लिखित किसी भी धारा से डेरिवेटिव खंड सिक्युरिटी सैटलड डेरिवेटिव अनुबन्ध के क्लोज आउट में सिक्युरिटीज डिलिवर करने के लिए बाध्या नहीं होगा तथा क्लीयरिंग हाउस या डेरिवेटिव खंड इस प्रकार के सिक्युरिटीज सैटलड डेरिवेटिव अनुबन्ध का डेरिवेटिव खंड या क्लीयरिंग हाउस द्वारा निर्धारित राशि के भुगतान से निपटान कर सकता है।

देयताओं का पृथक्करण

13.18 क्लीयरिंग सदस्य जिस क्लीयरिंग सदस्य, ट्रेडिंग सदस्य के लिए क्लीयरिंग सदस्य के रूप में काम कर रहा था उसके ग्राहकों के खाते तथा इस प्रकार के ट्रेडिंग सदस्यों के ग्राहकों के खाते एक दूसरे से पृथक किए जाएंगे तथा ट्रेडिंग सदस्य या ग्राहक के डेबिट या क्रेडिट में आने वाली आस्तियाँ या राशियाँ अन्य ट्रेडिंग सदस्य या ग्राहक के क्रेडिट या डेबिट के विरुद्ध समायोजित नहीं की जाएंगी और एक ग्राहक या ट्रेडिंग सदस्य के फंड या अस्तियों का उपयोग दूसरे ग्राहक या ट्रेडिंग सदस्य की देयताओं के लिए उपयोग नहीं किए जाएंगे। क्लीयरिंग सदस्य द्वारा अपने खाते पर देय बाध्यताएं ग्राहक या ट्रेडिंग सदस्य के धन/आस्तियों से पूरी नहीं की जाएगी हालाँकि क्लीयरिंग हाउस या डेरिवेटिव खंड द्वारा क्लीयरिंग सदस्य (उसके अपने खाते पर) को देय/डिलिवर की जाने वाली राशियों या आस्तियों को क्लीयरिंग सदस्य या क्लीयरिंग सदस्य या अन्य ट्रेडिंग सदस्य (जिसके सौदे क्लीयरिंग सदस्य ने क्लियर करना स्वीकार कर लिया है) या इस प्रकार के ट्रेडिंग सदस्य का डेरिवेटिव खंड, क्लीयरिंग हाउस या अन्य सदस्य या क्लीयरिंग सदस्य या ट्रेडिंग सदस्य के किसी ग्राहक (जिसके सौदे क्लीयरिंग सदस्य ने क्लियर करना स्वीकार कर लिया है) को देय राशियों/आस्तियों के लिए उपयोग किया जा सकता है।

चूक का स्थगन और घोषणा

14.1 ट्रेडिंग सदस्य का डेरिवेटिव खंड द्वारा स्थगन या चूककर्ता घोषित किया जा सकता है और/या क्लीयरिंग सदस्य द्वारा स्थगित किया जा सकता है यदि —

1. वह अपनी बाध्यताएं पूरी करने में असमर्थ या असफल रहता है, या

2. वह भुगतान करने, अपने कर्तव्य-पालन दायताओं व बाधताओं को पूरा करने में अपनी अयोग्यता स्वीकारता या स्पष्ट करता है, या
3. वह इन नियमों, उपनियमों और अधिनियमों के तहत निर्धारित समय में क्लोजिंग आउट या बराबर किए जाने पर उसके विरुद्ध निश्चित नुकसान या धन या अन्तर का भुगतान/डिलिवर करने में असफल या असमर्थ रहता है, या
4. वह एक्सचेंज या क्लियरिंग हाउस या क्लियरिंग सदस्य या डेरिवेटिव खंड ट्रेड गारन्टी फंड को देय बाधता पूरी करने/राशि का भुगतान करने में असफल रहता है या एक्सचेंज या क्लियरिंग हाउस या क्लियरिंग सदस्य को निर्धारित तारीख पर अन्तर का विवरण, तुलन पत्र, अन्य क्लियरिंग फार्म या अन्य विवरण जो समय-समय पर उल्लिखित हो दर्ज करने में असफल रहता है, या
5. वह क्लियरिंग हाउस को जो चूककर्ता घोषित सदस्य को देय है, इस सदस्य के चूककर्ता घोषित होने के निर्धारित समय में वह पूरा बैला और अन्य अस्तियों का भुगतान करने में असफल रहता है, या
6. इन नियमों, उपनियमों और अधिनियमों द्वारा निर्धारित या इस प्रकार की प्रक्रियाओं में बताए किमी मध्यस्थता पुरस्कार के मध्यस्थता प्रक्रियाओं को पूरा करने में असफल रहता है, या
7. वह अपने क्लियरिंग सदस्य के प्रति अपने कर्तव्यों, बाधताओं व देयताओं को पूरा करने या भुगतान करने में असफल रहता है, या
8. किसी अन्य एक्सचेंज पर वह स्थगित या चूककर्ता घोषित किया गया है।

व्याख्या: डेरिवेटिव खण्ड या क्लियरिंग सदस्य किसी सदस्य को या उसके ट्रेडिंग अधिकारों का स्थगन कर सकता है यदि उसे यह संभावना हो कि सदस्य उक्त किसी प्रकार का काम या चूक कर सकता है।

ऋणदाताओं और ऋण लेने वालों की सूची

14.16 स्थगित सदस्य/चूककर्ता को डेरिवेटिव खण्ड को उसके स्थगित या चूककर्ता घोषित किए जाने के डेरिवेटिव खण्ड द्वारा निर्देशित समय के अन्दर एक लिखित धारा देना होगा जिसमें उसके ऋणदाताओं वह ऋण लेनेवालों की पूरी सूची तथा उन्हें या उनके द्वारा देय राशि का विवरण होगा।

ट्रेडिंग सदस्य की स्थिति का क्लोज आउट

14.23 यदि कोई ट्रेडिंग सदस्य स्थगित किया जाता है या चूककर्ता घोषित किया जाता है तो डेरिवेटिव खंड द्वारा यदि कुछ और निर्णय लिया जाता है तो उसे छोड़ कर

ट्रेडिंग सदस्य की समस्त ओपन स्थिति (उसके खुद के खाते पर हो या उसके ग्राहकों के खाते पर) डेरिवेटिव खण्ड के नियमों, उपनियमों और अधिनियमों जो क्लोजिंग आउट से संबंधित हो या क्लियरिंग जो क्लोजिंग आउट से संबंधित हो या क्लियरिंग सदस्य/डेरिवेटिव खण्ड द्वारा निश्चित किसी अन्य प्रकार से क्लोज आउट कर दी जायगी।

देयताओं का पृथक्करण

14.25 ट्रेडिंग सदस्य के विभिन्न ग्राहकों के खाते एक दूसरे से पृथक् किए जाएंगे तथा ट्रेडिंग सदस्य के ग्राहक के डेबिट व क्रेडिट में आने वाली राशियाँ/अस्तियाँ दूसरे ग्राहक के क्रेडिट या डेबिट में समायोजित नहीं की जाएंगी एक ग्राहक के कोष/अस्तियों को दूसरे ग्राहक की देयताएं पूरी करने में उपयोग नहीं किया जाएगा। ट्रेडिंग सदस्य द्वारा अपने खाते पर देय/डिलिवर की जाने वाली राशि/अस्तियों का भुगतान/डिलिवरी ग्राहक के पैसे से नहीं की जाएगी। हालांकि ट्रेडिंग सदस्य को उसके क्लियरिंग सदस्य या क्लियरिंग हाउस या डेरिवेटिव खण्ड द्वारा देय/डिलिवर करने योग्य राशि/अस्तियों का उपयोग ट्रेडिंग सदस्य या ट्रेडिंग सदस्य के किसी ग्राहक द्वारा डेरिवेटिव खण्ड क्लियरिंग हाउस या अन्य सदस्य या ट्रेडिंग सदस्य के किसी ग्राहक को देय/डिलिवर करने योग्य राशि/अस्तियों के भुगतान में किया जा सकता है।

ट्रेडिंग सदस्य की उल्लिखित देयता के लिए उत्तरदायी क्लियरिंग सदस्य:

14.26 यदि कोई ट्रेडिंग सदस्य स्थगित या चूककर्ता घोषित किया जाता है तो वह क्लियरिंग सदस्य जिसने इस प्रकार के ट्रेडिंग सदस्य के मोदे/डेरिवेटिव अनुबन्ध को क्लियर करने की हामी भरी हो तो वह ट्रेडिंग सदस्य की निम्न देयताओं का भुगतान करेगा:—

14.26.1 क्लियरिंग सदस्य इस प्रकार स्थगित या चूककर्ता ट्रेडिंग सदस्य (अपने खाते पर या इस प्रकार के ट्रेडिंग सदस्य के किसी ग्राहक के खाते पर) द्वारा देय/डिलिवर की जाने योग्य राशि/अस्तियों का क्लियरिंग हाउस को भुगतान/डिलिवर करेगा जो ट्रेडिंग सदस्य द्वारा देय राशि या अस्तियों की डिलिवरी के सभी निपटानों को समय पर पूरा करने के लिए होगा,

14.26.2 क्लियरिंग सदस्य इस प्रकार स्थगित या चूककर्ता ट्रेडिंग सदस्य के द्वारा देय/डिलिवर की जाने वाली राशि/अस्तियों का क्लियरिंग हाउस को भुगतान करेगा जो इस प्रकार के ट्रेडिंग सदस्य (चाहे अपने खाते पर या इस प्रकार के ट्रेडिंग सदस्य के किसी ग्राहक के खाते पर) को बकाया स्थिति के ट्रांसफर या क्लोजिंग आउट के बाद इन नियमों, उपनियमों या अन्य उप-योग्य अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार ट्रांसफर या क्लोज-आउट की जानी हो,

14.26.3 क्लियरिंग सदस्य ट्रेडिंग सदस्य की बाध्यताओं व देयताओं का भुगतान या पूरा करने को बाधता है ट्रेडिंग सदस्य के दिवालियापन के बावजूद तथा ट्रेडिंग सदस्य के क्लियरिंग सदस्य को किसी राशि के भुगतान में असफल रहने के बावजूद।

14.26.4 चूककर्ता या स्थगित ट्रेडिंग सदस्य की देयताओं के संबंध में क्लियरिंग सदस्य द्वारा भुगतान की गई राशि या पूरी की गई बाहुयताएं उस क्लियरिंग सदस्य के प्रति ट्रेडिंग सदस्य का देय ऋण होगा तथा इस प्रकार की राशि/देयताओं वसूल करने के लिए क्लियरिंग सदस्य ट्रेडिंग सदस्य के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के लिए अधिकृत होगा।

14.26.5 अधिनियमों में उल्लिखित कोई अन्य राशि/आस्तियां समय-समय पर अधिनियमों में उल्लिखित शर्तों व अनुबंधों के अनुसार।

15.13 "निपटान जिसमें ट्रेडिंग/क्लियरिंग सदस्य को स्थगित या चूककर्ता घोषित किया गया है या जिसमें चूककर्ता को चूककर्ता घोषित किया गया है का निम्न अर्थ होगा: जब कोई ट्रेडिंग सदस्य उसके द्वारा देय किसी राशि का भुगतान करने में असफल रहने के कारण या उसके क्लियरिंग सदस्य के प्रति कोई बाहुयता पूरी न करने के कारण स्थगित या चूककर्ता घोषित किया जाता है या कोई क्लियरिंग सदस्य उसके द्वारा देय किसी राशि के भुगतान करने में असफल रहता है या किसी निपटान के संबंध में क्लियरिंग सदस्य भुगतान न करने/कार्य निष्पादन न करने के संबंध में स्थगित या चूककर्ता घोषित किया जाता है तो वह निपटान "निपटान जिसमें ट्रेडिंग/क्लियरिंग सदस्य स्थगित या चूककर्ता घोषित किया गया है या जिसमें चूककर्ता को चूककर्ता घोषित किया गया है" और जहां ट्रेडिंग/क्लियरिंग सदस्य उसके द्वारा देय किसी राशि का भुगतान करने या अपने क्लियरिंग सदस्य या क्लियरिंग हाउस को एक से अधिक निपटानों के लिए अपनी बाहुयता पूरी करने में असफल रहता है तो "निपटान जिसमें ट्रेडिंग/क्लियरिंग सदस्य को स्थगित या चूककर्ता घोषित किया गया है या चूककर्ता को चूककर्ता घोषित किया गया है" प्राधिकरण द्वारा उल्लिखित वह निपटान होगा जिसमें उस स्थगित या चूककर्ता घोषित किया गया है।

15.2(1) एक्सचेंज एक कोष स्थापित करेगा जो "डेरिवेटिव खंड ट्रेड गारंटी फंड" के रूप में जाना जाएगा।

(2) इन नियमों, उपनियमों और अधिनियमों के अन्य प्रावधानों के अनुसार कोष का उद्देश्य इन नियमों उपनियमों और अधिनियमों के तहत बिना किसी शर्त के निम्न निपटान को गारंटी देना होगा :-

- (ए) वह डेरिवेटिव अनुबंध जो एक्सचेंज के ट्रेडिंग सदस्य के आपस में हुए हो जो डेरिवेटिव खंड को निपटान प्रणाली का एक हिस्सा हों और
- (बी) उन ट्रेडिंग सदस्यों के ग्राहकों के दावे जो स्थगित कर दिए गए हैं या चूककर्ता घोषित किए गए हैं और
- (सी) उन कस्टोडियन क्लियरिंग सदस्यों के ग्राहकों के दावे जो स्थगित या चूककर्ता घोषित किए गए हैं।

किन्तु कोई भी दावे जो कपटपूर्ण हो या किसी व्यक्ति अथवा एक्सचेंज को धोखा देने के उद्देश्य से किए गए हों या अन्य धन प्रमाणिक न हों, पर विचार नहीं किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त डेरिवेटिव खंड और क्लियरिंग हाउस अपनी इच्छा से,

- (ए) सिक्युरिटी सैटलड डेरिवेटिव अनुबंध से उठने वाले दावे के निपटान में सिक्युरिटीज डिलीवर कर सकता है, या
- (बी) डेरिवेटिव खंड या क्लियरिंग हाउस द्वारा निश्चित राशि के भुगतान द्वारा इस प्रकार के सिक्युरिटी सैटलड डेरिवेटिव अनुबंध का निपटान कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त फंड की गारंटी केवल उस निपटान के लिए होगी जिसमें क्लियरिंग सदस्य स्थगित या चूककर्ता घोषित किया गया है,

(किसी अन्य निपटान के लिए नहीं)।

क्लियरिंग सदस्य द्वारा चूक पर कोष से भुगतान

15.27 यदि कोई क्लियरिंग सदस्य किसी निपटान में भुगतान में चूक/किसी बाहुयता को पूरा करने, अंतःकलता पर स्थगित या चूककर्ता घोषित किया गया है तो उस निपटान के संबंध में जिस में क्लियरिंग सदस्य स्थगित या चूककर्ता घोषित किया गया है (किसी अन्य निपटान के संबंध में नहीं) पे-आउट को सारोख पर निम्न राशि का भुगतान निम्न प्रकार से किया जाएगा :

15.27.1 फंड क्लियरिंग हाउस को उस राशि का भुगतान करेगा जो स्थगित या चूककर्ता क्लियरिंग सदस्य द्वारा (चाहे उसके खाते पर हो या किसी ऐसे ट्रेडिंग सदस्य के खाते पर जिसका वह क्लियरिंग सदस्य था या किसी ट्रेडिंग सदस्य या क्लियरिंग सदस्य के ग्राहक के खाते पर) क्लियरिंग हाउस को देय है) को निम्न निपटान में क्लियरिंग सदस्य चूककर्ता घोषित या स्थगित किया गया है उस निपटान में समय पर पूरा करने के लिए,

15.27.2 फंड क्लियरिंग हाउस को उस राशि का भुगतान करेगा जो स्थगित या चूककर्ता सदस्य द्वारा क्लियरिंग हाउस को उन सभी ट्रेडिंग सदस्यों को वकाया स्थिति के क्लोजिंग आउट या ट्रान्सफर पर जिसका वह स्थगित या चूककर्ता सदस्य क्लियरिंग सदस्य था तथा उस ट्रेडिंग सदस्य और/या उपनियमों और अन्य उपयोज्य अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार ट्रान्सफर या क्लोज आउट किए गए हो को देय है (चाहे वह उसके खुद के खाते पर जिसका वह क्लियरिंग सदस्य था या इस प्रकार के किसी ट्रेडिंग सदस्य या क्लियरिंग सदस्य के किसी ग्राहक के खाते पर),

15.27.3 इस प्रकार को अन्य राशि जो समय-समय पर अधिनियमों की शर्तों व अनुबंधों में उल्लिखित के अनुसार अधिनियमों में दी गई हो।

रिकार्ड अन्तिम होंगे

15.27.4 रिकार्डों की अंतिमता उपनियम 15.5 के अनुसार निश्चित को जाएगी।

क्लीयरिंग समिति द्वारा भुगतान

15.28 यदि चूककर्ता या स्थगित सदस्य को किसी सदस्य द्वारा कोई राशि देय है तो :—

- 1) क्लीयरिंग समिति इस प्रकार के सदस्य या ग्राहक को फंड देय किसी राशि के विरुद्ध इस राशि/दायित्व की क्षतिपूर्ति करने के लिए अधिकृत होगी।
- 2) यदि फंड से देय धन के विरुद्ध इस प्रकार की राशि/बाह्यता पूरी नहीं होती, सदस्य या ग्राहक क्लीयरिंग समिति द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर सदस्य या ग्राहक समयावधि के अन्दर सदस्य या ग्राहक क्लीयरिंग समिति को इस राशि का भुगतान नहीं करता तो यह माना जाएगा कि सदस्य या ग्राहक ने इस प्रकार की राशि के भुगतान में चूक की है।

चूककर्ता की देखाताएं पूरी नहीं की गईं

15.29 चूककर्ता या स्थगित सदस्य के दायित्वों के लिए दो गई कोई राशि या पूरे किए गए दायित्व सदस्य द्वारा एक्सचेंज को देय ऋण होगया एकाग्र और/या क्लीयरिंग समिति इस सदस्य के विरुद्ध इस राशि बाह्यता को वसूल करने के लिए उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए अधिकृत होगी।

फंड में कमी

15.31 (1) यदि उपनिबन्ध 15.27.1, 15.27.2, 15.27.3 के तहत फंड से किए जाने वाले भुगतान/डिलिवरियों के पूरे भुगतान के लिए पर्याप्त फंड नहीं है तो क्लीयरिंग समिति द्वारा 15.27.1 के तहत अन्य भुगतानों की अपेक्षा प्राथमिकता देते हुए भुगतान करेगी तथा धारा 15.27.3 के तहत भुगतान की अपेक्षा प्राथमिकता के स्तर पर धारा 15.27.2 के तहत किए गए भुगतान/डिलिवरी तथा उगी धारा के तहत आने वाली और जहां तक संभव हो फंड से यथानुपात, और इस प्रकार भुगतान/डिलिवरी के बाद बची शेष अपूर्ण बाह्यताएं क्लीयरिंग समिति द्वारा समय-समय पर अपने अन्तिम निर्णयधिकार से निश्चित की गई पद्धति के अनुसार सदस्य के विरुद्ध आकलित भिन्न राशि क्लीयरिंग सदस्य देगा।

2. यदि धारा 15.27.1, 15.27.2 और 15.27.3 को छोड़ कर किसी अन्य प्रावधान के तहत फंड से किए जाने वाले पूरे भुगतान/डिलिवरी के लिए फंड अपर्याप्त है तो क्लीयरिंग समिति यथानुपात आधार पर फंड से जितना संभव है धारा 15.27.1, 15.27.2 तथा 15.27.3 के तहत भुगतान/डिलिवरी करने के बाद फंड और % या एक्सचेंज और/या डेरिवेटिव खंड और/या क्लीयरिंग समिति और/या क्लीयरिंग हाउस इस प्रकार के भुगतान/डिलिवरी के बाद शेष अपूर्ण बाह्यताओं का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इस प्रकार के मामले में दावा करने वाले चूककर्ता या स्थगित सदस्य से सीधे दावा वसूल कर सकते हैं।

3. फंड का गारंटी और फंड से भुगतान/डिलिवरी फंड के पास उपलब्ध धन/और आस्तियों तक सीमित होगी, तथा किसी

कमी की स्थिति में एक्सचेंज, डेरिवेटिव खंड, क्लीयरिंग हाउस, शासी समिति और/या क्लीयरिंग समिति उत्तरदायी नहीं होगी। दबिस्तार चूककर्ता या स्थगित सदस्य से कमी वसूल कर सकता है।

वसूल करने के अधिकार से वंचित आदाता द्वारा पुनर्भुगतान

15.32 यदि इन उपनिबन्धों के तहत किसी राशि का भुगतान किया गया है या कोई बाह्यता पूरी की गई है और बाद में यह पता चला कि किसी कारणवश आदाता इस प्रकार की राशि पाने के लिए अधिकृत नहीं था तो आदाता क्लीयरिंग समिति या क्लीयरिंग हाउस को तत्काल इसका भुगतान कर देगा, जैसा भी मामला हो, इसके साथ उसे 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज का भी भुगतान करना होगा [या ऐसी अन्य दर जिसका क्लीयरिंग समिति उल्लेख करे], यह ब्याज उस अवधि के लिए होगा जो आदाता द्वारा प्राप्त भुगतान/भुक्तुष्टि की तारीख से शुरू होगी और इसका अन्त उस तारीख को होगा जिस पर आदाता द्वारा पुनर्भुगतान किया जाए। चूककर्ता/स्थगित सदस्य की आस्तियों व अन्य राशियों का उपयोग

15.36 क्लीयरिंग समिति चूककर्ता या स्थगित सदस्य के वे सारे धन, अधिकारों व आस्तियों को वसूल व उपयोग कर सकता है जो इन नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के तहत क्लीयरिंग समिति द्वारा लगाया गया है या वसूल किया गया है और तथा डेरिवेटिव खंड के चूककर्ता व स्थगित सदस्यों की सभी अन्य आस्तियों और धन जिसमें किसी अन्य सदस्य या ग्राहक से प्राप्त धन व आस्तियों, क्लीयरिंग हाउस या डेरिवेटिव खंड के पास रखी चूककर्ता या स्थगित सदस्य की सिक्युरिटीज, क्लीयरिंग हाउस के पास रखा क्रेडिट बेलेंस, सिक्युरिटी जमा, चूककर्ता या स्थगित सदस्य की ओर से दी गई किसी प्रकार की बैंक गारंटी, एक्सचेंज या डेरिवेटिव खंड के पक्ष में दी या ली गई सावधि जमा रसीदें, चूककर्ता/स्थगित सदस्य द्वारा एक्सचेंज के पास जमा अतिरिक्त पूंजी, चूककर्ता या स्थगित सदस्य की बाह्यताओं के लिए एक्सचेंज या क्लीयरिंग समिति के पक्ष में चूककर्ता या स्थगित सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निमित्त या स्वीकृत कोई सिक्युरिटी जो निम्न उद्देश्य से प्राथमिकता के निम्न क्रम से की गई हो :—

प्रथम—सेबी, एक्सचेंज या क्लीयरिंग हाउस को चूककर्ता या स्थगित सदस्य द्वारा देय ऋण, अंशदान, बंड, शुल्क, प्रभार या अन्य धन का भुगतान सेबी द्वारा निर्धारित प्रकार से,

दूसरा—यदि कोई बकाया हो तो उसका भुगतान फंड को उस सीमा तक किया जाएगा जिस हद तक धन का भुगतान किया गया हो या फंड द्वारा बाह्यताएं पूरी की गई हों, यदि कोई ट्रेडिंग सदस्य स्थगित या चूककर्ता, घोषित किया गया है तथा इस ट्रेडिंग सदस्य के क्लीयरिंग सदस्य ने चूक और स्थगन से संबंधित अध्याय के प्रावधानों के अनुसार ट्रेडिंग सदस्य की सब देयताएं पूरी कर दी हैं और परिणाम स्वरूप फंड से भुगतान की जाने वाली कोई राशि बाकी नहीं रही है, तब यदि कुछ बकाया हो तो उसका क्लीयरिंग सदस्य को उस हद तक भुगतान किया जाएगा जिस हद तक उसने चूक व स्थगन से संबंधित अध्याय के प्रावधानों के अनुसार ट्रेडिंग सदस्य को उसकी देयताएं पूरी करने के लिए दिया है।

तीसरा—यदि कुछ बकाया है तो उसका भुगतान एक्सचेंज के अन्य किसी खंड के किसी अन्य कोष को उस हद तक किया जाएगा जिस हद तक इन फंड में धन का भुगतान किया गया हो ;

चौथा—डैरिवेटिव खंड तथा एक्सचेंज के अन्य खंडों के नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के अनुसार यदि कुछ बकाया है तो उसका उपयोग क्लीयरिंग समिति द्वारा इस प्रकार के अन्य बकाया, ऋणों, देयताओं, बाध्यताओं व अन्य दावों (उपनियम 15.27 के तहत आने वाले दोनों को छोड़कर) के लिए किया जाएगा या जो सदस्य के इन नियमों, उपनियमों और अधिनियमों के अनुसार इन सदस्यों के चूककर्ता द्वारा किए गए अनुबंधों से उत्पन्न हों, जिन्हें क्लीयरिंग समिति ने स्वीकृत कर लिया है, किन्तु यदि उपलब्ध राशि इस प्रकार के दावों, दायित्वों बाध्यताओं व ऋणों का पूर्णतः भुगतान करने के लिए अपर्याप्त है, तो उनका भुगतान व सन्तुष्टि यथानुपात आधार पर की जाएगी।

पांचवा—डैरिवेटिव खंड और एक्सचेंज के अन्य खंडों के नियमों उपनियमों, और अधिनियमों के अनुसार यदि कुछ बकाया है तो उसका उपयोग क्लीयरिंग समिति द्वारा इस प्रकार के अमुक्त ऋणों, देयताओं, दायित्वों और दावों के भुगतान (उपनियम 15.27 के तहत आने वाले) जो चूककर्ता या स्थगित सदस्य के ग्राहकों को या इन नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के अनुसार चूककर्ता या स्थगित सदस्य द्वारा किए गए, किसी अनुबंध के कारण उत्पन्न हुए हों, व अन्य प्रकार क्लीयरिंग समिति द्वारा स्वीकृत हों, किन्तु यदि उपलब्ध राशि इस प्रकार के सब ऋणों, दायित्वों, बाध्यताओं व दावों को पूर्णतः पूरा करने में अपर्याप्त हो तो उनका भुगतान व सन्तुष्टि यथानुपात आधार पर किया जाएगा ;

छठा—डैरिवेटिव खंड व एक्सचेंज के अन्य खंडों के नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के अनुसार यदि कुछ बकाया है तो उसका उपयोग क्लीयरिंग समिति द्वारा उन अमुक्त बकाया ऋणों, देयताओं, दायित्वों व दावों के भुगतान के लिए होगा जो एक्सचेंज के सदस्यों को या से एक्सचेंज के किसी अन्य खंड के सदस्यों के डैरिवेटिव खंड और एक्सचेंज के अन्य खंडों के नियमों, उपनियमों, अधिनियमों के अनुसार चूककर्ता सदस्य के साथ किए गए अनुबंधों के कारण उत्पन्न हों और जिस प्रकार क्लीयरिंग समिति द्वारा स्वीकृत हों, किन्तु यदि उपलब्ध राशि इस प्रकार के सब ऋणों, देयताओं, दावों, बाध्यताओं दायित्वों का पूरी तरह भुगतान करने में असफल हो तो इनका भुगतान यथानुपात आधार पर किया जाएगा।

सातवा—डैरिवेटिव खंड और एक्सचेंज के अन्य नियमों, उपनियमों तथा अधिनियमों के अनुसार यदि कुछ बकाया है तो उसका उपयोग क्लीयरिंग हाउस द्वारा इस प्रकार के अमुक्त ऋणों, देयताओं दायित्वों व दावों के लिए जो चूककर्ता या स्थगित सदस्य के ग्राहकों, को या से एक्सचेंज के किसी अन्य खंड के चूककर्ता सदस्यों को डैरिवेटिव खंड और एक्सचेंज के अन्य खंडों के नियमों, उपनियमों और अधिनियमों के अनुसार किए गए अनुबंधों के कारण उत्पन्न हों और जिस प्रकार क्लीयरिंग समिति द्वारा स्वीकृत हों, किन्तु यदि उपलब्ध राशि इस प्रकार के सब ऋणों, देयताओं, बाध्यताओं,

दायित्वों व दावों का पूरी तरह भुगतान करने में असफल हो तो इनका भुगतान यथानुपात आधार पर किया जाएगा।

आठवा—यदि कुछ बकाया है तो उसका भुगतान डैरिवेटिव खंड के इन्वेंस्टर प्रोटेक्शन फंड में उस सीमा तक किया जाएगा जिस तक इन्वेंस्टर प्रोटेक्शन फंड से चूककर्ता या स्थगित सदस्य की बाध्यताओं और देयताओं को पूरा करने के लिए भुगतान किया गया है और उस पर 2% प्रति माह की दर से ब्याज इन्वेंस्टर प्रोटेक्शन फंड से भुगतान की तिथि से लेकर इन्वेंस्टर प्रोटेक्शन फंड को भुगतान की तिथि तक किया जाएगा।

नवा—यदि कुछ अतिरिक्त है तो उसका भुगतान चूककर्ता या स्थगित सदस्य को किया जाएगा।

चूककर्ता/स्थगित सदस्य की अस्तियों पर प्रभार

15.37 किसी धन के भुगतान/दायित्व की पूर्ति जो फंड के धन या सम्पत्ती से की गई हो, एक्सचेंज का फंड के लाभार्थ चूककर्ता या स्थगित सदस्य वहाँ भी हो की सभी अस्तियों व सम्पत्ति पर प्रथम अधिकार होगा या है इस धन/दायित्व की सिक्योरिटी किसी भी प्रकार की हो और इस पर ब्याज का भुगतान, प्रभार रेहन तथा ऐसे चूककर्ता या स्थगित सदस्य द्वारा निमित्त अन्य ऋणभार हों, जो फंड से किए गए इस प्रकार के भुगतान/संतुष्टि के दिन से पूर्व मृत्युवान लाभ के लिए प्रामाणिक था।

देयता का भुगतान करने की सीमा

15.45 इन नियमों, उपनियमों और अधिनियमों में अन्यत्र कुछ उल्लिखित होने के बावजूद क्लीयरिंग समिति फंड से निम्न में से किसी राशि का भुगतान या बाध्यता को पूरा नहीं करेगा :—

(1) चूककर्ता या स्थगित सदस्य द्वारा क्लीयरिंग हाउस को लागत, प्रभार खर्च, बंड या हुरजाने के रूप में देय कोई राशि,

(2) उक्त धारा 15.27.3 के तहत अधिनियमों के अतिरिक्त चूककर्ता या स्थगित सदस्य द्वारा किसी ग्राहक को देय कोई राशि,

(3) चूककर्ता या स्थगित सदस्य द्वारा ऐसे सीदे के लिए देय राशि जो डैरिवेटिव खंड या एक्सचेंज की निपटान प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है,

(4) चूककर्ता या स्थगित द्वारा ऐसे सीदे के लिए देय राशि जो क्लीयरिंग हाउस को अलावा निपटायो गई हो (यदि इस तरह की चूक या स्थगन न हुआ हो), और

(5) चूककर्ता या स्थगित सदस्य द्वारा जिस निपटान में संबंधित क्लीयरिंग सदस्य स्थगित या चूककर्ता घोषित किया गया हो को छोड़ कर किसी निपटान के लिए देय राशि।

किन्तु एक्सचेंज के किसी व्यक्ति या हिस्से को धोखा देने या छल करने के उद्देश्य से किए या अन्यथा अप्रामाणिक दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

15.47 फंड के अन्य अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, फंड अपने विकल्प से सिक्यूरिटीज डिलिवर करने या उसके मूल्य का भुगतान करने जैसा भी क्लीयरिंग समिति द्वारा निश्चित किया गया हो, बाह्यता पूरी करेगा, इस प्रकार की बाह्यता को पूर्णतः करना होगा।

प्रेरक घटना

16.3 अन्य नियमों, उपनियमों और अधिनियमों के अनुसार इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड का उपयोग उस ग्राहक की क्षतिपूर्ति के लिए किया जाएगा जिसने हानि उठाई हो और ट्रेडिंग या क्लीयरिंग सदस्य द्वारा उसे देय कोई दावा हो (ऐसा सदस्य जो अब चूककर्ता घोषित किया गया है जब :—

(1) जब दावा डेरिवेटिव खंड के उस सौदे से सीधे उत्पन्न हुआ हो जो ग्राहक और ट्रेडिंग, क्लीयरिंग सदस्य (जो चूककर्ता व स्थगित हो) के बीच डेरिवेटिव खंड के नियमों, उपनियमों और अधिनियमों के बीच हुआ हो,

(2) डेरिवेटिव खंड का सौदा क्लीयरिंग हाउस द्वारा निपटाया जा चुका है किन्तु ट्रेडिंग/क्लीयरिंग सदस्य द्वारा जिस संदर्भ में डेरिवेटिव अनुबंध हुआ था उसकी बाह्यता संबंधित ग्राहक के प्रति पूरी नहीं की गई है, और

(3) चूक और स्थगन के अध्याय के या डेरिवेटिव खंड ट्रेड गारन्टी फंड के संबंध में फंड से सम्बन्धित अध्याय के तहत क्लीयरिंग सदस्य द्वारा हानि देय नहीं है।

(4) दावा डेरिवेटिव खंड द्वारा समय-समय पर उल्लिखित अन्य आवश्यकताओं को पूरा करे।

सेबी के 21 मई 2001 के पत्र संख्या आई० ई० एस०/डी० सी०/29023/01 के अनुसार यथावत स्वीकृत एक्सचेंज पर ऑप्शन ट्रेडिंग की सुविधा देने के लिए एक्सचेंज के नियमों, उपनियमों और अधिनियम, डेरिवेटिव खंड के नियमों में संशोधन

1.1बी “स्वीकृत कार्यालय” का अर्थ है डेरिवेटिव खंड में पंजीकृत ट्रेडिंग/क्लीयरिंग सदस्य का कार्यालय और इसमें व सभी परिसर आते हैं जहां से ट्रेडिंग/क्लीयरिंग सदस्य को ट्रेडिंग खंड द्वारा ट्रेडिंग प्रणाली पर सौदे करने या कार्यालय संबंधी कार्य या डेरिवेटिव खंड संबंधी अन्य कार्य करने की अनुमति हो।

1.1 “अमेरिकन स्टॉक ऑप्शन” का अर्थ है ऑप्शन अनुबंध जिन्हें ऑप्शन धारक इस प्रकार के अनुबंध के समाप्त होने या पूर्व किसी भी समय अनुबंध की शर्तों के अनुसार तथा उस समय डेरिवेटिव खंड व क्लीयरिंग हाउस द्वारा उल्लिखित प्रकार से सम्पन्न कर सकता है।

1.1ए “राशि” देयता के संबंध में यदि अन्य प्रकार से उल्लिखित न हो, तो इसमें सभी देयताएं आता है चाहे वह धन के रूप में देय हो या सिक्यूरिटी डिलिवर करने की बाध्यता हो या अन्यथा, जसा भी संदर्भ हो और “राशि का भुगतान” के लिए किसी भी बात का उसी के अनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

1.6 “काल ऑप्शन” का अर्थ है वह ऑप्शन अनुबंध जो ऑप्शन अनुबंधक धारक/खरीददार को अधिकार देता है (लेकिन

बाह्यता नहीं लगाता) कि वह पूर्व निर्दिष्ट मूल्य पर उस सिक्यूरिटी को खरीद ले।

1.8 “नकद निर्णीत डेरिवेटिव अनुबंध” का अर्थ है वह डेरिवेटिव अनुबंध जिन्हें शर्तों के अनुसार नकद निपटान द्वारा किया जाता है।

1.21ए “यूरोपियन स्टॉक ऑप्शन” का अर्थ है ऐसे ऑप्शन अनुबंध जिन्हें ऑप्शन धारक अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंध समाप्त होने की तारीख के बाद सम्पन्न कर सकता है।

1.22ए “निष्पादन” का अर्थ है ऑप्शन अनुबंध की शर्तों के अनुसार ऑप्शन अनुबंध के तहत ऑप्शन धारक के अधिकारों का निष्पादन।

1.22 बी. “निष्पादन मूल्य” या “स्ट्राइक प्राइस” का अर्थ वह मूल्य जिस पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार ऑप्शन अनुबंध के निष्पादन पर निर्धारित सिक्यूरिटी का क्रय-विक्रय जा सके।

1.22सी. “निष्पादन दिन” ऑप्शन अनुबंध के संदर्भ में उसका अर्थ वह दिन होगा जिस दिन ऑप्शन अनुबंध का निष्पादन हुआ हो।

1.23 “समापन दिवस” का अर्थ वह दिन होगा जिस दिन डेरिवेटिव अनुबंध की शर्तों के अनुसार डेरिवेटिव अनुबंध की अन्तिम भुगतान देयता निश्चित होगी।

1.33 “ओपन इंटरैस्ट” का अर्थ है निर्धारित सिक्यूरिटी के कल डेरिवेटिव अनुबंध जिनकी विरोधी डेरिवेटिव सौदे द्वारा क्षतिपूर्ति या समाप्ति नहीं की गई हो, ना ही निर्धारित सिक्यूरिटी के नकद भुगतान या डिलिवरी द्वारा उसे पूरा किया गया हो, ना ही ऑप्शन निष्पादन द्वारा उसका निपटारा किया गया हो, न ही ऑप्शन खतम होने पर उसकी समाप्ति हुई हो। ऑप्शन व्याज की गणना के लिए डेरिवेटिव अनुबंध के केवल एक पक्ष को ही गिना जाएगा।

1.36 “ऑप्शन अनुबंध” का अर्थ है एक प्रकार का डेरिवेटिव अनुबंध जो अनुबंध के खरीददार/धारक को निर्धारित सिक्यूरिटी पूर्वनिश्चित मूल्य पर उल्लिखित अवधि के अन्त में या उल्लिखित तारीख को खरीद या बेच का अधिकार (किन्तु बाह्यता नहीं) देता है, जिसका निपटारा ऑप्शन अनुबंध की शर्तों के या जिस प्रकार दिया गया हो और इस नियमों उपनियमों व अधिनियमों के अनुसार होगा।

1.36 ए. “ऑप्शन होल्डर” का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने ऑप्शन अनुबंध खरीदा है लेकिन उसका सम्पादन नहीं किया है या उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की है।

1.36 बी. “ऑप्शन प्रीमियम” या प्रीमियम का अर्थ है वह राशि जो ऑप्शन का खरीददार ऑप्शन विक्रेता को ऑप्शन अनुबंध के तहत अधिकार को खरीद के लिए देता है।

1.36 सी. "ऑप्शन क्लॉस" या "क्लॉस ऑफ ऑप्शन" का अर्थ है एक समान शर्तों व समापन तारीख वाले सभी ऑप्शन अनुबंध और इनकी निर्धारित सिन्डुरिटी भी एक समान है। वशर्त विभिन्न-विभिन्न निष्पादन मूल्य के होते हुए भी आप्शन अनुबंध उसी श्रेणी में आए हुए माने जाएंगे।

1.36 डी. "ऑप्शन सेरीज" का अर्थ है समान निष्पादन मूल्य वाले समान श्रेणी के आप्शन अनुबंध।

1.37 "आप्शन ले राइटर" का अर्थ है वह व्यक्ति जो डेरिवेटिव खंड द्वारा ऑप्शन अनुबंध लिखने के लिए अनुमत हो अर्थात् ऑप्शन अनुबंध के खरीदार/धारक का प्रतिपक्षी बनता।

ऑप्शन अनुबंध के तहत नियमों, उपनियमों अधिनियमों के तहत आप्शन राईटर ऑप्शन अनुबंध की शर्तों के अनुसार ऑप्शन अनुबंध के खरीदार/धारक के आप्शन/अधिकार का निष्पादन करने पर ऑप्शन अनुबंध के खरीदार/धारक से या कोई निर्धारित सिन्डुरिटीज खरीद या बिक्री (जैसा भी मामला हो) के लिए बाध्य होगा। हालांकि आप्शन स्थिति निर्माण न कर सकने वाला व्यक्ति जो आप्शन अनुबंध बेचना है ऑप्शन राइटर नहीं माना जाएगा।

1.38 "वकाया बाध्यता" का अर्थ है डेरिवेटिव खंड से सम्बन्धित बाध्यता जिसका भुगतान नहीं किया गया है या क्षतिपूर्ति नहीं की गई है।

1.40 "गुट आप्शन" का अर्थ है ऐसा आप्शन अनुबंध है जो ऑप्शन अनुबंध के खरीदार/धारक को निर्धारित सिन्डुरिटी का पूर्व निर्धारित मूल्य पर बेचने का अधिकार (लेकिन बाध्यता नहीं लगाता) देता है।

1.44 ए "सिन्डुरिटीज सैटलड डेरिवेटिव अनुबंध" का अर्थ है ऐसा डेरिवेटिव अनुबंध जो अपनी शर्तों के अनुसार निर्धारित सिन्डुरिटीज की डिलिवरी द्वारा निपटाया जाएगा।

1.46 "निपटान नियम" का अर्थ है वह तारीख जिस पर डेरिवेटिव अनुबंध की वकाया बाध्यताओं को डेरिवेटिव अनुबंध की शर्तों के तथा इन नियमों, उपनियमों और अधिनियमों के अनुसार निपटाया जाना आवश्यक होगा।

1.52 "अंडर लाइंग सिन्डुरिटी" का अर्थ है ऐसी सिन्डुरिटीज जिसमें डेरिवेटिव अनुबंध जुड़ा है और जिसमें सूचकांक ऋण पत्र, शेयर, ऋण, जोखिम पत्र, व्याज दर, विनियम दर अंतर के लिए अनुबंध या डेरिवेटिव अनुबंध से जुड़ी अन्य विभिन्नताएं शामिल हैं।

क्लीयरिंग सदस्य के रूप में पंजीकरण की शर्तें

2.10 क्लीयरिंग सदस्य के रूप में पंजीकरण का कोई भी व्यक्ति पात्र नहीं होगा।

व्यक्ति या बोर्डो कॉर्पोरेट

(1) जब तक युद्ध व्यक्ति या बोर्डो कॉर्पोरेट नहीं, पूर्व अस्वीकृत

(2) यदि पूर्व में डेरिवेटिव खंड के क्लीयरिंग सदस्य के रूप में उसको पंजीकरण के लिए अस्वीकृत किया गया हो, इस प्रकार की अस्वीकृति की तारीख को समाप्त हुए यदि तीन महीने का समय बीत गया हो तो उस स्थिति को छोड़कर।

वित्तीय सुदृढ़ता

(3) जब तक उसके पास न्यूनतम नैटवर्क न हो, नकद और/या बाजार योग्य सिन्डुरिटी के रूप में न्यूनतम कार्यकारी पूंजी न हो, तथा शासी समिति द्वारा समय-समय पर निश्चित की जाने तथा स्वीकृति योग्य प्रकार व मूल्य की अस्तियां न हो सेबी से स्वीकृत प्रमाण पत्र कार्यक्रम

(4) जब तक वह और/या उसके भागीदारों की ऐसी संख्या एक्सचेंज के नकद खंड पर व्यवसाय करने वाली शासी बोर्ड से स्वीकृत भागीदारी फर्म या अन्य मामलों में शासी बोर्ड से स्वीकृत और/या नामित निदेशक (इन व्यक्तियों के बोर्डो कॉर्पोरेट होने की स्थिति में) और/या कर्मचारी जिसे शासी बोर्ड और/या सेबी ने सेबी स्वीकृत प्रमाण पत्र कार्यक्रम का पात्र न हो

सेबी की आवश्यकताएं

(5) जब तक वह व्यक्ति सेबी पर डेरिवेटिव खंड के क्लीयरिंग सदस्य के रूप में पंजीकरण के लिए सेबी द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करता हो, और

शासी समिति की आवश्यकताएं

(6) जब तक वह व्यक्ति शासी समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य ऐसे कार्यक्रमों को पूरा न करे। वशर्त, शासी समिति द्वारा (6) के अंतर्गत किसी आवश्यकता के अनुपालन को खत्म करके, यदि पंजीकरण का दृष्टिकोण व्यक्ति साधन, स्थिति, ईमानदारी ज्ञान व सिन्डुरिटीज के व्यवसाय में अनुभवी है तो शासी समिति द्वारा अन्य प्रकार के क्लीयरिंग सदस्य के रूप में पंजीकरण के योग्य माना गया हो।

नई शान

2.11 सामान्यतः भागीदारी फर्म डेरिवेटिव खंड के ट्रेडिंग/क्लीयरिंग सदस्य के रूप में पंजीकृत किए जाने की पात्र नहीं होगी।

व्याख्या:—जबकि ट्रेडिंग/क्लीयरिंग सदस्य के रूप में केवल कोई व्यक्ति या बॉन्डो कॉर्पोरेट हो पंजीकृत किया जा सकता है इस प्रकार की ट्रेडिंग/क्लीयरिंग सदस्यता का काम ट्रेडिंग/क्लीयरिंग सदस्य भागीदारी में भी कर सकता है, बशर्ते इस प्रकार की भागीदारी एक्सचेंज के शासी बोर्ड या शासी समिति द्वारा पहले से ही स्वीकृत हो ऐसे क्लीयरिंग सदस्य के मामले में जो एक्सचेंज का सदस्य के मामले में जो एक्सचेंज का सदस्य नहीं है) और इस प्रकार के मामले में भागीदारी तथा भागीदारों से संबंधित एक्सचेंज के नियम, उपनियम और अधिनियम आवश्यक परिवर्तन सहित इस प्रकार के ट्रेडिंग/क्लीयरिंग सदस्य और इस प्रकार की फर्मों तथा भागीदारों पर डेरिवेटिव खंड के संबंध में लागू होंगे।

जमा का प्रत्यर्पण

4.2 डी. ट्रेडिंग/क्लीयरिंग सदस्य की प्रत्यर्पणीय सिक्कुरिटी जमा उसे वापस लौटा दी जाएगी बशर्ते शासी समिति व क्लीयरिंग समिति इस बात से सन्तुष्ट हो कि उसकी सभी बकाया देयताएँ पूरी कर ली गई हैं, उसकी सभी बकाया देयताएँ पूरी कर ली गई हैं, उसकी सभी खुली स्थिति और बकाया देयताएँ तथा एक्सचेंज, क्लीयरिंग हाउस, एक्सचेंज के सदस्यों, अन्य ट्रेडिंग/क्लीयरिंग सदस्यों और उसके ग्राहकों के प्रति इन सब की बन्द किया या निपटाया जा चुका है। इस प्रकार की सन्तुष्टि के बाद शासी समिति तथा क्लीयरिंग समिति सिक्कुरिटी जमा से बकाया राशि का भुगतान कर सकती है जो शासी समिति व क्लीयरिंग समिति के इस प्रकार सन्तुष्ट होने के तीन महीने की अवधि के अन्दर होगा और वह राशि बचाए रखने के बाद होगा जो शासी समिति या क्लीयरिंग समिति ट्रेडिंग/क्लीयरिंग सदस्य की सम्भावित भावी देयताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे।

गत सदस्यों की देयताएँ

5.5 ट्रेडिंग/क्लीयरिंग सदस्य जो किसी कारण ट्रेडिंग/क्लीयरिंग सदस्य नहीं रहता फिर भी उन सभी देयताओं के लिए उत्तरदायी होगा और सभी राशि देगा तथा वे सभी दायित्व पूरा करेगा जो उसके ट्रेडिंग/क्लीयरिंग सदस्य न रहने के समय एक्सचेंज, डेरिवेटिव खण्ड, क्लीयरिंग हाउस, डेरिवेटिव खण्ड ट्रेड गारण्टी फण्ड, नकद खंड ट्रेड गारण्टी फंड, एक्सचेंज के किसी सदस्य, किसी अन्य ट्रेडिंग/क्लीयरिंग सदस्य तथा ट्रेडिंग/क्लीयरिंग सदस्य के किसी ग्राहक के प्रति देय होता।

चन्दा व अन्य शुल्क देने में असफलता

5.6 इन नियमों, उपनियमों और अधिनियमों में अन्यथा दिए हुए को छोड़कर यदि कोई ट्रेडिंग/क्लीयरिंग सदस्य अपना वार्षिक चन्दा, शुल्क प्रभार या अन्य पैसा

या देयताएँ देने में अतकत रहता है या एक्सचेंज, डेरिवेटिव खंड, क्लीयरिंग हाउस या डेरिवेटिव खंड ट्रेड गारण्टी फंड किसी देयता को उसे नोटिफ दिए जाने के एक महीने के अन्दर (या शासी समिति या क्लीयरिंग समिति द्वारा उल्लिखित कोई अन्य अवधि पूरा करने में अतकत रहता है तो शासी समिति या क्लीयरिंग समिति द्वारा उसे स्वयं निभाना किया जा सकता है तब तक के लिए जब तक वह भुगतान करे और यदि फिर भी छह महीने के अन्दर वह भुगतान करने में अफसत रहता है तो शासी समिति या क्लीयरिंग समिति द्वारा उसे निष्काषित किया जा सकता है। इस पैरा में दिया कुछ भी ट्रेडिंग/क्लीयरिंग सदस्य के माजिन का भुगतान करने या अन्य निपटान भुगतान या अन्य देय राशियों का कम अवधि में तुरन्त जित प्रकार भी देय हो भुगतान को घटाएगा नहीं।

THE CALCUTTA STOCK EXCHANGE ASSOCIATION LIMITED, KOLKATA-700001

Amendment of Clause VI and Clause XXVII under Chapter XVIII of The Bye-Laws and Regulations of Settlement Guarantee Fund of The Calcutta Stock Exchange Association Limited as per SEBI's directive under Ref. No. SMDRP/Policy/Cir.-16/2001 dated 9-3-2001 and the same was approved at the Committee Meeting of The Calcutta Stock Exchange Association Ltd. on 12th March, 2001.

VI. Administrative and utilisation of the fund and income of the fund

1. The Settlement Guarantee Fund maintained by the Exchange may be utilised for meeting the shortage arising out of the non-fulfilment/partial fulfilment of the funds obligations by the members in a settlement before declaring the concerned member defaulter and also for such purposes of the SGF as may be stipulated by the Bye-laws and Regulations subject to the following:

- (a) In cases where amount shortage are in excess of the base minimum capital (BMC) prescribed, the trading facility of the member is withdrawn and the securities Pay-out due to the member is withheld. In cases where the amount of shortage exceed 20% of the BMC and is less than the BMC on six occasions within a period of three months, the trading facility of the member is withdrawn and the securities pay-out due to the member is withheld. On recovery of the complete shortage, the member is permitted to trade with a reduced gross exposure as mentioned in the table below:

Cumulative Funds Shortage—Exposure limit allowed (% of current exposure limit)

20% of BMC—50% of BMC—80%
50% of BMC—100% of BMC—60%

This reduced gross exposure level is maintained for a period of four settlements. If the cumulative funds shortages for the next 4 settlements is less than 20% of BMC, the exposure limits shall be restored. The exposure limit may be restored if a member provides a cash deposit equivalent to his cumulative funds shortage as the funds shortage collateral in his clearing account. Such

deposit will be kept with the Exchange for a period of 4 settlements and will be released only if no further funds shortages are reported for the member in next 4 consecutive settlements. There is no exposure benefit nor any interest payment on this amount so deposited as 'funds shortage collateral'. Members may deposit the 'funds shortage collateral' by way of cash, FDR or Bank Guarantee.

- (b) The outstanding amount would carry a penal interest of not less than 0.09% per day.
- (c) To defray the expenses of creation, maintenance, administration and repayment of SGF.
- (d) To meet premium on insurance cover(s) which the relevant authority may take from time to time.
- (e) To meet shortfall and deficiencies arising out of the clearing and settlement of the deals as provided in the Bye-Laws and Regulations.
- (f) To satisfy any loss or liability of the clearing house arising out of clearing and settlement operations of deals as provided in the Bye-Laws and Regulations.
- (g) To any other purpose of the SGF as may be specified by the Defaulters' Sub-Committee from time to time.

2. Save as otherwise expressly provided in the Bye-Laws and Regulations, the Settlement Guarantee Fund shall not be utilised for any other purpose.

3. No income of SGF would be distributed or paid to any member or person as part of profit, or as dividend or distribution of profit save and except as discharge of liability of SGF under these Bye-Laws.

4. The SGF shall have full power and authority to transfer in its own name, create a security in, or assign any or all of a settlement fund cash, securities or other instruments in which the settlement fund is invested and securities deposited by a member in favour of the SGF towards a settlement guarantee fund.

The Defaulters' Sub-Committee may from time to time invest the assets and income of SGF in any approved investment under the Income Tax Act and change investments from time to time.

Class-XXVII : Members failure to pay amount into Clearing House

The third para under the heading 'explanation' pertaining to clause-XXVII sub-clause (A) is substituted by the following :

"In the event of a member fails to meet obligations to the clearing house of the Exchange arising out of clearing and settlement operations of such deals as provided in the Bye-Laws and Regulations, the relevant authority may utilise the Settlement Guarantee Fund (SGF) and other monies to the extent necessary to fulfil the obligations under such terms and conditions as the relevant authority may specify from time to time." Thereafter President or any two members of the Committee shall declare the member as a defaulter.

INSERTION OF RULE 274—307 IN THE RULES, BYE-LAWS & REGULATIONS OF THE EXCHANGE PERTAINING TO THE CLEARING HOUSE AND THE CLEARING COUNCIL OF THE EXCHANGE DULY APPROVED BY SEBI VIDE ITS LETTER NO. SMDRP/SE/MD-1/BSF/11729/2000 DATED 24TH JULY, 2000

RULES PERTAINING TO CLEARING HOUSE, CLEARING COUNCIL

Clearing Council

274. Without prejudice to the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange and of any segment of the Exchange, the regulation, management and control of the

Clearing House shall vest in the Clearing Council.

Composition of Clearing Council

275. The composition of the Clearing Council shall be prescribed by the Regulations. Provided that there shall not be more than seven members on the Clearing Council. Provided further that no member of the Exchange and no Trading or Clearing Member on any segment of the Exchange shall be a member of the Clearing Council. Any appointment to the Clearing Council will be subject to approval of Securities & Exchange Board of India.

Chief Executive Officer

276. The Clearing Council shall appoint as a whole-time Chief Executive Officer of the Clearing House any person who in its opinion is suitable for the office on such terms and for such period as it may determine. During his tenure of office the Chief Executive Officer shall neither directly or indirectly be an active member of the Exchange nor shall he be a party to or be concerned in any speculative dealing on the Exchange or with any member of the Exchange. The person appointed as Chief Executive Officer shall not directly or indirectly engage himself in any business during his tenure of office and if he is a member of the Exchange or a Trading Member or a Clearing Member on the Derivatives Segment or is a partner, director, shareholder or representative of a member of the Exchange or of a Trading Member or of a Clearing Member then he or such member or Trading/Clearing Member (as the case may be) shall not directly or indirectly carry on any business on the Exchange. Subject to the over-all management of the operations of the Clearing House being vested in the Clearing Council as provided in these Rules, Bye-laws and Regulations, the Chief Executive Officer shall be vested with the executive powers of the Clearing House to run the day-to-day administration and to enforce the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange and also of any segment of the Exchange applicable to the Clearing House and to represent the Clearing House in any public matter and to exercise all other powers, rights, duties and functions as are vested in the Chief Executive Officer of the Clearing House under the Rules, Bye-laws and Regulation of the Exchange and also of any segment of the Exchange and/or as may be entrusted or delegated to him by the Clearing Council from time to time. The Chief Executive Officer shall cease to be a member of the Clearing Council if he ceases to hold the office of Chief Executive Officer.

Office Bearers

277. The members of the Clearing Council shall elect from amongst themselves the Chairman of the Clearing Council and the Clearing House within a period of 10 days from the constitution of Clearing Council.

Vacancy in the Office of Chairman

278. In case a vacancy shall occur in the office of Chairman, the Clearing Council shall fill the vacancy by electing an Acting Chairman from among the members of the Clearing Council.

POWERS OF THE CLEARING COUNCIL

Jurisdiction

279. Without prejudice to the rights of inspection and other rights of the Exchange the Derivatives Segment and other authorities, the Clearing Council shall have complete jurisdiction over all the members of the Exchange and Clearing Members in relation to clearing and settlement of trades, surveillance, supervision and inspection and other matters related thereto. The Clearing Council shall have the absolute power and right to interpret all the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange and of any segment of the Exchange insofar as they relate to the clearing and settlement of trades, surveillance, supervision, inspection and other matters related thereto and to decide all points, questions and disputes relating to the Clearing House and matters relating to the administration, functions, working and affairs of the Clearing House. Notwithstanding anything contained elsewhere in these Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange, any interpretation or decision made by the Clearing Council in respect of the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange relating to the clearing and settlement of trades, surveillance, supervision, inspection and other matters related thereto shall be final and conclusive and binding on all members of the Exchange, all Trading

Members, Clearing Members, their directors, partners, agents, representatives, officers, employees and Clients and Constituents and on all persons dealing through or with the members, Trading Members and Clearing Members.

General Powers

280. Without prejudice to the rights of inspection and other rights of the Exchange, the Derivatives Segment and other authorities, the management and control of the operational functions, working and affairs of the Clearing House, the regulation of the conduct of the members of the Exchange Clearing Members, their directors, partners, agents, representatives, officers, employees and Clients/Constituents in relation to clearing and settlement of trades, surveillance, supervision, inspection and other matters related thereto and the promotion of the welfare, objects and purposes of the Clearing House (but not the management or control of any properties, finances or funds of the Exchange or of its income or expenditure, whether or not pertaining to the Clearing House) shall, subject to these Rules, Bye-laws and Regulations, vest in the Clearing Council. In the exercise of such powers it may from time to time adopt such Regulations, pass such resolutions, issue such orders, notices and directions and take such decisions relating to the Clearing House as it may deem appropriate. More particularly, in furtherance and not in limitation of the foregoing powers, and without prejudice to the generality of the foregoing powers and to any power or authority impliedly or expressly conferred by any Rule, Bye-law or Regulation of the Exchange and of any segment of the Exchange for the time being in force the Clearing Council is specially authorised, subject to any Rule or Bye-law for the time being in force, to exercise the powers in relation to clearing and settlement of trades, surveillance, supervision, inspection and other matters related thereto in the sense of the provisions in that behalf contained in the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange and of any segment of the Exchange.

Powers

281. In the exercise of its powers, and in compliance with SEBI guidelines, if any, the Clearing Council shall be deemed empowered to do any of the following or similar acts or things or use any of the following or similar authorities in connection with the clearing and settlement of trades, surveillance, supervision, inspection and other matters related hereto namely —

Committees

- (i) to appoint committees;

Casual Vacancies

- (ii) to fill casual vacancies in any committee;

Recommending Expulsion and Control of Members

- (iii) to recommend to the Governing Board or the Governing Council the registration of Clearing Members and expulsion of members of the Exchange, Trading and Clearing Members.

Controlling Members

- (iv) to control, warn, censure, fine and suspend, and withdraw all or any of the rights of, the members of the Exchange (for any default relating to clearing and settling) and Clearing Members, to declare Clearing Members as defaulters and recommend to the Governing Board or the Governing Council, declaration of default of members of the exchange or Trading Members (for any default relating to clearing and settling). The Clearing Council may also suspend the operations of a Trading Member after consultation with the Governing Council for any default relating to clearing and settling.

Control of Partners, Attorneys, Agents and Employees

- (v) to control, warn, censure, fine, suspend, and exercise supervision over directors, officers, representatives, partners, attorneys, agents, authorised clerks, Approved Users, Authorised Persons and employees of members of the Exchange and Clearing Members;

Investigation

- (vi) to examine and investigate the financial conditions, business conduct and dealings of the members of the Exchange Trading Member and Clearing Members;

Attendance and Information

- (vii) to call upon any member of the Exchange, Trading Members or Clearing Member, his directors, officers, representatives, partners, attorneys, agents, authorised clerks, Approved Users, Authorised Persons and employees to appear and testify before the Clearing Council or the Chief Executive Officer of the Clearing Council or the Chairman of the Clearing Council or before a committee or an officer of the Clearing House authorised in that behalf and to furnish to the Clearing Council or to the Chief Executive Officer or the Chairman of the Clearing Council or to a committee or an officer of the Clearing House authorised in that behalf, such books, papers, documents, correspondence, clearing forms and any other records or information in his or their possession which may be deemed relevant or material to any matter under inquiry or investigation or which the Clearing Council, Chief Executive Officer, Chairman, committee or officer in its or his absolute discretion deems necessary in the interest of just and equitable principles of trade or in the public interest or in the interest and welfare of the Clearing House or the Exchange or Investors.

Imposition of Penalties

- (viii) to prescribe from time to time and impose penalties for violation of these Rules, Bye-laws and Regulations relating to clearing and settlement and for neglect or failure or refusal to comply with resolutions, orders, notices, directions or decisions of the Clearing Council or the Chief Executive Officer of the Clearing Council or the Chairman of the Clearing Council or of any committee or officer of the Clearing House authorised in that behalf or for any infraction against the Clearing House the penalty for which is not specifically prescribed.

Enforcement of Rules, Bye laws and Regulations

- (ix) to enforce the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange or any segment of the Exchange insofar as they relate to the Clearing House and clearing and settlement of trades, surveillance, supervision, inspection and other matters related thereto and take cognisance of breaches thereof and offences against them;

Regulation of Functioning

- (x) to determine from time to time the mode and conditions subject to which the Clearing House and clearing and settlement of contracts/trades, surveillance, supervision, inspection and other matters related thereto shall function;

Fees and Charges

- (xi) to fix from time to time and collect from members of the Exchange and Clearing Members in addition to the dues and charges provided for in these Rules, Bye-laws and Regulations and such other charges of fees as may be deemed necessary or desirable for the functioning of the Clearing House;

Appointment of Employees

- (xii) to appoint and at its discretion to suspend or remove such permanent, temporary or special employees pertaining to the Clearing House, to determine their powers, duties and terms of remuneration to establish, maintain or subscribe to for their benefit any provident or benefit funds, pensions, gratuities, compensation or insurance schemes and to make and alter service and other rules and regulations in that behalf and may from time to time think fit;

Facilities

- (xiii) to provide from time to time such facilities as may be necessary for the functioning of the Clearing House;

Powers and Rights

- (xiv) to award contracts for managing the Clearing House (for the Derivatives Segment, Cash Segment or for any other segment of the Exchange);

Monitoring of Payments

- (xv) to monitor payment obligations of members of the Exchange and Clearing Members (for the Derivatives Segment and/or Cash Segment and/or any other Segment of the Exchange);

Surveillance

- (xvi) the surveillance, supervision and inspection of the members of the Exchange Clearing Members and of the clearance and settlement system and all matters related thereto;

Security Management

- (xvii) to manage all security, margins and collateral;

Suspensions

- (xviii) to suspend Clearing Memberships in the Derivatives Segment, the Cash Segment and any other segment of the Exchange for default in meeting obligations;

Fees

- (xix) to levy charges on members for usage of facilities;

Disciplinary Action Committee

- (xx) to recommend to the Disciplinary Action Committee of the Cash Segment Derivatives Segment and/or any other segment of the Exchange disciplinary action for defaults, price rigging, market manipulations, front running or any other improper, unethical unfair or fraudulent practice;

Compliance and Monitoring

- (xxi) to monitor net worth criteria, compliance and composition, security deposit criteria, compliance and composition and the financial condition of members of the Exchange, Trading Members and Clearing Members;

Margin Collection

- (xxii) to levy, monitor, decide, arrange for collection of and collect margins of all types;

Clearing Session

- (xxiii) to fix and hold special clearing sessions;

Settlement Schedules

- (xxiv) to fix normal settlement schedules;

Annulment of Trades

- (xxv) to recommend to the Governing Council or the Governing Board annulment of trades/contracts in any segment;

General Control

- (xxvi) to decide and from time to time adopt resolutions, issue orders, notices and directions in respect of matters relating to the Clearing House not provided for in these Rules, Bye-laws and Regulations;

Review

- (xxvii) to review, reconsider, modify or rescind any resolutions, orders, notices, directions and decisions relating to the Clearing House;

General Power

- (xxviii) generally to supervise and direct all matters affecting the Clearing House.

Limitation of Powers

282. Notwithstanding anything stated elsewhere in these Rules, Bye-laws and Regulations, the Clearing Council shall not have any powers in respect of the properties, finances or funds of the Exchange (whether or not relating to the Clearing House) and shall not be entitled to incur any financial liability or obligation (where contractual or otherwise and whether contingent or otherwise) on behalf of the Exchange or do any act or deed which may affect the Exchange's finances, funds or properties, save and except as may be expressly delegated by the Governing Board to the Clearing Council.

Suspension of Rules, Bye-laws and Regulations

283. The Clearing Council may by a special resolution waive or dispense with the strict enforcement or suspend the operation in part or in whole of any of the Rules, Bye-laws or Regulations of the Exchange (other than Rule 283 of this Rule) in regard to any person or persons, security of securities or matter or matters relating to the Clearing House or to the clearing and settlement of trades, surveillance, supervision and inspection.

Provided that the Clearing Council shall not waive or dispense with the strict enforcement or suspend the operation in part or in whole of any Rules, Bye-laws or Regulations continuously for a period exceeding three days except with the approval of SEBI :

Finality of Clearing Council Resolution

284. Any resolution passed by the Clearing Council under the powers or authority conferred upon it by the provisions of any of these Rules or Bye-laws relating to the Clearing House shall not be added to, altered, varied or rescinded by the members of the Exchange or the Trading Members in general meeting and all such resolutions shall when they come into force be deemed valid and binding upon all members, Trading Members and Clearing Members, their directors, officers, representatives, partners, attorneys, agents, authorised clerks, Approved Users, Authorised Persons, employees, Clients/Constituents and all those dealing with or through them.

Decision of Clearing Council Final

285. Notwithstanding anything stated elsewhere in the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange, in all matters relating to the Clearing House or clearing and settlement of trades, surveillance, supervision, inspection and other matters related thereto which are brought under the consideration of the Clearing Council, its decision whether expressed by a resolution or otherwise shall be final and must be carried out forthwith by every member of the Exchange, Trading Member and Clearing Member concerned and by his directors, officers, representatives, partners, attorneys, agents authorised clerks, Approved Users, Authorised Persons, employees, Clients/Constituents and all those dealing with or through them.

Delegation of Powers

- (a) The Clearing Council may subject to such conditions as it may think fit delegate such of its powers as it may from time to time determine to the Chief Executive Officer of the Clearing Council or the Chairman of the Clearing Council or to committees appointed out of members of the Clearing Council or any other person(s) and may likewise delegate the performance of such ministerial and administrative duties as it may deem expedient to the Chief Executive Officer or to the Chairman or to committees composed of members of the Clearing Council and/or to any officer of the Clearing House and/or any other person(s). Provided, that Trading/Clearing Members shall not be eligible to be appointed to any committee.

Review

- (b) A person affected by a decision of the Chief Executive Officer or the Chairman or a Committee or an Officer of the Clearing House or any other person acting under powers delegated by the Clearing Council as provided in sub-clause (a) may require a review by the Clearing Council within seven days after the decision has been rendered.

Delegation of Powers in Emergency

286. Whenever the Clearing Council in its discretion is of the opinion that an emergency exists it may by a special resolution delegate all of its powers for such period as it may determine to the Chief Executive Officer of the Clearing House or to the Chairman of the Clearing House or to a special committee appointed out of the members of the Clearing Council from whose decision there shall be no appeal.

Indemnity to the Exchange and Clearing Council

287. The Clearing House and the Clearing Council and its members shall in no way either collectively or individually be held liable by any person for any act or omission on its part or on the part of any employee of the Clearing House done or omitted to be done in good faith in the due discharge of duties and in the execution or purported execution of their duties or of any powers, authorities or discretion vested in them including all liabilities, costs, losses or expenses consequent on any mistake, oversight or omission on their part and they shall be fully indemnified by the Exchange out of its funds for anything so done or omitted to be done.

Meetings of the Clearing Council

288. The Clearing Council may meet for the despatch of business, adjourn and otherwise regulate its meetings as it deems fit.

Ordinary Meetings

289. Ordinary meetings of the Clearing Council may be called by the Chief Executive Officer or the Chairman of the Clearing House as directed by the Clearing Council at any time.

Chief Executive Officer or Chairman May Call Special Meeting

290. (a) The Chief Executive Officer or the Chairman of the Clearing House may at any time call a special meeting of the Clearing Council.

Special Meeting on Requisition

- (b) The Chief Executive Officer shall call a special meeting of the Clearing Council within twenty-four hours of the receipt of a requisition to that effect signed by two or more members of the Clearing Council failing which any two of the signatories may call such meeting.

Urgent and Emergency Meetings

291. In case of urgency a special meeting may be called at less than twenty-four hours' notice and in case of an emergency, one hour's notice of a special meeting shall be deemed sufficient.

Notice of Special Meeting

292. (a) A notice calling a special meeting shall state the purpose for which it is called. In the case of an urgent or emergency meeting the notice shall state the nature of the urgency or the emergency and the business to be transacted at the meeting and no other business shall be transacted at such meeting.

Business When Not to be Stated

- (b) Notwithstanding anything contained in sub-clause (a) when the Chief Executive Officer or the Chairman is of the opinion that the matter is confidential

or of a nature not advisable to disclose he may direct that the notice calling a special meeting shall not state the business and/or the urgency or emergency of the special meeting.

Quorum

293. (a) Unless otherwise specially provided the quorum of the Clearing Council shall be two members of the Clearing Council.

Interested Member not to be Included in Quorum

- (b) An interested member of the Clearing Council shall not be included when counting the quorum prescribed under these Rules and Bye-laws for dealing with the question in which the member is interested.

Chairman to Preside

294. The Chairman of the Clearing House or in his absence the Chief Executive Officer of the Clearing House shall preside at all meetings of the Clearing Council. If there be no Chairman or Chief Executive Officer or if at any meeting the Chairman or Chief Executive Officer be not present within fifteen minutes of the time appointed for such meeting the members of the Clearing Council present shall choose a member of the Clearing Council as Chairman of the meeting.

Chairman to have Casting Vote

295. In case of an equality of votes at a meeting of the Clearing Council the Chairman of the meeting shall have a casting vote in addition to the vote to which he is entitled as a member.

Voting

296. A member of the Clearing Council shall be entitled to take part in the proceedings but it shall not be competent for him to vote.

Personal Interest

- (i) on any question in which he is personally interested the Chairman of the meeting being the final judge whether he is so interested or not; or

Member of Committee

- (ii) on the final decision in respect of any inquiry or dispute on which a decision has been given by a committee of which he has been a member except that no member of the Clearing Council shall be so disqualified by reason of his being or having been a member of a committee which has made prior examination or investigation of the subject under consideration for the purpose of submitting a report; or

Absence During Hearings

- (iii) on the decision in respect of any inquiry or dispute unless he has been present at every meeting of the Clearing Council at which there has been a hearing of the inquiry or dispute.

Majority

297. Any question before the Clearing Council shall be decided by a majority of the votes cast at a meeting of the Clearing Council unless a specified majority is required by any Rule or Bye-law for the time being in force. Any fraction that appears when determining the required majority shall be rounded off as one.

Special Resolution

298. The quorum for a special resolution shall be three members of the Clearing Council present at a meeting of the Clearing Council. Such special resolution shall be passed by a majority of at least two-thirds of the votes

cast at the meeting. Any fraction contained in such two thirds shall be rounded off as one.

Ordinary Resolution by Circular

299. An ordinary resolution in writing, approved by not less than two-thirds of the total number of members of the Clearing Council present in Mumbai shall be as valid and effective as if it had been passed at a meeting of the Clearing Council duly called and constituted. Any fraction contained in such two-thirds shall be rounded off as one.

Adjourned Meeting

300. Any meeting of the Clearing Council may be adjourned from time to time and it shall be no objection to any resolution passed or any decision arrived at such meeting that all or any of the members of the Clearing Council present were not present at the former meeting or meetings or that any of those present at any former meeting or meetings were not present at any adjourned meeting of meetings.

Proceedings

301. The Clearing Council shall, unless otherwise provided, regulate and determine the manner and form in which its proceedings shall be conducted. Except as otherwise specially provided in these Rules it may with permission of the Chairman consider and take action upon any matter at any ordinary or special meeting even though such matter has not been referred to in the notice of such meeting.

Members and Others to Appear Before Meetings if Required

302. Members, Trading Members, Clearing Members, their directors, partners, attorneys, agents, authorised clerks, Authorised Persons, Approved Users, representatives, officers and employees shall appear before such meetings of the Clearing Council or of any committee appointed by it as they may be directed to attend and they shall give all such information and produce all such records as may be in their possession relative to any matter before the Clearing Council or such committee.

Minutes

303. Minutes of the proceedings of the Clearing Council shall be maintained under the authority of the Secretary of the Exchange. Such minutes shall be deemed confidential and shall not be available for inspection by Trading Members. Clearing Members or any members of the Exchange.

Correspondence

304. All communications to the Clearing House or the Clearing Council or any committee appointed by the Clearing Council or to any official of the Clearing House shall be made in writing and shall be signed and no action need be taken on any anonymous communications.

Chairman to Preside

305. The Chairman of the Clearing House shall preside at any meeting of the Clearing Council or any standing or other committee which he may attend and he shall have in case of an equality of votes a casting vote in addition to the vote to which he may be entitled as a member.

Representatives of the Clearing House

306. (a) The Chief Executive Officer and/or the Chairman of the Clearing House shall represent the Clearing House officially in all public matters.

Ex-Officio Members of Committees

(b) The Chief Executive Officer and the Chairman of the Clearing House shall be ex-officio members of any committee appointed by the Clearing Council.

Special Power

307. (a) The Chief Executive Officer and the Chairman and in the absence of the one, the other shall be entitled to exercise any or all of the powers exercisable by the Clearing Council whenever they or he be of the opinion that immediate action is necessary

subject to such action being confirmed by the Clearing Council within twenty-four hours.

Absence or Inability to Act

(b) In the absence of the Chief Executive Officer or in the event of his inability to act, his functions and powers shall be exercised under the directions of the Clearing Council by a senior available officer of the Clearing House appointed by the Clearing Council in this behalf.

INSERTION OF BYE-LAW 281D IN THE RULES, BYE-LAWS & REGULATIONS OF THE EXCHANGE PERTAINING TO THE SAVING CLAUSE FOR ALL THE ARBITRAL PROCEEDING COMMENCED PRIOR TO THE AMENDMENTS TO THE CHAPTER PERTAINING TO ARBITRATION AND APPROVED BY SEBI VIDE ITS LETTER NO. SMDRP/SEAID-I/BSE/10269/99 DATED THE 29th APRIL, 1999

Saving Clause

281D. These Bye-laws as amended by the Governing Board on 10th June, 1977 shall apply in relation to all arbitral proceedings which commence on or after the amendments come into force. All arbitral proceedings which commenced before the amendments came into force shall, unless otherwise agreed to between the parties, be governed by the Bye-laws prior to the amendments.

AMENDMENT TO THE RULES 100 AND 102 OF THE RULES, BYE-LAWS & REGULATIONS OF THE EXCHANGE PERTAINING TO CONDITIONS OF ELIGIBILITY FOR ELECTION AND RE-ELECTION TO THE GOVERNING BOARD OF THE EXCHANGE DULY APPROVED BY SEBI VIDE ITS LETTER NO. SMDRP/SEAID-I/BSE/7707/2000 DATED 15TH MAY, 2000.

Conditions of Eligibility

100. No member who is an individual shall be eligible to be elected a member of the Governing Board if :—

Nationality

(i) he is not a citizen of India;

Standing

(ii) he has been member of less than three years' standing on the last day for submission of proposals by candidates for election under Rule 104;

Default

(iii) he has at any time been declared a defaulter or failed to meet his liabilities in ordinary course or compounded with his creditors;

Cancellation of Registration

(iv) his certificate of registration as a stock broker has been cancelled by the Securities and Exchange Board of India;

Suspension of Certificate of Registration, Trading/Membership Rights

(v) his certificate of registration as a Stock Broker or his trading rights have been suspended by the Securities and Exchange Board of India or the Exchange as the case may be or his membership rights have been suspended by the Exchange on account of any disciplinary action taken against him under the Rules, Regulations or Bye-Laws of the Exchange and two years have not elapsed from the date of expiry of such suspension of certificate of registration, trading rights or membership rights;

Notified Persons

- (vi) he falls in the category of Notified Persons as per the Special Courts (Trials of Offences Relating to Transactions in Securities) Act, 1992 and two years have not elapsed from the date the person is de-notified under the said Act.

Retiring Members

102. All the retiring members of the Governing Board shall be eligible for re-election. Provided that :—

- (i) if member who is an individual has been elected for two consecutive terms on the Governing Board then he shall not be eligible for re-election for a period of two years after the end of the second consecutive term;
- (ii) if a partner (whether or not the same partner) of a partnership firm carrying on business on the Exchange has been elected for two consecutive terms on the Governing Board then no partner of that partnership firm shall be eligible for re-election for a period of two years after the end of the second consecutive term;
- (iii) if a nominee (whether or not the same person) of a corporate member has been elected for two consecutive terms on the Governing Board then no nominee of that corporate member shall be eligible for re-election for a period of two years after the end of the second consecutive term.

INSERTION OF RULE 100A IN THE RULES, BYE-LAWS & REGULATIONS OF THE EXCHANGE PERTAINING TO ELIGIBILITY OF CORPORATE MEMBERS FOR ELECTION TO THE GOVERNING BOARD OF THE EXCHANGE DULY APPROVED BY SEBI VIDE ITS LETTER NO. SMDRP/SEAD-I/BSE/7707/2000 DATED 15TH MAY, 2000.

Eligibility of Corporate Members

100 A.(i) A company or a body corporate which is a member (hereinafter referred to as the "corporate member") may nominate an individual who is a whole time director of a corporate member for election as a member of the Governing Board.

- (ii) In case of conversion of individual member/partnership firm into a corporate member, the corporate member may nominate the individual member or the partner or the constituted attorney who was authorised to carry on the business of the individual member or the partnership firm, as approved by the Governing Board under Rule 211.

Provided that the individual, partner or the constituted attorney is a whole time director of the corporate member constituted on conversion of individual member/partnership firm into a corporate member.

- (iii) The individual partner or the constituted attorney as referred to in sub rules, (i) and (ii) of this rule shall comply with the eligibility criteria as specified in clauses (i) and (iii) to (vi) of Rule 100.
- (iv) The corporate member shall comply with the eligibility criteria as contained in clauses (ii) to (vi) of Rule 100.

Provided that for the purpose of eligibility criteria of the corporate member under clause (ii) of Rule 100 the previous experience of the individual partner or the constituted attorney as referred to in sub Rule (ii) may be considered.

- (v) Not more than one nominee of a corporate member shall be a member of the Governing Board at any point of time.

AMENDMENT TO THE RULE 114 OF THE RULES, BYE-LAWS & REGULATIONS OF THE EXCHANGE PERTAINING TO THE VACANCY IN THE GOVERNING BOARD OF THE EXCHANGE DULY APPROVED BY SEBI VIDE ITS LETTER NO. SMDRP/SEAD-I/BSE/7707/2000 DATED 15TH MAY, 2000 AND LETTER NO. SMDRP/SEAD-I/BSE/16906/2000 DATED 26TH OCTOBER, 2000
Vacancy

114. The office of a member of the Governing Board shall be ipso facto vacated :—

Suspension of Payment

- (i) if he or the corporate member who has nominated him or the partnership firm of which he is a partner suspends payment or is adjudicated an insolvent or if a petition be filed by him for winding up his affairs or those of his partnership firm or of the corporate member who has nominated him or if he or his partnership firm, or the corporate member who has nominated him compounds with his/its creditors or is declared a defaulter;

Unsound Mind

- (ii) if he be found lunatic or becomes of unsound mind or incapable of efficient attention to business;

Absence

- (iii) if he absents himself from all the meetings of the Governing Board for a continuous period of three months without leave of absence from the Governing Board;

Death, Cessation or Expulsion

- (iv) if he dies or he or the corporate member who has nominated him ceases to be a member of the Exchange or is expelled from the Exchange;

Provided that the office of a member of the Governing Board shall not be deemed to be vacated in case such member, being an individual member of the Exchange, exercises the right of nomination of his membership in favour of a company or a body corporate of which he is a whole-time/designated director if he holds together with his family members and current partners more than 51% of the share capital of such company or body corporate that may be admitted as a member of the Exchange in his place. However, such member shall continue as a member of the Governing Board till the remainder of his tenure or till he ceases to hold more than 51% of the share capital as above or till he ceases to be a whole time/designated director of the company or body corporate, or till he ceases to be a member of the Governing Board under any other provision, whichever be earlier.

Resignation

- (v) if he by notice in writing to the Governing Board resigns his office;

Cancellation of SEBI Registration

- (vi) if his certificate of registration as a Stock Broker has been cancelled by the Securities and Exchange Board of India;

Suspension

- (vii) if his certificate of registration as a Stock Broker or his trading rights have been suspended by the Securities and Exchange Board of India or the Exchange as the case may be or his membership rights have been suspended by the Exchange on account of any disciplinary action taken against him under the Rules, Regulations or Bye-Laws of the Exchange and two years have not elapsed from the date of expiry of such suspension of certificate of registration, trading rights or membership rights;

Notified Persons

- (viii) if he falls in the category of Notified Persons as per the Special Courts (Trial of Offences relating to Transactions in Securities) Act, 1992;

Cessation as whole-time/designated director of the Corporate Member.

- (ix) if he, being a nominee of a corporate member, ceases to be a whole-time/designated director of the corporate member.

Nationality

- (x) if he ceases to be citizen of India.

In case of vacancy of the office of a member on the grounds as provided in the above clauses, the corporate member shall not have the right to replace that member and the vacancy shall be filled as per the Rules of the Exchange.

When a member of the Governing Board vacates office upon occurrence of an event specified under any of the aforesaid clauses, he shall not resume office as a member/office bearer of Governing Board upon the cessation of such event during the remaining term of his office.

AMENDMENT TO THE RULE 170 OF THE RULES, BYE-LAWS & REGULATIONS OF THE EXCHANGE PERTAINING TO STANDING COMMITTEES OF THE EXCHANGE DULY APPROVED BY SEBI VIDE ITS LETTER NO. SMDRP/SEAD-I/BSE/7707/2000 DATED 15TH MAY, 2000.

STANDING COMMITTEES**Arbitration, Defaulters' and Disciplinary Action Committee**

170. The Governing Board shall every year at the first meeting in April after its election appoint :—

- (i) an Arbitration Committee consisting of 40% persons appointed from amongst members of the Exchange and/or partners of members of the Exchange, whose partnership has been approved by the Governing Board and registered with the Securities and Exchange Board of India (SEBI), and 60% persons, who are not members of the Exchange and/or partners of member of the Exchange, to be appointed by the Exchange with the approval of SEBI or, if SEBI so desires, to be appointed by SEBI;
- (ii) a Defaulters' Committee consisting of 40% persons appointed from among the members of the Exchange and 60% persons who are not members of the Exchange to be appointed by the Exchange with the approval of SEBI or, if SEBI so desires, to be appointed by SEBI; and
- (iii) a Disciplinary Action Committee consisting of 40% persons from among members of the Exchange and 60% persons who are not members of the Exchange to be appointed by the Exchange with the approval of SEBI or, if SEBI so desires, to be appointed by SEBI.

For The Stock Exchange, Mumbai
S. S. VYAS
General Manager, Legal & Secretarial

AMENDMENT TO RULE 19B (ix) OF THE RULES, BYE-LAWS & REGULATIONS OF THE EXCHANGE PERTAINING TO THE RESIGNATION BY A COMPOSITE CORPORATE MEMBER FROM THE MEMBERSHIP RIGHT ASSOCIATED WITH ANY OF ITS COMPONENT MEMBERSHIPS APPROVED BY SEBI VIDE ITS LETTER NO. SMDRP/SEAD-I/BSE/30944/2001 DATED THE 20TH JUNE, 2001

Composite Corporate Member and Component Members

19B (ix) A Composite Corporate Member may resign from the membership right associated with any of its Component Membership only after a period of :—

- (a) three years from the date of the acquisition of that Component Membership by the Composite Corporate Member; or
- (b) six months from the date of the acquisition of that Component Membership by the Composite Corporate Member if atleast three years have elapsed after the date of acquisition of any other Component Membership then held by the Composite Corporate Member.

All the liabilities, if any, relating to the Component Membership in respect of which the Composite Corporate Member has resigned will continue to be borne by Composite Corporate Member."

AMENDMENT TO BYE-LAWS OF THE RULES, BYE-LAWS & REGULATIONS OF THE EXCHANGE PERTAINING TO THE TRADE GUARANTEE FUND APPROVED BY SEBI VIDE ITS LETTER NO. SMDRP/SEAD-I/BSE/29038/2001 DATED THE 22ND MAY, 2001

(I) Bye-law 365 shall be amended as under :—

- (a) In the opening part of clause (ii) the word "fund" shall be spelled as "Fund"
- (b) In item (c) of clause (ii) the following shall be inserted in the beginning, namely;
"call for and hold any security for the payment of any amount payable to the Fund, and"

(II) Bye-law 368 shall be amended as under :—

- (a) In item (iii) of clause (a) the following shall be added at the end, namely :
"and from any utilisation from the Fund,"
- (b) Item (ii) of clause (b) shall be revised as under :
"money and assets given to the Fund as security and money arising from realisation thereof, and any interest, dividend or other income or accretions arising from such security and money arising from realisations thereof."

(III) Bye law 380 shall be amended as under :—

In item (ii) the word "the Fund", shall be inserted after the words "All obligations of the member to"

(IV) Bye-law 385 shall be amended as under :—

In the opening part of clause (a) the words "Fund Committee" shall be replaced with the words "Defaulters' Committee"

(V) After Bye-law 389, the following shall be inserted as Bye-law 389A namely :—

389A. Utilisation for failure to meet obligations

- (i) The Clearing House shall report to the Stock Exchange the details of every member who has failed to meet his Settlement dues on the pay-in day.
- (ii) In the event a member fails to meet his obligations to the Clearing House arising out of clearing and settlement operations of such transactions as are permitted in the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange then, notwithstanding anything stated elsewhere in the Rules, Bye-laws and Regulations, the Defaulters' Committee may,

before declaring the concerned member as a defaulter, utilise the Trade Guarantee Fund to the extent necessary to fulfill his obligations on such norms, terms and conditions as the Governing Board or the Defaulters' Committee may specify from time to time.

(iii) The terms and conditions specified by the Defaulters' Committee may include, inter alia, terms and conditions as to interest, repayment, suspension of trading right and reduction of exposure limits of the concerned member.

(iv) The concerned member shall be obliged to repay the amount so utilised to the Fund within such period as the Defaulters' Committee may specify together with interest thereon at the rate specified by the Defaulters' Committee. If a member fails to repay the amount so utilised from the Fund or a part thereof or any interest thereon within the period specified by the Defaulters' Committee, the member, subject to the proviso to Bye-Law 316, may be declared a defaulter under Bye-law 316.

(VI) Bye-law 390 shall be amended as under :—

In item (iii) the following shall be inserted in the beginning, namely;

"Subject to the provisions of Bye-law 389A".

(VII) Bye-laws 402, 403 and 404 shall be revised as under : Charge on Members'/Defaulters' Assets

402. Upon payment being made from the Fund pursuant to Bye-law 389A or upon payment of any money by the Defaulters' Committee out of the money or property referred to at clauses (v) to (vii) of Bye-law 398 the Exchange and the Defaulters' Committee shall each have a first charge on all assets and property of the member/defaulter wheresoever situated and of whatsoever nature as security for the repayment of such money and the payment of interest thereon subject only to any and all charges, mortgages and other encumbrances created thereon by the member/defaulter bona fide for valuable consideration prior to the day such payment was made by the Defaulters' Committee.

Proceedings by Defaulters' Committee and Exchange

403. For the purpose of recovering any amount payable by the member/defaulter to the Exchange, the Defaulters' Committee, the Fund, or the Customers' Protection Fund, the Exchange and/or the Executive Director shall be entitled to take such steps and proceedings (including but not limited to sale of any property or a portion thereof) as the Exchange and/or the Defaulters' Committee may think fit against the member/defaulter, the member's defaulter's property and any person by whom any amount is payable to the member/defaulter.

Borrowings

404. For the purpose of making any payments referred to at Bye-law 391 and/or Bye-law 394 or for making any payment pursuant to Bye-law 389A, the Defaulters' Committee may borrow money without security and/or against the security of any property of the Fund and/or any property offered to it as security by the defaulter or any member.

AMENDMENT TO BYE-LAWS OF THE DERIVATIVES RULES, BYE-LAWS & REGULATIONS OF THE EXCHANGE FOR FACILITATING OPTIONS TRADING ON THE EXCHANGE AND APPROVED BY SEBI VIDE ITS LETTER NO. IES/DC/29023/01 DATED THE 21ST MAY, 2001

Adjustments relating To Corporate Actions and other Matters

1.12A The Derivative Segment and/or the Clearing House shall have the right to (but shall not be obtained to) adjust and modify the terms of any Options Contract(s) and give other appropriate directions to reflect corporate actions and other factors relating to any Underlying Security including, 5—280 GI/2001

without limitation, abnormal dividend, bonus issues, mergers, demergers, stock splits and consolidations. Such adjustments, modifications and other directions will be announced by the Derivative Segment or the Clearing House in line with the parameters, if any, laid down by SEBI and will be effective in respect of such transactions as may be specified by the Clearing House or the Derivatives Segment.

Explanation : For the purpose of this Bye-law the term "abnormal dividend", in relation to a particular security, shall mean dividend in excess of such rate or amount as the Derivatives Segment or the Clearing House may from time to time prescribe in relation to that security. The Derivatives Segment or the Clearing House may from time to time modify such rate or amount with reference to any particular security and may prescribe different rates and amounts for different securities.

1.19 Without prejudice to the generality of the aforesaid and in consonance with any guidelines and parameters issued or specified by SEBI the Derivatives Segment may specify the guidelines and parameters in respect of :—

1.19.1 the manner and circumstances in which orders can be placed, modified deleted and retained in the system;

1.19.2 the manner and circumstances in which positions can be netted out, squared off, closed out or offset;

1.19.3 the priority for execution of orders;

1.19.4 the derivatives which can be traded and the specifications thereof;

1.19.5 the type and amount of margins, the method of computation and collection of margins, the time of payment of margins, the manner and circumstances in which margins are to be paid, adjusted or returned and all other matters relating to margins;

1.19.6 the manner of settlement and clearing of trades/ Derivatives contracts;

1.19.7 the type of contracts which can be entered into and/or which are not permitted;

1.19.8 the procedure for registration of Clients;

1.19.9 dealings with Clients;

1.19.10 relationships, rights and obligations between Trading Members and Clearing Members, Trading Members inter se and Clearing Members inter se.

1.19.11 maintenance of accounts, records, books, registers, etc. and inspection thereof; and

1.19.12 Resolution of complaints of Clients and members;

1.19.13 Resolution of complaints between Members inter se.

1.19.14 Arbitration between Clients and Members;

1.19.15 Arbitration between Members inter se; Only Permitted Derivatives may Trade

1.20 Trading/Clearing Members shall trade/clear only in such Derivatives as are permitted by the Derivatives Segment and SEBI. The Derivatives Segment shall have the power to withdraw from trading all or any Derivatives Contracts in which no Open Positions exist. In the event any Open Positions exist in respect of any Derivative Contracts then the Derivatives Segment shall have the power to withdraw from trading all or any such Derivatives Contracts, subject to the approval of SEBI.

1.21A Payment of Option Premium : The Option Premium shall be paid by the buyer of the Option to the seller of the Option in the manner and at the time prescribed by the applicable Rules, Bye-laws and Regulations and other provisions.

Contract Expiration

1.22 Contracts will expire on a pre-determined date, and the time upto which the Contract will be available for trading shall be notified by the Derivatives Segment in advance.

Allocation of Exercise Against Obligations

1.39A The Derivative Segment or Clearing house shall be entitled to allocate an exercise of an Options Contract against the obligation of an Option Seller/Writer on a random selection basis or any other method as may be decided by the Derivatives Segment or Clearing House from time to time and advance notice of such method shall be given to the members.

Eligibility of Clearing Member to Act

2.5 The Clearing Member shall be entitled to act as a Clearing Member only if :—

2.5.1 at all times he has a minimum net worth of such amount as may be specified by SEBI and/or the Clearing House from time to time. The net worth shall be computed in the manner, if any, specified by SEBI and/or the Clearing House from time to time.

2.5.2 he has deposited with the Derivatives Segment or the Clearing House as minimum capital contribution, such amount as may be specified by SEBI and/or the Clearing House from time to time. The Minimum Capital Contribution shall be in such form as SEBI and/or the Clearing House may from time to time specify; and

2.5.3 he has fulfilled such other terms and conditions as SEBI and/or the Clearing House may from time to time specify.

CATEGORIES OF CLEARING MEMBERS

2.7 The categories of Clearing Members may include :

(i) Trading Member Clearing Members :

Trading Member Clearing Member means a Member who is a Trading Member and also a Clearing Member. A Trading Member Clearing Member may clear and settle transactions either on his own account or on account of his Trading Member or the Trading Member's/Clearing Member's Client or the Client of another Trading Member in the manner specified in these Bye-laws.

(ii) Custodian Clearing Members :

Custodian Clearing Member means Custodians registered as Clearing Members and who may clear and settle trades for Clients of Trading Members or for its own Client or its own trades in the manner specified in these Bye-laws.

(iii) Professional Clearing Members :

Professional Clearing Member means a Clearing Member who is permitted by the Clearing House to clear and settle trades on account of his Clients or on account of Trading Members and/or Clients of Trading Members or its own trades.

Offset Automatic

2.14 In case of Derivatives Contracts having the same expiration date, and pertaining to the Members proprietary account or the account of the same Client, of the Member, the purchases and sales shall offset each other automatically to the extent possible.

Custodian Clearing Members

2.18 The Clearing House shall maintain a list of Clearing Members approved by the Clearing House as Custodian Clearing Members (hereinafter called "Custodian Clearing Members").

DAILY MARK TO MARKET AND FINAL SETTLEMENT OF OPTION CONTRACTS

2.33 The Derivatives Segment and/or the Clearing House shall be entitled to prescribed all matters in relation to the mark to market and final settlement of Option Contracts. The obligations and entitlement of the Clearing Members arising out of such marking to market or settlement shall

be as prescribed by the Derivatives Segment or the Clearing House and shall be paid, performed or received by the Clearing Members accordingly.

2.34 When, pursuant to Bye-Law 1.39A, the exercise of an Option Contract has been allocated against the obligation of an Option Seller/Writer under an Option Contract, the settlement obligation of the Option Seller/Writer under the latter Option Contract shall also be determined on the Exercise Day of the former Option Contract.

Withholding Margin

4.4 The Clearing House shall at its discretion or on the instructions of the Derivatives Segment withhold the release to a Clearing Member of any margin deposited by that Clearing Member with the Clearing House for any period required by the Derivatives Segment or as Decided by the Clearing House. Notwithstanding that such margin is withheld, where a Clearing Member has Open Positions he must continue to pay any usual or further margins or other obligations without taking into account any margin withheld by the Clearing House.

Exposure Limit

4.8 The Clearing House may, in respect of Clearing Members, at any time in its absolute discretion :—

4.8.1. Specify maximum long and/or short Open Positions for all or any Clearing Members, including quantity and/or value, for any or all Derivatives Contracts;

4.8.2. Specify exposure limits for any Derivatives Contracts or class or classes of Derivatives Contracts in quantity and/or value and/or as a percentage of the capital of the Clearing Member or a combination of any of the above or such other method as the Clearing House may decide from time to time for all or any of the Clearing Members;

4.8.3. Impose any exposure limits pursuant to the above by giving notice to the Derivatives Segment and the relevant Member(s). Such exposure limits shall not exceed the limits, if any, specified by SEBI. Notice may be given verbally or in writing or electronically as the Clearing House considers appropriate in the circumstances and any imposition, removal or change in exposure limits so notified shall take effect as stipulated in the notice;

4.8.4 Allow Clearing Members to increase their exposure limit on deposit of additional capital with the Clearing House. The Clearing House shall be entitled to specify from time to time the method of calculation of capital and mode of payment of additional capital.

Explanation : For the purpose of this Chapter,

(i) The term exposure may extend both to actual exposure to Trades as well as potential exposure by entry of Orders in the Order Book of the Derivatives Segment.

The Exposure limit may be in the form of a collateral limit or such other basis as the Derivative Segment or the Clearing House may decide.

Closing-Out How Effected

5.3 Closing-out shall be effected by the Clearing House in such manner and by such method which it may decide from time to time. Without prejudice to the generality of the aforesaid, closing out may be effected by any of the following methods :

- By buying-in or selling-out against the Clearing Member through an auction,
- By declaring a closing-out at such prices as it may decide,
- By buying-in or selling-out against the Clearing Member by placing an order,
- By a combination of one or more methods and/or.

(e) In any other manner as the Clearing House or SEBI may decide from time to time.

Provided, that nothing contained in these Bye-laws shall oblige the Derivatives Segment to deliver securities in the close out of a Security Settled Derivatives Contract

Authorisation of Personnel

6.14 Every Trading Member shall specifically authorise in writing, person or persons who may be authorised to transact on behalf of the Trading Member and to do such acts which the Trading Member may wish to delegate to such person, and make available a copy of such power of attorney to the Exchange before such person transacts any business on the Exchange.

Written Approval

6.15 Every Trading Member shall establish procedures for the review and endorsement by an appropriate senior officer in writing, on an internal record of all transactions and all correspondence by its employees pertaining to solicitation or execution of any transaction.

Front Running

7.23 A Member shall not directly or indirectly, trade in advance of a Client with the knowledge that the Client will place or has placed an order in the market and with the knowledge that such order may affect the market price. Such trades, either on a principal basis or shown as being one for a Client on an agency basis, shall be deemed to be violative of a Member's fiduciary duties.

Explanation : This Bye-law shall be deemed to be violated if the Member discloses a Client's Order to a third party with a view to such third party or any other person trading in advance of the Client.

Suspension and Declaration of Default of Clearing Member

13.1 A Clearing Member may be suspended and/or declared a defaulter by the Clearing House, if :

- (i) he is unable to fulfil or fails to fulfil his obligations; or
- (ii) he admits or discloses his inability to pay, fulfil or discharge his duties, obligations and liabilities; or
- (iii) he fails to pay within the specified time the damages or the money difference due on a closing out or squaring off effected against him under these Rules, Bye Laws and Regulations; or
- (iv) he fails to pay any sum or to fulfil any obligation due to the Exchange or the Clearing House or the Derivatives' Segment Trade Guarantee Fund or to submit to the Exchange or the Clearing House on the due date statement of differences, a balance sheet, other clearing forms or other statements as may be specified from time to time; or
- (v) he fails to pay or deliver to the Clearing House or the Derivatives Segment all moneys and other assets due to a Member who has been declared a defaulter within such time of the declaration of default of such Member as may be directed; or
- (vi) he fails to abide by arbitration proceedings conducted in the manner laid down by these Rules, Bye Laws and Regulations or by any arbitration award made in such proceedings; or
- (vii) he is suspended or declared a defaulter on any other exchange.

Explanation : The Clearing House may, upon the occurrence of any event mentioned above, declare the Member as a defaulter or, if it thinks fit, initially suspend the Member for a period of time and thereafter declare him a defaulter.

Explanation : The Clearing House may suspend a Member or his trading or clearing rights if it has reason to apprehend (which reasons shall be recorded in writing by the Clearing House) that the Member is likely to commit any of the above mentioned acts or omissions.

Records to be Final

13.5 (i) Every trading Member who pays any amount (or meets an obligation) to his Clearing Member or to the Clearing House (including any amount/asset pay by way of margin) shall inform the Clearing Member or the Clearing House (as the case may be) as to whether such amount (or other asset) is paid by the Trading Member on his own account or is paid on behalf of a Client (and, in such case, the identity of the Client). Such information shall be given by the Trading Member simultaneously with the payment of the amount (or otherwise meeting with the obligation) or, if the amount (or asset) has not been allocated at the time of payment, then immediately upon allocation. The information given by the Trading Member shall be conclusive and binding on the Clearing Member, the Trading Member and all the Clients of the Trading Member. In the event of any Client or other Member claiming or proving that any information given by a Trading Member is incorrect then the Client or other Member shall have a claim against the concerned Trading Member. However, the Exchange, the Clearing Council, and the Clearing Member shall treat the information given by the Trading Member or available with the Clearing House as correct and conclusive.

(ii) Every Clearing Member who pays any amount (or meets any obligation) to the Clearing House (including any amount/asset paid by way of margin) shall inform the Clearing House (as the case may be) as to whether such amount (or other asset) is paid by the Clearing Member on his own account or is paid on behalf of a Trading Member or a Client of the Clearing Member or of a Trading Member (and, in such case, the identity of the Trading Member and Client). Such information shall be given by the Clearing Member simultaneously with the payment of the amount (or asset) or, if the amount (or asset) has not been allocated at the time of payment, then immediately upon allocation. The information given by the Clearing Member shall be conclusive and binding on the Clearing Member, the Trading Member and all the Clients of the Clearing Member and of the Trading Member. In the event of any Client or Member claiming or proving that any information given by a Clearing Member is incorrect then the Client or Member shall have a claim against the concerned Clearing Member. However, the Exchange, the Clearing Council shall treat the information given by the Clearing Member or available with the Clearing House as correct and conclusive.

Provided however that :—

- (i) if there is a conflict between the records of the Clearing Member and those of the Trading Member, the records of the Clearing Member shall prevail and be binding on all parties; and
- (ii) if there is a conflict between the records of the Clearing Member, the Trading Member and the Clearing House, the records of the Clearing House shall prevail and be binding on all parties.

Provided also that if a portion of the entire amount/obligation declared by the Clearing Member to the Clearing House is not paid/met by him to the Clearing House then the Regulations shall prescribe the manner in which and on account of whom such amount/obligation shall be presumed to have been paid/met and such amount/asset shall be appropriated accordingly.

Revocation of Suspension on Payment of Disputed Amount

13.6 If, during the period of suspension, the Clearing Member pays all amounts payable by him and discharges all obligations due from him to the Exchange (including the Derivatives Segment) and the Clearing House, to other members of the Exchange, to his Clients and to the Derivatives' Segment Trade Guarantee Fund and to any other fund of the Exchange then the authority who has imposed the suspension may revoke his suspension.

List of Debtors and Creditors

13.9 The suspended Clearing Member/defaulter shall file with the Clearing Council within such time of his suspension or the declaration of his default as the Clearing Council may direct, a written statement containing a complete list of his debtors and creditors and the sum/obligations owing by and to each.

Close out of Clearing Member's Positions

13.16 If a Clearing Member is suspended or declared a defaulter then, unless the Clearing House otherwise decides, all the Open Positions of the Clearing Member and the Trading Members (whether on their own account or on account of their Clients) for whom such Clearing Member was acting as a clearing member and of Clients of the Clearing Member shall be closed-out in accordance with the Rules, Bye-laws and Regulations of the Derivatives Segment relating to closing out or in such other manner as the Clearing House may determine.

Provided, that nothing contained in these Bye-laws shall oblige the Derivatives Segment to deliver securities in the close out of Security Settled Derivatives Contract and the Derivative Segment or the Clearing House may settle such Security Settled Derivatives Contract by payment of such amount as may be determined by the Derivative Segment or the Clearing House.

Segregation of Dues

13.18 The accounts of the Clients of the Clearing Member, the Trading Members for whom the Clearing Member was acting as a Clearing Member and the Clients of such Trading Members shall be segregated from each other and the amounts and assets standing to the debit and credit of a Trading Member or a Client shall not be adjusted against the credit or debit of another Client or Trading Member and one Client's or Trading Member's funds or assets shall not be utilised for payment of another Client's or Trading Member's dues. Obligations payable by a Clearing Member on his own account shall not be paid or met out of money/assets of a Client or a Trading Member. However amounts or assets payable/deliverable to a Clearing Member (on his own account) by the Clearing House or Derivatives Segment may be applied for paying amounts/ assets payable/deliverable by the Clearing Member or by any Client of the Clearing Member or any Trading Member (whose trades the Clearing Member had agreed to clear) or any client of such Trading Member to the Derivatives Segment, the Clearing House or any Member or any Client of the Clearing Member or of any Trading Member (whose trades the Clearing Member had agreed to clear).

Suspension and Declaration of Default.

14.1 A Trading Member may be suspended and/or declared a defaulter by the Derivatives Segment and/or may be suspended by the Clearing Member if :

- (i) he is unable to fulfill or fails to fulfill his obligations; or
- (ii) he admits or discloses his inability to pay, fulfill or discharge his duties, obligations and liabilities; or
- (iii) he fails or is unable to pay/deliver within the specified time the damages or the money difference or assets due on a closing-out or squaring off effected against him under these Rules, Bye Laws and Regulations. or
- (iv) he fails to pay any sum/fulfil any obligations due to the Exchange or the Clearing House or the Clearing Member or the Derivatives Segment Trade Guarantee Fund or to submit to the Exchange or the Clearing House or the Clearing Member on the date a statement of differences, a balance sheet, other clearing forms or other statements as may be specified from time to time or
- (v) he fails to pay or deliver to the Clearing House all moneys and other assets due to a Member who has been declared a defaulter within such time of the declaration of default of such Member as may be directed; or
- (vi) he fails to abide by arbitration proceedings conducted in the manner laid down by these Rules, Bye Laws and Regulations or by any arbitration award made in such proceedings; or
- (vii) he fails to pay, fulfill or discharge his duties, obligations and liabilities to his Clearing Member; or

(viii) he is suspended or declared a defaulter on any other exchange.

Explanation : The Derivatives Segment or his Clearing Member may suspend a Member or his trading rights if it has reason to apprehend that the Member is likely to commit any of the above mentioned acts or omissions.

List of Debtors and Creditors

14.16 The suspended member/defaulter shall file with the Derivatives Segment within such time of his suspension or the declaration of his default as the Derivatives Segment may direct, a written statement containing a complete list of his debtors and creditors and the sum/assets owned by and to each.

Close out of Trading Member's positions

14.23 If a Trading Member is suspended or declared a defaulter then, unless the Derivatives Segment otherwise decides, all the Open Positions of the Trading Member (whether on his own account or on account of his Clients) shall be closed-out in accordance with the Rules, Bye-laws and Regulations of the Derivatives Segment relating to closing out or in such other manner as the Clearing Member / Derivatives Segment may determine.

Segregation of Dues

14.25 The accounts of the various Clients of a Trading Member shall be segregated from each other and the amounts/assets standing to the debit and credit of a Client of a Trading Member shall not be adjusted against the credit or debit of another Client. One Client's funds/assets shall not be utilised for payment of another Client's dues. Amounts/assets payable by a Trading Member on his own account shall not be paid/delivered out of money of a Client. However amounts/assets payable/deliverable to a Trading Member (on his own account) by his Clearing Member or by the Clearing House or by the Derivatives Segment may be applied for paying amounts/delivering assets payable/deliverable by the Trading Member or by any Client of the Trading Member to the Derivatives Segment, the Clearing House or any Member or any Client of the Trading Member.

Clearing Member responsible for Specified dues of Trading Members

14.26 If a Trading Member is suspended or declared a defaulter then the Clearing Member who has agreed to clear such Trading Member's trades/Derivatives Contracts shall pay such Trading Member's liabilities as mentioned below:—

14.26.1 The Clearing Member shall pay/deliver to the Clearing House such amounts/assets as are payable/deliverable by such suspended or defaulter Trading Member (Whether on his own account or on account of any Client of such Trading Member) to complete, in a timely manner, all settlements in which the Trading Member is liable to pay any amounts/deliver any assets.

14.26.2 The Clearing Member shall pay/deliver to the Clearing House such amounts/assets as are payable by such suspended or defaulter Trading Member after transfer or closing out of such of the Outstanding Positions of such Trading Member (whether on his own account or on account of any Client of such Trading Member) as are to be transferred or closed out in accordance with the provisions of these Rules and Bye-laws or any applicable Regulations.

14.26.3 A Clearing Member shall be bound to pay, fulfill or discharge the Trading Member's obligations and liabilities regardless of the solvency of the Trading Member and notwithstanding that the Trading Member may have failed to pay any amount to the Clearing Member.

14.26.4 Any amount paid/obligation fulfilled by the Clearing Member on account of the liabilities of a defaulter or suspended Trading Member shall be a debt due from that Trading Member to the Clearing Member shall be entitled to set-off appropriate provisions against such Trading Member's dues or assets.

14.26.5 Such other amounts/assets as may be specified by Regulations from time to time subject to the terms and conditions specified by the Regulations.

15.1.3 "Settlement in which a Trading/Clearing Member has been suspended or declared a defaulter or in which a defaulter has been declared a defaulter" shall have the following meaning :

where a Trading Member has been suspended or declared a defaulter for non-payment of any amount payable by him or the non-performance of any obligations to his Clearing Member in respect of any Settlement, or a Clearing Member has been suspended or declared a defaulter for non-payment of any amount payable by him or the non-performance of any obligations to the Clearing House in respect of any Settlement then the Settlement in respect of the non-payment/non-performance of which the Trading/Clearing Member is suspended or declared a defaulter shall be the "Settlement in which the Trading/Clearing Member has been suspended or declared a defaulter or in which a defaulter has been declared a defaulter"; and where the Trading/Clearing Member has failed to pay any amount payable by him/fulfill any obligation to his Clearing Member or Clearing House in respect of more than one Settlement then the "Settlement in which the Trading/Clearing Member has been suspended or declared a defaulter" shall be the Settlement(s) so specified by the authority who or which has suspended him or declared him as a defaulter.

15.2(i) The Exchange shall establish a fund which shall be known as the "Derivatives Segment Trade Guarantee Fund".

(ii) Subject to the other provisions of these Rules and Bye-laws and Regulations, the object of the Fund shall be to unconditionally guarantee, in accordance with these Rules, Bye-laws and Regulations, the settlement of—

- (a) Derivatives Contracts which have been entered into between Trading Members of the Exchange inter se which form part of the Derivatives Segment's Settlement system
- (b) claims of Clients of Trading Members who have been suspended or have been declared as defaulters and whose Clearing Members have also been suspended or declared as defaulters Clearing Members.
- (c) claims of Clients of Custodian Clearing Members who have been suspended or have been declared as defaulters.

Provided however that no claims shall be entertained which are collusive or entered into to defraud any person, the Exchange or are otherwise not bona fide.

Provided further that the Derivatives Segment and the Clearing House may, at their option, either,

- (a) deliver Securities in the Settlement of a claim arising out of a Security Settled Derivatives Contract, or
- (b) settle such Security Settled Derivatives Contract by payment of such amount as may be determined by the Derivatives Segment or the Clearing House.

Provided further that the Fund's guarantee shall extend only to claims arising in respect of the Settlement(s) in which the Clearing Member is suspended or declared a defaulter and not in respect of any other settlement(s).

Payment out of Fund on Default By Clearing Member

15.27. If a Clearing Member is suspended or declared a defaulter by reason of default in payment/failure to fulfill obligations in a Settlement(s) then in respect of the Settlement(s) in which the Clearing Member is suspended or

declared a defaulter and not in respect of any other Settlement(s), the following amounts shall be paid out of the Fund before the pay-out date in the manner mentioned below :

15.27.1 The Fund shall pay to the Clearing House such amounts as are payable by such suspended or defaulter Clearing Member (whether on his own account or on account of any Trading Member for whom he was a Clearing Member or on account of any Client of any such Trading Member or of such Clearing Member) to the Clearing House to complete, in a timely manner, the Settlement in which the Clearing Member was suspended or declared a defaulter;

15.27.2 The Fund shall pay to the Clearing House such amounts as are payable by such suspended or defaulter Clearing Member (whether on his own account or on account of any Trading Member for whom he was a Clearing Member or on account of any Client of any such Trading Member or of such Clearing Member) to the Clearing House after transfer or closing out of such of the Outstanding Positions of all the Trading Members for whom the suspended or defaulter Clearing Member was a Clearing Member and of Clients of such Trading Members and/or of such Clearing Member as are to be transferred or closed out in accordance with the provisions of these Rules and Bye-laws and any applicable Regulations.

15.27.3 Such other amounts as may be specified by the Regulations from time to time subject to the terms and conditions specified by the Regulations.

Records to be Final

15.27.4 The finality of the records shall be as determined under Bye-law 13.5.

Adjustments by Clearing Council

15.28 If any amount is payable/any obligation is due by a Member or Client to the defaulter or suspended Member then—

- (i) the Clearing Council shall be entitled to set-off such amount/obligation against any amount payable from the Fund to such Member or Client.
- (ii) if, such amount/obligation not having been netted out in full against money payable from the Fund, the Member or Client does not pay such amount to the Clearing Council within the time frame specified by the Clearing Council then it shall be deemed that the Member or Client has defaulted in making payment of such amount.

Liabilities of a Defaulter not Discharge

15.29 Any amount paid or obligations discharged by the Fund account of the liabilities of a defaulter or suspended Member shall be a debt due from that Member to the Exchange, and the Exchange and/or the Clearing Council shall be entitled to adopt appropriate proceedings against such Member to recover such amount/obligation.

Shortfall in Fund

15.31(i) In the event of the Fund being insufficient to make full payment of the payments/deliveries to be made from the Fund under Bye-laws 15.27.1, 15.27.2 and 15.27.3 then the Clearing Council shall make the payments under clause 15.27.1 in priority to the other payments and the payment/deliveries under clause 15.27.2 in priority to the payment under clause 15.27.3; and prorate as regards payment/deliveries falling under the same clause to the extent possible out of the Fund, and the balance unfulfilled obligations remaining after such payment/delivery may be assessed against the Members in such manner as the Clearing Council may, from time to time, in its absolute discretion think fit and equitable. The Clearing Council may provide for different amounts being assessed against Trading Members and Clearing Members.

(ii) In the event of the Fund being insufficient to make full payment/deliveries of the payments/deliverables to be made from the Fund under any provision other than Clauses 15.27.1, 15.27.2 and 15.27.3 then the Clearing Council shall make the payments/deliveries on a pro-rata basis to the extent possible out of the Fund after making the payments/deliveries under clauses 15.27.1, 15.27.2 and 15.27.3, and the Fund and/or the Exchange and/or the Derivatives Segment and/or the Clearing Council and/or the Clearing House shall not be liable to pay the balance unfulfilled obligations remaining after such payment/delivery. In such case the Claimants may claim and receive from the defaulter or suspended Member directly.

(iii) The guarantee of the Fund and payment/delivery from the Fund shall be limited to the extent of the money and assets in or available to the Fund; and in the event of any shortfall, the Exchange, the Derivatives Segment, the Clearing House, the Governing Council and/or the Clearing Council shall not be liable. The claimant may however recover the shortfall from the defaulter or suspended member.

Repayment by Payee Disentitled to Receive

15.32 If any sum has been paid, or any obligations been satisfied, under these Bye-laws and it is subsequently found that the payee was for any reason not entitled to receive such amount then the payee shall forthwith repay the same to the Clearing Council or the Clearing House, as the case may be, together with interest thereon at the rate of 2% per month (or such other rate as the Clearing Council may specify) for the period commencing on the date on which the payment/satisfaction was received by the payee and ending on the date on which such amount is repaid by the payee.

Application of Defaulters'/Suspended Members' Assets and Other Amounts

15.36 The Clearing Council shall realise and apply all the money, rights and assets of the defaulter or suspended Member which have vested in or which have been received by the Clearing Council under these Rules, Bye-laws and Regulations and all other assets and money of the defaulter or suspended member in the Derivatives Segment including the money and securities receivable by him from any other Member or Client, money, securities of the defaulter or suspended member lying with the Clearing House or the Derivatives Segment, credit balances lying in the Clearing House, security deposits, any bank guarantees furnished on behalf of the defaulter or suspended member, fixed deposit receipts discharged or assigned to or in favour of the Exchange or the Derivatives Segment, Additional Capital deposited with the Exchange by the defaulter/suspended Member, any security created or agreed to be created by the defaulter or suspended Member or any other person in favour of the Exchange or the Clearing Council for the obligations of the defaulter or suspended Member to the following purposes and in the following order of priority, viz :—

First—the payment of such subscriptions, debts, fines, fees, charges and other money as shall have been determined by the Clearing Council to be due to the SEBI, to the Exchange or to the Clearing House by the defaulter or suspended Member;

Second—the balance, if any, shall be paid into the Fund to the extent of the money paid out of or obligations satisfied by the Fund or, if a Trading Member has been suspended or declared a defaulter and the Clearing Member of such Trading Member has paid all the obligations of the Trading Member in accordance with the provisions of the Chapter relating to default and suspension and consequently no amount had to be paid out of the Fund then the balance, if any, shall be paid to such Clearing Member to the extent of the money paid or obligations satisfied by it for discharging the obligations of the Trading Member in accordance with the provisions of the Chapter relating to default and suspension;

— Third—the balance, if any, shall be paid into any other Fund of any other Segment of the Exchange to the extent of the money paid out of such fund;

— Fourth—subject to the Rules, Bye-laws and Regulations of the Derivatives Segment and other segments of the Exchange, the balance, if any, shall be applied by the Clearing Council for the payment of such unpaid outstandings, debts, liabilities, obligations and claims (other than claims falling under Bye-law 15.27) to or of Members arising out of any contracts made by the defaulter with such Members subject to these Rules, Bye-laws and Regulations as shall have been admitted by the Clearing Council; provided that if the amount available be insufficient to pay and satisfy all such debts, liabilities, obligations and claims in full they shall be paid and satisfied pro rata;

— Fifth—subject to the Rules, Bye-Laws and Regulations of the Derivatives Segment and other segments of the Exchange, the balance, if any, shall be applied by the Clearing Council for the payment of such unpaid debts, liabilities, obligations and claims (other than claims falling under Bye-law 15.27) to or of the defaulter or suspended Member's Clients arising out of any contracts made by such defaulter or suspended Member subject to these Rules, Bye-laws and Regulations as shall have been admitted by the Clearing Council; provided that if the amount available be insufficient to pay and satisfy all such debts, liabilities, obligations and claims in full they shall be paid and satisfied pro rata;

— Sixth—subject to the Rules, Bye-Laws and Regulations of the Derivatives Segment and other segments of the Exchange, the balance, if any, shall be applied by the Clearing Council for the payment of such unpaid outstandings, debts, liabilities, obligations and claims to or of any members of the Exchange arising out of any contracts made by the defaulter with such members on any other segment of the Exchange subject to the Rules, Bye-laws and Regulations of the Derivatives Segment and other segments of the Exchange as shall have been admitted by the Clearing Council; provided that if the amount available be insufficient to pay and satisfy all such debts, liabilities, obligations and claims in full they shall be paid and satisfied pro rata;

— Seventh—subject to the Rules, Bye-Laws and Regulations of the Derivatives Segment and other segments of the Exchange, the balance, if any, shall be applied by the Clearing Council for the payment of such unpaid debts, liabilities, obligations and claims to or of the defaulter or suspended Member's Clients arising out of any contracts made by such defaulter or suspended Member on any other segment of the Exchange subject to the Rules, Bye-laws and Regulations of the Derivatives Segment and other segments of the Exchange as shall have been admitted by the Clearing Council; provided that if the amount available be insufficient to pay and satisfy all such debts, liabilities, obligations and claims in full they shall be paid and satisfied pro rata;

— Eighth—the balance, if any, shall be paid into the Derivatives Segment's Investor Protection Fund to the extent of any and all amounts paid out of the Investor Protection Fund towards the obligations or liabilities of the defaulter or suspended member and interest thereon at the rate of 2% per month (or such other rate as the Governing Council may specify) from the date of payment out of the Investor Protection Fund to the date of repayment of the Fund; and

— Ninth—the surplus, if any, shall be paid to the defaulter or suspended Member.

Charge on Defaulter's/Suspended Member's Assets

15.37 Upon payment of any money/satisfaction of any obligation out of the money or property of the Fund, the Exchange, for the benefit of the Fund, shall have a first charge

on all assets and property of the defaulter or suspended Member wheresoever situated and of whatsoever nature as security for the repayment of such money/obligation and the payment of interest thereon subject only to any and all charges, mortgages and other encumbrances created thereon by the defaulter or suspended Member bona fide for valuable consideration prior to the day such payment/satisfaction was made by the Fund.

Limitation of Liability to Pay

15.45 Notwithstanding anything stated elsewhere in the Rules, Bye-laws and Regulations, the Clearing Council shall not pay any of the following amounts or discharge any of the following obligations from the Fund :—

- (i) any amount payable by the defaulter or suspended Member to the Clearing House on account of costs, charges, expenses, fines or penalties;
- (ii) any amount payable by the defaulter or suspended Member to any Client on any account whatsoever other than pursuant to Regulations made under Clause 15.27.3 above;
- (iii) any amount payable by the defaulter or suspended Member in respect of a transaction which is not part of the Derivatives Segment or Exchange's settlement procedure;
- (iv) any amount payable by the defaulter or suspended Member in respect of any transaction which would have been settled otherwise than through the Clearing House (if such default or suspension had not occurred); and
- (v) any amount payable by the default or suspended Member in respect of any Settlement(s) other than the Settlement(s) in which the concerned Clearing Member was suspended or declared a defaulter.

Provided however that no claims shall be entertained which are collusive or entered into to defraud any person or any part of the Exchange or which are otherwise not bona fide.

15.47 Without prejudice to the Fund's other rights, the Fund may fulfil an obligation to deliver securities by, at its option, either delivering the securities or paying the value thereof as determined by the Clearing Council, and in such event, such obligation shall be deemed to be satisfied in full.

Triggering Event

16.3 Subject to other Rules, Bye-laws and Regulations, the Investor Protection Fund shall be utilised to compensate a Client who has suffered and claims an obligation due to him by a Trading or Clearing Member (who has since been declared a defaulter) where :—

- (i) the claim arises directly on account of a trade in a Derivatives Contract which has been entered into between the Client and the Trading/Clearing Member (who has since been declared a defaulter) in accordance with the Rules, Bye-laws and Regulations of the Derivatives Segment.
- (ii) the trade in the Derivatives Contract has already been settled by the Clearing House but the obligation in respect of which Derivatives Contracts has not been completed by the Trading/Clearing Member to the concerned Client and
- (iii) the loss is not payable by a Clearing Member under the Chapter relating to Default and Suspension or from the Derivatives Segment Trade Guarantee Fund under the Chapter relating to the Fund.
- (iv) the claim fulfils such other requirements as the Derivatives Segment may specify from time to time.

AMENDMENT TO RULES OF THE DERIVATIVES SEGMENT RULES, BYE-LAWS & REGULATIONS OF THE EXCHANGE FOR FACILITATING OPTIONS TRADING ON THE EXCHANGE AND APPROVED BY SEBI VIDE ITS LETTER NO. IES/DC/29023/01 DATED THE 21ST MAY, 2001

1.1B "Approved Office" means the office of a Trading/Clearing Member registered with the Derivatives Segment and includes all other premises from which the Trading/Clearing Member is allowed by the Derivatives Segment to trade on the Trading System or carry out back-office work or any other work related to the Derivatives Segment.

1.1 "American Style Option" means an Option Contract which may be exercised by the Option Holder at any time on or before the expiry of such contract in accordance with the terms of the contract and at the time and in the manner specified by the Derivatives Segment or the Clearing House.

1.1A "Amount" in reference to an obligation, shall, unless otherwise specified, mean all obligations whether due in monetary terms or as an obligation to deliver a security or otherwise, as the context requires and any reference to "payment of Amounts" shall be construed accordingly.

1.6 "Call Option" means an Option Contract which gives a right to (but does not impose an obligation on) the buyer/holder of the Option Contract to buy the Underlying Security at a predetermined price.

1.8 "Cash settled Derivatives Contract" means a Derivatives Contract which is, as per its terms, required to be performed by cash settlement.

1.21A "European Style Option" means an Option Contract which may only be exercised by the Option Holder only on the expiry of the contract in accordance with the terms of the contract.

1.22A "Exercise" means the exercise of the rights of an Option Holder under an Option Contract in accordance with the terms of the Option Contract.

1.22B "Exercise Price" or "Strike Price" means the price at which the Underlying Security may be purchased or sold upon the Exercise of an Options Contract in accordance with the terms of the Option Contract.

1.22C "Exercise Day", in relation to an Option Contract, shall mean the day on which exercise of such Option Contract takes place.

1.23 "Expiration Day" means the day on which the final settlement obligations are to be determined in a Derivatives Contract in accordance with or pursuant to the terms of the Derivatives Contract.

1.33 "Open Interest" means the total number of Derivatives Contracts of an Underlying Security that have not yet been offset and closed by opposite Derivatives transaction nor fulfilled by payment of cash or delivery of the Underlying Security nor settled by option exercise nor terminated by option expiry. For calculation of Open Interest, only one side of the Derivatives Contract shall be counted.

1.36 "Option Contract" means a type of Derivatives Contract which given the buyer/holder of the contract the right (but not the obligation) to buy or sell the Underlying Security at a predetermined price within or at the end of a specified period or on a specified date, the settlement of which shall be carried out in such manner as is provided by or under the terms of the Option Contract and these Rules, Bye-laws and Regulations.

1.36A "Option Holder" means a person who has purchased an Option Contract but has not exercised or offset it.

1.36B "Option Premium" or "Premium" means the amount that the buyer of an Option pays to the seller of the Option for the purchase of the right under the Option Contract.

1.36C "Option Class" or "Class of Options" means all Option Contracts having the same terms and Expiration Date and covering the same Underlying Security. Provided that Option Contracts shall be deemed to fall within the same class notwithstanding that they have a different exercise price.

1.36D "Options Series" means all Options Contracts of the same Class having the same exercise price

1.37 "Option Writer" means a person who is permitted by the Derivatives Segment to write Option Contracts i.e. to be the counterparty of the buyer/holder of the option Contract. Under an Option Contract, subject to the Rules, Bye-Laws and Regulations, the Option Writer is obliged to buy or sell (as the case may be) the Underlying Securities from or to the buyer/holder of the Option Contract upon the buyer/holder of the Option Contract exercising his option/right under and in terms of the Option Contract. However, a person who sells an Option Contract which does not create an Open Position will not be considered an Option Writer.

1.38 "Outstanding Obligation" means an obligation in relation to a Derivatives Contract which has not been paid or offset nor been settled.

1.40 "Put Option" means an Option Contract which gives a right to (but does not impose an obligation on) the buyer/holder of the Option Contract to sell the Underlying Security at a predetermined price.

1.44A "Securities Settled Derivatives Contract" means a Derivatives Contract which, as per its terms, is required to be settled by delivery of Underlying Securities.

1.46 "Settlement Date" means the date on which Outstanding Obligations in a Derivatives Contract are required to be settled in accordance with the terms of the Derivative Contract and these Rules, Bye-laws and Regulations.

1.52 "Underlying Security" means the security or securities to which a Derivatives Contract relates and shall include and index, debt instrument, share, loan, risk instrument, interest rate, exchange rate, contract for differences or other variables to which the Derivatives Contract relates.

Conditions of Registration as Clearing Member

2.10 No person shall be eligible to be registered as a Clearing Member—

Individual or Body Corporate

(i) unless he is an individual or a body corporate;

Previous Rejection

(ii) if he has been previously refused registration as a Clearing Member of the Derivatives Segment, unless a period of three months has elapsed since the date of such refusal;

Financial Soundness

(iii) unless he has a minimum net worth, possesses a minimum working capital of cash and/or marketable securities, and possesses assets of such nature and value as the Governing Council may from time to time in its opinion determine and consider acceptable;

SEBI Approved Certification Programme

(iv) unless he and/or such number of his partners (in a partnership firm which has been approved by the Governing Board if it is carrying on business on the Cash Segment of the Exchange or which has been approved by the Governing

Council in other cases) and/or Designated Directors (in the event of such person being a body corporate) and/or employees, as the Governing Council and/or SEBI may prescribe, qualify/ies in a SEBI approved certification programme.

SEBI Requirements

(v) unless such person undertakes to comply with such requirements and norms as may be specified by SEBI for registration with SEBI as a Clearing Member of the Derivatives Segment; and

Governing Council Requirements

(vi) unless such person fulfils such other requirements as the Governing Council may from time to time specify.

Provided that the Governing Council may waive compliance with any of the requirements under clause (vi) if the person seeking registration is in respect of means, position, integrity, knowledge and experience of business in securities considered by the Governing Council to be otherwise qualified for registration as a Clearing Member:

Firms Ineligible

2.11 A partnership firm as such shall not be eligible to be registered as a Trading/Clearing Member of the Derivatives Segment.

Explanation : While only an individual or a body corporate may be registered as a Trading/Clearing Member, the business of such Trading/Clearing Membership may be carried on by the Trading/Clearing Member in partnership, provided such partnership has already been approved by the Governing Board of the Exchange, or the Governing Council (in case of a Clearing Member who is not a member of the Exchange) and, in such case, the Rules, Bye-laws and Regulations, of the Exchange relating to partnerships and partners shall mutatis mutandis apply to such Trading/Clearing Member and such firms and partners in relation to the Derivatives Segment.

Refund of Deposit

4.2 (d) The refundable security deposit of a Trading/Clearing Member shall be refunded to him subject to the Governing Council and the Clearing Council being satisfied that all his outstanding obligations have been settled, all his open position and outstanding obligations have been closed out or settled and all his liabilities to the Exchange, the Clearing House, the members of the Exchange, other Trading/Clearing Members and his Clients have been duly paid. After such satisfaction, the Governing Council and the Clearing Council may pay the balance amount of the security deposit within a period of three months after the Governing Council and the Clearing Council are so satisfied, after withholding such amount as the Governing Council and/or the Clearing Council think fit and proper for meeting possible future liabilities or obligations of the Trading/Clearing Member.

Liabilities of Past Members

5.5 A Trading/Clearing Member who may for any reason cease to be a Trading/Clearing Member shall nevertheless remain liable for and shall pay all monies and meet all obligations which at the time of his ceasing to be a Trading, Clearing Member shall have been due by him to the Exchange, the Derivatives Segment, the Clearing House, the Derivatives Segment Trade Guarantee Fund, Cash Segment Trade Guarantee Fund, any member of the Exchange, any other Trading/Clearing Member and any Client of the Trading/Clearing Member.

Failure to Pay Subscription and Other Fees

5.6 Save as otherwise provided in these Rules, Bye-laws and Regulations, if a Trading/Clearing Member fails to pay his annual subscription, fees, charges or any other monies or dues or fulfil any obligations which may be due by him to

the Exchange, the Derivatives Segment, the Clearing House or to the Derivatives Segment Trade Guarantee Fund or the Cash Segment Trade Guarantee Fund within one month after notice in writing has been served upon him (or such other period as the Governing Council or the Clearing Council may specify) he may be suspended by the Governing Council or the Clearing Council until he makes payment and if within a further period of six months he fails to make such payment he may be expelled by the Governing Council or the Clearing Council. Nothing in this paragraph shall derogate from the duty of a Trading/Clearing Member to pay margins or other settlement payments or other amounts as are payable within a shorter period or immediately, as due.

For The Stock Exchange, Mumbai

S. S. VYAS
General Manager, Legal & Secretarial

